सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विनियोग लेखे
APPROPRIATION ACCOUNTS

2024-25

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विनियोग लेखे
APPROPRIATION ACCOUNTS

2024-25

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		(i)
विनियोग लेखे का सारांश 2024-25		(ii) – (vii)
विनियोग लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र		(viii) – (ix)

विनियोग लेखे

1.	अनुदान संख्या 1 – विधान सभा	1
2.	अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन	3
3.	अनुदान संख्या 3 – न्याय प्रशासन	6
4.	अनुदान संख्या 4 – वित्त	14
5.	अनुदान संख्या 5 – गृह	17
6.	अनुदान संख्या 6 – शिक्षा	20
7.	अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	29
8.	अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण	40
9.	अनुदान संख्या 9 – उद्योग	48
10.	अनुदान संख्या 10 – विकास	50
11.	अनुदान संख्या 11– शहरी विकास तथा लोक निर्माण	59
12.	अनुदान संख्या 12– ऋण	72
13.	अनुदान संख्या 13– पेंशन	73
14.	अनुदान संख्या 14– आकस्मिक निधि	74
15.	अनुदान संख्या 15– सार्वजनिक ऋण	75
16.	अनुलग्नक **‘क’**	76

TABLE OF CONTENTS

		Page No.
INTRODUCTORY		(i)
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS 2024-25		(ii) – (vii)
CERTIFICATE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON APPROPRIATION ACCOUNTS		(viii) – (ix)
APPROPRIATION ACCOUNTS		
1.	GRANT NO.1 – LEGISLATIVE ASSEMBLY	1
2.	GRANT NO.2 – GENERAL ADMINISTRATION	3
3.	GRANT NO.3 – ADMINISTRATION OF JUSTICE	6
4.	GRANT NO.4 – FINANCE	14
5.	GRANT NO.5 – HOME	17
6.	GRANT NO.6 – EDUCATION	20
7.	GRANT NO.7 – MEDICAL AND PUBLIC HEALTH	29
8.	GRANT NO.8 – SOCIAL WELFARE	40
9.	GRANT NO.9 – INDUSTRIES	48
10.	GRANT NO.10 – DEVELOPMENT	50
11.	GRANT NO.11 – URBAN DEVELOPMENT & PUBLIC WORKS	59
12.	GRANT NO.12 – LOANS	72
13.	GRANT NO.13– PENSIONS	73
14.	GRANT NO.14- CONTINGENCY FUND	74
15.	GRANT NO.15– PUBLIC DEBT	75
16.	ANNEXURE-A	76

<u>प्रस्तावना</u>

वर्ष 2024–2025 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखो वाले इस संकलन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 29 एवं 30 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों की तुलना में इस अवधि के दौरान व्यय की गई राशियों के लेखें प्रस्तुत किए गए हैं ।

इन लेखों में :-

"मू" का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोग से है ।

"पू" का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है ।

"पु" का तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये पुनर्विनियोगों, निकासियों अथवा अभ्यर्पण से है ।

प्रभारित विनियोगों और व्यय को रेखाकिंत किया गया है ।

INTRODUCTORY

This compilation containing the Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year 2024-25 presents the accounts of sums expended during the period compared with the Appropriation Acts passed under sections 29 and 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

In these Accounts: -

“O” Stands for original grant or appropriation

“S” Stands for supplementary grant or appropriation

“R” Stands for re-appropriation, withdrawals or surrenders sanctioned by the competent authority.

Charged appropriations and expenditure have been underlined.

विनियोग लेखों का सार

SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS

2024-25

वर्ष 2024–25 के विनियोग लेखों का सार
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS 2024-25

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
									(In thousand of rupees) (रूपये हजार में)	
1–विधान सभा	प्रभारित	Charged	16000	0	9157	0	-6843	0	0	0
Legislative Assembly	स्वीकृत	Voted	515700	273500	251444	0	-264256	-273500	0	0
2–सामान्य प्रशासन	प्रभारित	Charged	295900	20500	211228	3336	-84672	-17164	0	0
General Administration	स्वीकृत	Voted	6093930	99570	1952994	59180	-4140936	-40390	0	0
3–न्याय प्रशासन	प्रभारित	Charged	6168446	260480	5806029	83466	-362417	-177014	0	0
Admn. of Justice	स्वीकृत	Voted	23859966	2717524	18849705	1131518	-5010261	-1586006	0	0
4–वित्त	प्रभारित	Charged	1100	0	244	0	-856	0	0	0
Finance	स्वीकृत	Voted	3319900	858118	2430705	356265	-889195	-501853	0	0
5–गृह	प्रभारित	Charged	9800	0	5135	0	-4665	0	0	0
Home	स्वीकृत	Voted	11547650	1494050	10354713	539742	-1192937	-954308	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
								(In thousand of rupees) (रूपये हजार में)		
6– शिक्षा	प्रभारित	Charged	200600	0	127603	0	-72997	0	0	0
Education	स्वीकृत	Voted	161342547	1735540	147730594	503098	-13611953	-1232442	0	0
7– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	प्रभारित	Charged	95991	0	8840	0	-87151	0	0	0
Medical & Public Health	स्वीकृत	Voted	77864119	4010975	67722865	1121740	-10141254	-2889235	0	0
8– समाज कल्याण	प्रभारित	Charged	48380	0	27626	0	-20754	0	0	0
Social Welfare	स्वीकृत	Voted	115827740	27677700	77229431	10552341	-38598309	-17125359	0	0
9– उद्योग	प्रभारित	Charged	305	0	0	0	-305	0	0	0
Industries	स्वीकृत	Voted	3607250	155150	2496543	12627	-1110707	-142523	0	0
10–विकास	प्रभारित	Charged	3080	57000	254	41673	-2826	-15327	0	0
Development	स्वीकृत	Voted	45387235	10334669	38110430	3462341	-7276805	-6872328	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
									(In thousand of rupees) (रूपये हजार में)	
11—शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	प्रभारित	Charged	600	312511	76	312411	-524	-100	0	0
Urban Development & PWD	स्वीकृत	Voted	141284200	84623205	103648157	48108105	-37636043	-36515100	0	0
12—ऋण	प्रभारित	Charged	0	0	0	0	0	0	0	0
Loans	स्वीकृत	Voted	0	13000	0	5350	0	-7650	0	0
13—पेंशन	प्रभारित	Charged	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensions	स्वीकृत	Voted	50000	0	40976	0	-9024	0	0	0
14—आकस्मिक निधि	प्रभारित	Charged	0	0	0	0	0	0	0	0
Contingency Fund	स्वीकृत	Voted	0	0	0	0	0	0	0	0
15—सार्वजनिक ऋण	प्रभारित	Charged	26660900	49143300	26660828	49143161	-72	-139	0	0
Public Debt	स्वीकृत	Voted	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	प्रभारित	**Charged**	**33501102**	**49793791**	**32857020**	**49584047**	**-644082**	**-209744**	**0**	**0**
Total	स्वीकृत	**Voted**	**590700237**	**133993001**	**470818557**	**65852307**	**-119881680**	**-68140694**	**0**	**0**

विनियोग लेखों का सार (जारी)

चूंकि अनुदान और विनियोग की कुल आवश्यक राशियों के लिए उनके सामने दर्शाये गये आंकड़े वसूलियों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटा कर समायोजित किया जाता है, निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखों में दिखाये गये हैं ।

2024-25 के विनियोग लेखों एवं वित्त लेखों के अनुसार कुल व्यय का मिलान निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :–

	राजस्व	पूंजीगत	कुल
			(हजार रूपयों में)
प्रभारित :–			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	3285,70,20	4958,40,47	8244,10,67
घटायें–परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	13,21	0	13,21
वित्त लेखों की विवरणी संख्या – 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	3285,56,99	4958,40,47	8243,97,46
स्वीकृत :–			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	47081,85,57	6585,23,07	53667,08,64
घटायें–परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	381,60,65	58,43,53	440,04,18
वित्त लेखों की विवरणी संख्या – 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	46700,24,92	6526,79,54	53227,04,46

As the grants and appropriations are the gross amounts required for expenditure, the expenditure figures shown against them do not include recoveries, which are adjusted in the accounts as reduction of expenditure. The net expenditure is shown in the Finance Accounts.

The reconciliation between the total expenditure according to the Appropriation Accounts for 2024-25 and that shown in the Finance Accounts for the year are as shown below: -

	Revenue	Capital	Total
			(In thousands of rupees)
Charged			
Total expenditure according to Appropriation Accounts	3285,70,20	4958,40,47	8244,10,67
Deduct – Total Recoveries Shown in Annexure-A	13,21	0	13,21
Net total expenditure as shown in Statement No.8 of Finance Accounts	3285,56,99	4958,40,47	8243,97,46
Voted			
Total expenditure according to Appropriation Accounts	47081,85,57	6585,23,07	53667,08,64
Deduct – Total Recoveries Shown in Annexure-A	381,60,65	58,43,53	440,04,18
Net total expenditure as shown in Statement No.8 of Finance Accounts	46700,24,92	6526,79,54	53227,04,46

विनियोग लेखों का सार (समापन)

मैं, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूं कि वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखों में शामिल कुल व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

लीलाधर जोशी

(लीला धर जोशी)
मुख्य लेखा नियंत्रक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली
दिनांक 11 MAR 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

संतोष

(संतोष द. वैद्य)
प्रधान सचिव (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली
दिनांक 12 MAR 2026

Summary of Appropriation Accounts...concluded

Certified to the best of my knowledge and belief that all expenditure included in the Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year 2024-25 has been sanctioned by the competent authority.

(LILA DHAR JOSHI)
CHIEF CONTROLLER OF ACCOUNTS
GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI

New Delhi:
Dated: 11 MAR 2026

COUNTERSIGNED

(SANTOSH D. VAIDYA)
PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE)
GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI

New Delhi: 12 MAR 2026
Dated: ____________

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 29 और 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण लेखाओं के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, इस संकलन में अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 29 और 30 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ–साथ इस वर्ष या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान की गई लेखापरीक्षा से प्राप्त अभ्युक्तियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर अलग से प्रस्तुत किए जा रहे मेरे वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

यह लेखापरीक्षा भारत के नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में, नमूने के आधार पर वित्तीय विवरणों में सम्मिलित राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और सहायक लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा से बजट का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे वेतन और लेखा कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और सहायक लेखाओं की तैयारी और शुद्धता के साथ–साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेन-देन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लेखा नियंत्रक और प्रधान सचिव (वित्त), दोनों को प्रारंभिक और सहायक लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

Report of the Comptroller and Auditor General of India

Audit of the Appropriation Accounts of the Government of the National Capital Territory of Delhi

Opinion

The Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year ended 31 March 2025, present the accounts of the sums expended in the year compared with the sums specified in the schedules appended to the Appropriation Acts passed under Sections 29 and 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991. The Finance Accounts of the Government for the year showing the financial position along with the accounts of the receipts and disbursements of the Government for the year are presented separately.

On the basis of the information and explanations that my officers required and have obtained and as a result of test audit of the accounts, in my opinion, the Appropriation Accounts read with the observations in this compilation present fairly the accounts of the sums expended in the year ended 31 March 2025 compared with the sums specified in the schedules appended to the Appropriation Acts passed by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi under Sections 29 and 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

Observations arising from audit of these accounts as well as audits conducted during the year or earlier years are contained in my Financial, Compliance and Performance Audit Reports on the Government of National Capital Territory of Delhi being presented separately for the year ended 31 March 2025.

Basis for Opinion

The conduct of audit is in accordance with the CAG's Auditing Standards. These Standards require that we plan and perform audits to obtain reasonable assurance that the accounts are free from material misstatement. An audit includes an examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts and disclosures in the financial statements. The audit evidence that we have obtained provides a basis for my opinion.

Responsibilities for Preparation of the Initial and Subsidiary Accounts

The Government of the National Capital Territory of Delhi is responsible for obtaining authorization of the budget from the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. The Government of National Capital Territory of Delhi and those responsible for the execution of the budget such as Pay and Accounts Offices, offices and departments of the Government of National Capital Territory of Delhi are responsible for the preparation and correctness of the initial and subsidiary accounts as well as for ensuring the regularity of transactions in accordance with the applicable laws, standards, rules and regulations.

Also, they are responsible for rendering the initial and subsidiary accounts and information related thereto to the Controller of Accounts and Principal Secretary (Finance), both of the Government of National Capital Territory of Delhi for compilation and preparation of the Appropriation Accounts.

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्यरत लेखा नियंत्रक और प्रधान सचिव (वित्त), सरकार के वार्षिक लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

1. वर्ष 2024–25 के दौरान, कुल स्वीकृत अनुदान ₹ 72,469.32 करोड़ के प्रति ₹ 18,802.24 करोड़ (25.95 प्रतिशत) की कुल बचत हुई। बचत की बढ़ती प्रवृत्ति और वित्त वर्ष के अंत में ₹ 7,547.82 करोड़ (40.14 प्रतिशत) बचत के व्यपगमन से बजट बनाने या उसके कार्यान्वयन में प्रणालीगत कमियों का पता चलता है।

'मामले का महत्व' खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरा अभिमत संशोधित नहीं हुआ।

ह०

दिनांक: 19 MAR 2026

स्थान: नई दिल्ली

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

Responsibilities for Compilation of Annual Accounts

The Controller of Accounts and Principal Secretary (Finance), both functioning under the control of the Government of National Capital Territory of Delhi are responsible for the compilation and preparation of Annual Accounts of the Government.

Responsibilities for the Audit of the Annual Accounts

The audit of the Annual Accounts is conducted through the Office of the Accountant General (Audit) Delhi, in accordance with the requirements of Article 149 of the Constitution of India, Section 48 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 for expressing an opinion on these Accounts based on the results of such audit.

Emphasis of Matter

I want to draw attention to the following :

1. During 2024-25, there was an overall saving of ₹ 18,802.24 crore (25.95 *per cent*) against total voted grants of ₹ 72,469.32 crore. The increasing trend of savings and their lapse amounting to ₹ 7,547.82 crore (40.14 *per cent*) at the end of the financial year reflect systemic deficiencies in budgeting or implementation.

My opinion on the Appropriation Accounts is not modified due to the Emphasis of Matter section.

Sd/-

Date: 19 MAR 2026
Place: New Delhi

(K. SANJAY MURTHY)
Comptroller and Auditor General of India

अनुदान संख्या 1 — विधान सभा

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित–				
मूल	1,58,00)			
पूरक	2,00)	1,60,00	91,57	−68,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				−35,50
स्वीकृत –				
मूल	51,57,00)			
पूरक	0,00)	51,57,00	25,14,44	−26,42,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				−23,99,50
पूंजीगत				
स्वीकृत				
मूल	27,35,00)			
पूरक	0,00)	27,35,00	00,00	−27,35,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				−27,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 68.43 लाख रूपये की कुल बचत थी (160.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एव 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 42.77 प्रतिशत थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 2642.56 लाख रूपये की कुल बचत थी (5157.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 51.24 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

विधान मण्डल
मुख्यशीर्ष "2011"
संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान

मू.	5157.00)			
पु.	−2399.50)	2757.50	2514.44	−243.06

GRANT NO. 1 – LEGISLATIVE ASSEMBLY

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	1,58,00)			
Supplementary	2,00)	1,60,00	91,57	-68,43
Amount surrendered during the year				-35,50
Voted –				
Original	51,57,00)			
Supplementary	0,00)	51,57,00	25,14,44	-26,42,56
Amount surrendered during the year				-23,99,50
CAPITAL				
Voted –				
Original	27,35,00)			
Supplementary	0,00)	27,35,00	0,00	-27,35,00
Amount surrendered during the year				-27,00,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹68.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹160.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) which constituted 42.77% of the total sanctioned appropriation.

In the **Voted portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹2642.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5157.00 lakhs) which constituted 51.24% of the total sanctioned provision.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Legislative Assembly **Major Head "2011"** Parliament/State/Union Territory Legislatures			
O. 5157.00)			
R. -2399.50)	2757.50	2514.44	-243.06

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2011"**– संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान – राज्य/संघ क्षेत्र विधान – (क) विधान मंडल सचिवालय – (i) दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केन्द्र – 1360.88 लाख रूपये की बचत (1364.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना) मुख्यतः रिक्त पदों, प्रस्ताव/बिल प्राप्त न होने और कम खरीद होने के कारण हुई।

   (ii) विधान मंडल सचिवालय – 933.42 लाख रूपये की बचत (2213.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम खरीद, समारोहों एवं सेमिनारों आदि की स्वीकृति न मिलने, रिक्त पदों, जलपान/दोपहर के भोजन/रात्रि भोज की फाइलें अनुमोदन हेतु वित्त विभाग, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार में लंबित रहने और सरकारी वकील से बिलों/दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 347.22 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 2735.00 लाख रूपये की बचत थी (2735.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 100 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

विधान मण्डल **मुख्यशीर्ष "4070"** अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय			
मू. 2735.00)			
पु. –2700.00)	35.00	0.00	–35.00

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – निर्देशन व प्रशासन – विधान मंडल सचिवालय – 2735.00 लाख रूपये की बचत (2735.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रस्तावों/निविदाओं पर अंतिम स्वीकृति न दिए जाने के कारण हुई।

Saving occurred more than ₹5.00 crore under the following Sub Heads: –

1. **Under Major Head "2011"**– Parliament /State/ Union Territory Legislatures – State/Union Territory Legislature – Legislative Secretariat – (i) Delhi Assembly Research Centre -- Saving of ₹1360.88 lakhs (against the sanctioned provision of 1364.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, no proposal/bills received and less procurement.

   (ii) Legislative Secretariat — Saving of ₹933.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2213.50 lakhs) was mainly due to receipt of less claims/bills, less procurement, non approval of functions & seminars etc., vacant posts, pending files of refreshment/lunch/dinner with Finance Department, GNCTD for approval and non receipt of Govt. Counsel bills / claims.

Further, saving of ₹347.22 lakhs remained under one sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹2735.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2735.00 lakhs) constituted 100% of the total sanctioned provision.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Legislative Assembly
Major Head "4070"
Capital Outlay on Other Administrative Services:

O.	2735.00)			
R.	-2700.00)	35.00	0.00	-35.00

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head: –

1. **Under Major Head "4070" –** Capital Outlay on Other Administrative Services – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – Legislative Secretariat – Saving of ₹2735.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2735.00 lakhs) was mainly due to non finalization of proposal/tender.

अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित–				
मूल	29,49,00)			
पूरक	10,00)	29,59,00	21,12,28	–8,46,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–4,85,00
स्वीकृत –				
मूल	609,36,30)			
पूरक	3,00)	609,39,30	195,29,94	–414,09,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–363,98,90
पूंजीगत				
प्रभारित–				
मूल	2,04,00)			
पूरक	1,00)	2,05,00	33,36	–1,71,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–1,59,00
स्वीकृत				
मूल	9,91,70)			
पूरक	4,00)	9,95,70	5,91,80	–4,03,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–1,27,10

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 846.72 लाख रूपये की कुल बचत थी (2959.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 28.61 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षो के अन्तर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

उप राज्यपाल सचिवालय
मुख्यशीर्ष "2012"
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

मू.	2415.00)			
पू.	10.00)			
पु.	–460.50)	1964.50	1716.86	–247.64

GRANT NO. 2 – GENERAL ADMINISTRATION

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	29,49,00)			
Supplementary	10,00)	29,59,00	21,12,28	-8,46,72
Amount surrendered during the year				-4,85,00
Voted –				
Original	609,36,30)			
Supplementary	3,00)	609,39,30	195,29,94	-414,09,36
Amount surrendered during the year				-363,98,90
CAPITAL				
Charged –				
Original	2,04,00)			
Supplementary	1,00)	2,05,00	33,36	-1,71,64
Amount surrendered during the year				-1,59,00
Voted -				
Original	9,91,70)			
Supplementary	4,00)	9,95,70	5,91,80	-4,03,90
Amount surrendered during the year				-1,27,10

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹846.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2959.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹10.00 lakhs) constituted 28.61% of the total sanctioned appropriation.

Savings/Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Lt. Governor's Secretariat
Major Head "2012"
President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories

O.	2415.00)			
S.	10.00)			
R.	- 460.50)	1964.50	1716.86	-247.64

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :—

1. **मुख्यशीर्ष "2012" —** राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक — केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल/प्रशासक — सचिवालय — 691.02 लाख रूपये की बचत (2293.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद, सोशल मिडिया के टेंडर केवल अंतिम 6 माह के लिये जारी होने, कम घरेलू यात्राओं और कम विदेशी यात्राओं के कारण हुई।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 41409.36 लाख रूपये की कुल बचत थी (60939.30 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 67.95 प्रतिशत थी ।

28321.00 लाख रूपये की राशि आठ उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :—

1. **मुख्यशीर्ष "2055"**— पुलिस — दिल्ली पुलिस — दिल्ली पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना — 4077 के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान (निर्भया फंड) (सी.एस.एस) — 24195.00 लाख रूपये — भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2220"**— सूचना एवं प्रचार — अन्य — विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार — (i) मीडिया नेटवर्क के साथ सहयोग — 1870.00 लाख रूपये — विभागों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(ii) सभी विभागों के लिए संवाद दल — 510.00 लाख रूपये — विभागों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और कुछ प्रस्तावों को सक्षम अधिकारी अर्थात मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किए जा सकने के कारण ।

(iii) दिल्ली शासन मॉडल को बाहर तक पहुँचाने का कार्यक्रम — 1200.00 लाख रूपये — मुख्यतः कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ।

(iv) महिला सुरक्षा पर मीडिया अभियान — 510.00 लाख रूपये — विभागों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षो के अन्तर्गत हुई:—

(लाख रूपयों में)

सामान्य प्रशासन विभाग				
मुख्यशीर्ष "2052"				
सचिवालय सामान्य सेवाएं				
मू.	8683.70)			
पू.	1.00)			
पु.	—1195.20)	7489.50	7207.39	—282.11
सूचना व प्रचार				
मुख्यशीर्ष "2220"				
सूचना व प्रचार				
मू.	11864.80)			
पु .	—7472.40)	4392.40	2331.13	—2061.27
दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड				
मुख्यशीर्ष "2051"				
लोक सेवा आयोग				
मू.	7432.50)			
पु.	—1365.50)	6067.00	4618.63	—1448.37

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2012"** – President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories – Governor/Administrator of Union Territories – Secretariat - Savings of ₹691.02 lakhs (against the Sanctioned provision of ₹2293.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹10.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, less procurement, tender of social media for last 6 months only, less domestic travel tours and less foreign travel tours.

In the **Voted portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹41409.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60939.30 lakhs lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) which constituted 67.95% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹28321.00 lakhs remained wholly un-utilised under 08 sub-heads. This includes the following sub-heads:-

1. **Under Major Head "2055"** – Police – Delhi Police – GIA to Delhi Police for implementation of Safe City Project-4077 for safety of women by Delhi Police (Nirbhaya Fund) (CSS) – ₹24195.00 lakhs -- due to non receipt of funds from GOI.

2. **Under Major Head "2220"** – Information & Publicity – Others – Advertising and visual publicity – (i) Collaboration with Media Network – ₹1870.00 lakhs – due to no sufficient proposals received from the departments.

   (ii) Communication Teams for Every Department – ₹510.00 lakhs – due to no sufficient proposals received from the departments and some proposals could not be approved by the Competent Authority i.e. Cabinet.

   (iii) Delhi Model of Governance for outreach programme – ₹1200.00 lakhs – mainly due to no proposal received.

   (iv) Media Campaign on Women Safety – ₹510.00 lakhs – due to no sufficient proposals received from the departments.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

General Administration Department			
Major Head "2052"			
Secretariat General Services			
O. 8683.70)			
S. 1.00)			
R. -1195.20)	7489.50	7207.39	-282.11
Information and Publicity			
Major Head "2220"			
Information & Publicity			
O. 11864.80)			
R. -7472.40)	4392.40	2331.13	-2061.27
Delhi Subordinate Services Selection Board			
Major Head "2051"			
Public Service Commission			
O. 7432.50)			
R. -1365.50)	6067.00	4618.63	-1448.37

प्रशासनिक सुधार विभाग
मुख्यशीर्ष "2052"
सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	2258.00)			
पु.	–1412.00)	846.00	551.70	–294.30

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2052"**– सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – मुख्य सचिवालय – 763.12 लाख रूपये की बचत (5726.30 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान, सहित की तुलना में) मुख्यतः प्रस्ताव/बिल प्राप्त न होने, रिक्त पदों, ईंधन और लुबरिकैंट की कम खपत, डीएचएस को भेजे गए कुछ चिकित्सा दावों पर स्वीकृति न दिए जाने, आई.ए.एस. अधिकारियों के विदेशी दौरे न होने, खरीद के लिए कम मांग प्राप्त होने और पेशेवर सेवा के कुछ प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के द्वारा अनुमोदित न किए जाने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2220"**– सूचना एवं प्रचार – चलचित्र – निर्देशन एवं प्रशासन – जन–संपर्क निदेशालय – 5073.75 लाख रूपये की बचत (7258.80 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विभाग से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने, कम बिल प्राप्त होने, रिक्त पदों तथा विभिन्न मीडिया हाउसों के भुगतान को वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2051"**– लोक सेवा आयोग – कर्मचारी चयन आयोग – दिल्ली सरकार के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड – 2813.87 लाख रूपये की बचत (7432.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम परीक्षाएं आयोजित होने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, विक्रेताओं द्वारा दावों के जमा न करने और रिक्त पदो के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2052"**– सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – (i) सार्वजनिक सेवाओं का द्वार पर वितरण – 1128.91 लाख रूपये की बचत (1240.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉल सेंटर के क्रियान्वित न होने, सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी परियोजना 01.04.2024 से निलंबित होने तथा परियोजना के तहत विभिन्न हित धारकों के बिलों के निपटान के लिए बजट रखे जाने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1769.40 लाख रूपये की बचत पांच उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

अनुदान के प्रभारित भाग के पूंजीगत अंश में 171.64 लाख रूपये की कुल बचत थी (205.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 83.73 प्रतिशत थी ।

25.00 लाख रूपये की राशि 2 उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के स्वीकृत भाग के पूंजीगत अंश में 403.90 लाख रूपये की कुल बचत थी (995.70 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 40.56 प्रतिशत थी ।

Administrative Reforms Department
Major Head "2052"
Secretariat - General Services

O.	2258.00)			
R.	-1412.00)	846.00	551.70	-294.30

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2052"**- Secretariat General Services -- Secretariat – Chief Secretariat - Savings of ₹763.12 lakhs (against the Sanctioned provision of ₹5726.30 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to no proposal/bills received, vacant posts, less consumption of fuel & lubricants, non finalization of some medical claims sent to DHS for approval, no foreign tours of IAS officers, less requisition received for procurement and some of the proposals were sent for approval of Competent Authority for professional service but same was not received back.

2. **Under Major Head "2220"–** Information & Publicity – Films – Direction and Adminitration – Public Relation Directorate -- Savings of ₹5073.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7258.80 lakhs) was mainly due to no sufficient proposal received from the departments, receipt of less bills, vacant posts and proposal for making payment to different Media Houses could not be approved by the Finance Department.

3. **Under Major Head "2051"–** Public Service Commission – Staff Selection Commission – Staff Selection Board for Delhi Government – Savings of ₹2813.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7432.50 lakhs) was mainly due to less exams conducted, receipt of less claims / bills, non submission of claims by vendors and vacant posts.

4. **Under Major Head "2052"–** Secretariat General Services – Secretariat – Door Step Delivery of Public Services – Savings of ₹1128.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1240.00 lakhs) was mainly due to non-functioning of call centre, project Door Step Delivery of Public Service was under suspension w.e.f. 01.04.2024 and the Budget was kept for settlement of bills in r/o various stake holders under the project.

Further, saving of ₹1769.40 lakhs remained under five sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Charged portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹171.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹205.00 lakhs inclusive of the supplementary provision of ₹1.00 lakhs) constituted 83.73% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹25.00 lakhs remained wholly un-utilised under two sub-heads.

In the **Voted portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹403.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹995.70 lakhs inclusive of the supplementary provision of ₹4.00 lakhs) constituted 40.56% of the total sanctioned provision.

अनुदान संख्या 3 – न्याय प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित

मूल	599,42,01)			
पूरक	17,42,45)	616,84,46	580,60,29	–36,24,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–13,01

स्वीकृत –

मूल	2280,41,04)			
पूरक	105,58,62)	2385,99,66	1884,97,05	–501,02,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–275,22,47

पूंजीगत

प्रभारित

मूल	24,20,95)			
पूरक	1,83,85)	26,04,80	8,34,66	–17,70,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–2,00

स्वीकृत –

मूल	271,50,14)			
पूरक	25,10)	271,75,24	113,15,18	–158,60,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–141,89,54

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 3624.17 लाख रूपये की बचत थी (61684.46 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1742.45 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 5.87 प्रतिशत थी ।

106.35 लाख रूपये की राशि सात उपशीर्षो के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

दिल्ली उच्च न्यायालय

मुख्यशीर्ष "2014"

न्याय प्रशासन

मू.	59835.51)			
पू.	1741.60)			
पु.	–8.51)	61568.60	58060.28	–3508.32

GRANT NO. 3 – ADMINISTRATION OF JUSTICE

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	599,42,01)			
Supplementary	17,42,45)	616,84,46	580,60,29	-36,24,17
Amount surrendered during the year				-13,01
Voted -				
Original	2280,41,04)			
Supplementary	105,58,62)	2385,99,66	1884,97,05	-501,02,61
Amount surrendered during the year				-275,22,47
CAPITAL				
Charged –				
Original	24,20,95)			
Supplementary	1,83,85)	26,04,80	8,34,66	-17,70,14
Amount surrendered during the year				-2,00
Voted -				
Original	271,50,14)			
Supplementary	25,10)	271,75,24	113,15,18	-158,60,06
Amount surrendered during the year				-141,89,54

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹3624.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹61684.46 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1742.45 lakhs) constituted 5.87% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹106.35 lakhs remained wholly un-utilised under seven sub-head.

Savings/Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Delhi High Court
Major Head "2014"
Administration of Justice

O.	59835.51)			
S.	1741.60)			
R.	- 8.51)	61568.60	58060.28	-3508.32

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – उच्च न्यायालय – निर्देशन एवं प्रशासन – 3198.83 लाख रूपये की बचत (60418.42 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1739.60 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरनें, कम दावों/बिल की प्राप्ति और सेवा एवं खरीद पर कम निधि का उपयोग करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 318.00 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 50102.61 लाख रूपये की बचत थी (238599.66 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10558.62 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 21.00 प्रतिशत थी ।

260.00 लाख रूपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

मध्य जिला न्यायालय				
मुख्यशीर्ष "2014"				
न्याय प्रशासन				
मू.	60764.10)			
पू.	4103.70)			
पु	–14987.03)	49880.77	45699.01	–4181.76
उत्तरी जिला न्यायालय				
मुख्यशीर्ष "2014"				
न्याय प्रशासन				
मू.	7331.50)			
पू.	1.00)			
पु.	496.30)	7828.80	6680.34	–1148.46
पश्चिमी जिला न्यायालय				
मुख्यशीर्ष "2014"				
न्याय प्रशासन				
मू.	13662.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–746.00)	12917.00	11758.65	–1158.35
नई दिल्ली जिला न्यायालय				
मुख्यशीर्ष "2014"				
न्याय प्रशासन				
मू.	14571.50)			
पू.	4.00)			
पु.	–4530.25)	10045.25	9307.61	–737.64

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head: –

1. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – High Court – Direction and Administration – Savings of ₹3198.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60418.42 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1739.60 lakhs) was mainly due to non filling up of vacant posts, receipt of less claims/bills and less funds utilized on services & procurement.

Further, saving of ₹318.00 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹50102.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹238599.66 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹10558.62 lakhs) which constituted 21.00% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹260.00 lakhs remained wholly un-utilised under one sub-head.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Central District Court			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 60764.10)			
S. 4103.70)			
R. -14987.03)	49880.77	45699.01	-4181.76
North District Court			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 7331.50)			
S. 1.00)			
R. 496.30)	7828.80	6680.34	-1148.46
West District Court			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 13662.00)			
S. 1.00)			
R. -746.00)	12917.00	11758.65	-1158.35
New Delhi District Court			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 14571.50)			
S. 4.00)			
R. -4530.25)	10045.25	9307.61	-737.64

दक्षिणी जिला न्यायालय			
मुख्यशीर्ष "2014"			
न्याय प्रशासन			
मू. 16572.00)			
पू. 1.00)			
पु. −2465.50)	14107.50	13212.98	−894.52
दक्षिणी पूर्वी जिला न्यायालय			
मुख्यशीर्ष "2014"			
न्याय प्रशासन			
मू. 9462.00)			
पू. 1.00)			
पु. 1655.00)	11118.00	10429.59	−688.41
पूर्वी जिला न्यायालय			
मुख्यशीर्ष "2014"			
न्याय प्रशासन			
मू. 10755.40)			
पू. 486.92)			
पु. −198.68)	11441.00	10346.22	−1094.78
शाहदरा जिला न्यायालय			
मुख्यशीर्ष "2014"			
न्याय प्रशासन			
मू. 7506.00)			
पू. 2.00)			
पु. 1229.50)	8737.50	8125.46	−612.04
दक्षिणी पश्चिमी जिला न्यायालय			
मुख्यशीर्ष "2014"			
न्याय प्रशासन			
मू. 17146.00)			
पू. 1.00)			
पु. −2601.61)	14545.00	14058.75	−486.64
विधि विभाग			
मुख्यशीर्ष "2014"			
न्याय प्रशासन			
मू. 10720.80)			
पू. 1653.00)			
पु. −378.88)	11994.92	9239.57	−2755.35
अभियोजन निदेशालय			
मुख्यशीर्ष "2014"			
न्याय प्रशासन			
मू. 6479.00)			
पू. 2.00)			
पु. 901.00)	7382.00	7338.71	−43.29
मुख्यशीर्ष "2035"			
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
मू. 17000.00)	17000.00	12003.56	−4996.44

South District Court			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 16572.00)			
S. 1.00)			
R. -2465.50)	14107.50	13212.98	-894.52
South East District Court			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 9462.00)			
S. 1.00)			
R. 1655.00)	11118.00	10429.59	-688.41
East District Court			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 10755.40)			
S. 486.92)			
R -198.68)	11441.00	10346.22	-1094.78
Shahdara District Court			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 7506.00)			
S. 2.00)			
R. 1229.50)	8737.50	8125.46	-612.04
South West District Court			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 17146.00)			
S. 1.00)			
R. -2601.61)	14545.39	14058.75	-486.64
Law Department			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 10720.80)			
S. 1653.00)			
R. -378.88)	11994.92	9239.57	-2755.35
Directorate of Prosecution			
Major Head "2014"			
Administration of Justice			
O. 6479.00)			
S. 2.00)			
R. 901.00)	7382.00	7338.71	-43.29
Major Head "2035"			
Social Security & Welfare			
O. 17000.00)	17000.00	12003.56	-4996.44

चुनाव कार्यालय

मुख्यशीर्ष "2015"

चुनाव				
मू.	17488.50)			
पू.	4300.00)			
पु.	–7731.75)	14056.75	12574.33	–1482.42

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – सिविल एवं सत्र न्यायालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – मध्य जिला – 18886.22 लाख रूपये की बचत (64454.20 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4103.70 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, वित्त वर्ष 2024–25 में 100 ड्रैगन सोफट्वेयर के बंद होने, अपेक्षित प्रतिपूर्ति बिल प्राप्त न होने, सेवा प्रदाता द्वारा किराये पर लिए गए वाहनों के बिल जमा न करने, कम खरीद, कुछ प्रस्तावों पर अंतिम स्वीकृति न होने, सेवानिवृत अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त न करने, अधिवक्ताओं के लिए मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने, न्यायिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए विक्रेताओं से बिल प्राप्त न होने, भारत सरकार के मुद्रणालय से बिलों के प्राप्त न होने और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों से बकाया दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – सिविल एवं सत्र न्यायालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – उत्तरी जिला – 526.24 लाख रूपये की बचत (7099.95 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः बकाया वेतन का भुगतान न हो सकने, द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के भत्ते के बकायों का वितरण न होने तथा भारत सरकार के मुद्रणालय से मुद्रित स्टेशनरी सामाग्री की खरीद के लिए अनुमानित बिलों का वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक भुगतान न हो पाने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – सिविल एवं सत्र न्यायालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – पश्चिमी जिला – 1838.32 लाख रूपये की बचत (13268.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद, कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के संदर्भ में न्यायिक अधिकारियों के वेतन संबंधी बकायों का भुगतान न हो पाने और बिल/दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – सिविल एवं सत्र न्यायालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – नई दिल्ली जिला – 4824.42 लाख रूपये की बचत (13168.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, जूनियर न्यायिक सहायक के वेतन के संबंध में अनुमोदन और संशोधन न प्राप्त होने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, कम दावों/बिल की प्राप्ति और कुछ निविदाओं पर अंतिम स्वीकृति न होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – सिविल एवं सत्र न्यायालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – दक्षिणी जिला – 3154.59 लाख रूपये की बचत (15752.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, समवर्ती प्रभारों की प्रतिपूर्ति पर लंबित निर्णय, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, कम खरीद, वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक के संबंध में स्वीकृति आदेशों के देरी से प्राप्त होने से बकाया राशि का भुगतान न होने, अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण होने, वाहनों के कम उपयोग और कम भौतिक सुनवाई होने के कारण हुई।

Election Office
Major Head "2015"
Elections

O.	17488.50)			
S.	4300.00)			
R.	-7731.75)	14056.75	12574.33	-1482.42

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – Civil and Session Courts – Principal District and Session Judges- Central District – Saving of ₹18886.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹64454.20 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹4103.70 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims, 100 dragon software has been dropped in the FY 2024-25, expected re-imbursement bills were not received, service provider had not submitted the bills regarding hired vehicles, less procurement, non finalization of some proposals, Non engagement of retired officers on contract basis, non conduction of Mediation Training Programme for Advocates, bills not received from vendors for Digitization of Judicial Records, bills not received from Govt. of India, Press and non receipt of arrear claims from retired Judicial Officers.

2. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – Civil and Session Courts – Principal District and Session Judges- North District – Saving of ₹526.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7099.95 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to pay arrears could not be disbursed, non disbursement of arrears of allowances towards Second National Judicial Pay Commission and anticipated bills for procurement of printed stationary articles from Government of India Press were not raised till the closure of Financial Year.

3. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – Civil and Session Courts – Principal District and Session Judges- West District – Saving of ₹1838.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13268.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, less procurement, pay arrears to judicial officers in terms of SNJPC was not disbursed due to transfer of staff and non receipt of bills / claims.

4. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – Civil and Session Courts – Principal District and Session Judges- New Delhi District – Saving of ₹4824.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13168.60 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹4.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, sanction not received in respect & revision of pay of Jr. Judicial assistance, less training programme, receipt of less claims/bills and some tender not finalized.

5. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – Civil and Session Courts – Principal District and Session Judges- South District – Saving of ₹3154.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15752.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, decision pending on reimbursement of concurrent charges, less training programme, less procurement, arrears in respect of Sr. Personal Assistant/ Personal Assistant could not be released due to late receipt of sanction orders, transfer of officers/staff, less use of vehicle and less number of physical hearings.

6. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – सिविल एवं सत्र न्यायालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – पूर्वी जिला – 808.48 लाख रूपये की बचत (10757.32 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 486.92 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः नाजिर व बैलिफ के बकाया वेतन भुगतान के लिए अनुमोदन के लंबित होने, द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग से संबंधित न्यायिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यो के लिये समवर्ती प्रभार व विशेष वेतन का भुगतान, अनुमोदन प्राप्त न होने से लंबित रहने के कारण, विदेशी यात्राएं न होने और कुछ नई अदालतों को कार्यात्मक बनाने का प्रस्ताव था परन्तु ऐसा नहीं होने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – (क) सिविल एवं सत्र न्यायालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – दक्षिणी पश्चिमी जिला – 2357.90 लाख रूपये की बचत (15848.40 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, अधिकारियों/कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान पर अंतिम निर्णय न होने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद, कम मरम्मत एवं रखरखाव कार्य और जूनियर न्यायिक सहायकों के वेतनमान के उन्नयन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से वित्तीय अनुमोदन/स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

(ख) फौजदारी अदालतें – न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतें – दक्षिणी पश्चिमी जिला – 730.35 लाख रूपये की बचत (1298.60 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद तथा संबंधित शाखा से कम मांग प्राप्त होने, कम मुद्रण और प्रकाशन होने और कम मरम्मत व रखरखाव के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – (क) विशेष न्यायालय – बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना (एफटीएससी) (निर्भया फंड) (सी.एस.एस) – 522.46 लाख रूपये की बचत (720.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा केवल 1.98 करोड़ रूपये के व्यय की प्रतिपूर्ति मांगे जाने के कारण हुई।

(ख) विधि सलाहाकार एंव अधिवक्ता – राज्य कानूनी सहायता निधि को सहायता अनुदान – 769.50 लाख रूपये की बचत (1650.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मार्च 2025 महीने में बैंक द्वारा भुगतान नहीं करने के कारण हुई।

(ग) दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण – 1550.02 लाख रूपये की बचत (4094.80 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम इधन की खपत, कोई मुद्रण कार्य नहीं होने, सीमित विज्ञापन तथा न्यायिक अधिकारियों के भुगतान हेतु बकाया मामलों की अपेक्षाकृत कम संख्या में प्राप्ति के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "2235"**– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – पुनर्वास – अन्य व्यय – अपराध पीड़ितों के लिए मुआवज़ा – 4646.12 लाख रूपये की बचत (12000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान उपलब्ध पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के कारण हुई।

10. **मुख्यशीर्ष "2015"**– चुनाव – (क) चुनाव अधिकारी – 675.16 लाख रूपये की बचत (2373.70 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद, ईधन की कम खपत, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघु सिविल एवं विद्युत कार्यों के कम होने और कम मरम्मत एवं रखरखाव कार्यो के कारण हुई।

(ख) संसद के लिए चुनाव कराने पर प्रभार – लोक सभा चुनाव – 4780.67 लाख रूपये की बचत (7600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1500.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित व्यय के लिए किए गए प्रावधान एवं वास्तविक व्यय के आधार पर उचित समीक्षा करने और व्यय प्रबंधन एवं व्यय के युक्तिकरण के संबंध में वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 1.00 करोड़ रूपये से अधिक के भुगतान की सीमा तय करने के कारण हुई।

6. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – Civil and Session Courts – Principal District and Session Judges- East District – Saving of ₹808.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10757.32 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹486.92 lakhs) was mainly due to approval pending for disbursement of salary arrear of Nazirs and Balliffs, payment of concurrence charges & special pay for Administrative Work Allowance to Judicial Officers in terms of SNJPC was also pending for approval, no foreign travel and some new courts were proposed to make functional but could not be done.

7. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – (a) Civil and Session Courts – Principal District and Session Judges- South West District – Saving of ₹2357.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15848.40 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts & non finalization of revision of pay scale of officers/officials, receipt of less claims/bills, less procurement, less repair & maintenance work and non receipt of financial approval / sanction from Govt. of NCT of Delhi for upgradation of pay scales of JJAs.

   (b) Criminal Courts – Judicial Magistrate's Court- South West District – Saving of ₹730.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1298.60 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement & less demand received from concerned branch, less printing & publication and less repairs & maintenance.

8. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – (a) Special Courts – Setting Up of Fast Track Special Courts (FTSCS) for Expenditious Disposal of Cases of RAPE and POCSO Act (Nirbhaya Fund) (CSS) – Saving of ₹522.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹720.00 lakhs) was mainly due to implementing agencies sought reimbursement of expenditure of Rs. 1.98 Crores only.

   (b) Legal Advisors and Counsels – Grant-In-Aid to State Legal Aid Fund – Saving of ₹769.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs) was mainly due to non clearing of payment by the bank in the month of March'25.

   (c) Delhi Legal Services Authority – Saving of ₹1550.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4094.80 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less consumption of fuel, no printing work, limited advertisement and lessor number of arrear cases for payment to Judicial Officers were received than expected.

9. **Under Major Head "2235"** – Social Security & Welfare – Rehabilitation – Other Expenditure – Compensation for crime victims – Saving of ₹4646.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was mainly due to unspent balance of previous year was available during the financial year 2024-25.

10. **Under Major Head "2015"** – Elections – (a) Electoral Officers – Saving of ₹675.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2373.70) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, less consumption of fuels , less training programme, less minor civil & electric works and less repairs & maintenance work.

    (b) Charges for conduct of Elections to Parliament – Lok Sabha Elections – Saving of ₹4780.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7600.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to provisions made for expenditure related to Lok Sabha Election 2024 & appropriately reviewed based on actual expenditure and capping on payment of above Rs. 1.00 Cr vide Finance Department's order regarding Expenditure Management & Rationalisation of Expenditure.

(ग) राज्य संघ शासित क्षेत्र विधान मंडल के लिए चुनाव कराने पर प्रभार – चुनावों पर व्यय – 3091.31 लाख रूपये की बचत (10430.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2800.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों की प्राप्ति, ईधन की कम खपत, कम मरम्मत एवं रखरखाव, दिल्ली विधानसभा के चुनाव से संबंधित विभिन्न खर्चों के लिए किए गए प्रावधान और व्यय प्रबंधन एवं व्यय के युक्तिकरण के संबंध में वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 1.00 करोड़ रूपये से अधिक के भुगतान की सीमा तय करने के कारण हुई।

(घ) मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना – 584.76 लाख रूपये की बचत (1284.80 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद, ईधन की कम खपत, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम और कम मरम्मत एवं रखरखाव कार्यो के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 2106.73 लाख रूपये की बचत छः उपशीर्षो के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – सिविल एवं सत्र न्यायालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – दक्षिणी पूर्वी जिला – 999.16 लाख रूपये का अधिक व्यय (9046.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो ंके भरने, अधिक दावों/बिलों के प्राप्त होने और एस.एन.जे.पी.सी. की सिफारिशों के अनुसार बकायों का भुगतान करने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – सिविल एवं सत्र न्यायालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – शाहदरा जिला – 662.45 लाख रूपये का अधिक व्यय (7157.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो ंके भरने, अधिक दावों/बिलों के प्राप्त होने, अधिक खरीद और एस.एन.जे.पी.सी. की सिफारिशों के अनुसार बकायों का भुगतान करने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "2014"**– न्याय प्रशासन – विधि सलाहकार एवं अधिवक्ता – अभियोजन स्कन्ध – 857.71 लाख रूपये का अधिक व्यय (6481.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो ंके भरने और अधिक दावों/बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 298.40 लाख रूपये का अधिक व्यय एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुआ जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में कुल 1770.14 लाख रूपये की कुल बचत थी (2604.80 लाख रूपये के पूरक प्रावधान एवं 183.85 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 67.96 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

दिल्ली उच्च न्यायालय

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

मू.	2420.95)			
पू.	183.85)			
पु.	–2.00)	2602.80	834.66	–1768.14

(c) Charges for conduct of Elections to State/Union Territory Legislature – Expenses on Election – Saving of ₹3091.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10430.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2800.00 lakhs) was mainly due to receipt of less claims/bills, less consumption on fuels, less repairs & maintenance, provision made for various expenses in connection with election of Delhi Legislature and capping on payment of above Rs. 1.00 Cr vide Finance Department's order regarding Expenditure Management & Rationalisation of Expenditure.

(d) Issue of Photo Identity-Cards to Voters – Saving of ₹584.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1284.80 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, less consumption of fuels. less training programme and less repair & maintenance work.

Further, saving of ₹2106.73 lakhs remained under six sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off –set by excess under the following sub-heads:

1. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – Civil and Session Courts – Principal District and Session Judges – South East District – Excess of ₹999.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9046.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts, receipt of more bills/claims and payment of arrears as per SNJPC recommendation.

2. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – Civil and Session Courts – Principal District and Session Judges – Shahdara District – Excess of ₹662.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7157.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts, receipt of more claims/bills, more procurement and payment of arrears as per SNJPC.

3. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – Legal Advisors and Counsels – Prosecution Wing – Excess of ₹857.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6481.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts and receipt of more claims/bills.

Further, excess of ₹298.40 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Charged portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹1770.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2604.80 lakhs inclusive of the supplementary provision of ₹183.85 lakhs) constituted 67.96% of the total sanctioned appropriation.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Delhi High Court
Major Head "4070"
Capital Outlay on Other
Administrative Services :

O.	2420.95)			
S.	183.85)			
R.	-2.00)	2602.80	834.66	-1768.14

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षो के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – निर्देशन एवं प्रशासन – उच्च न्यायालय 1616.26 लाख रूपये की बचत (2365.80 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सेवा और उपकरणों की खरीद पर धन के कम उपयोग के कारण हुई।

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 15860.06 लाख रूपये की बचत थी (27175.24 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 25.10 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 58.36 प्रतिशत थी ।

10287.10 लाख रूपये की राशि सात उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "4059"**– लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय – अन्य भवन – मशीनरी एवं उपकरण – जिला न्यायालयों में हाइब्रिड सुनवाई की स्थापना – 10000.00 रूपये – परियोजना के निविदा चरण में होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

मध्य जिला न्यायालय

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

मू.	3881.90)			
पु.	–2304.67)	1577.23	897.05	–680.18

विधि विभाग

मुख्यशीर्ष "4059"

लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय

मू.	22456.14)			
पू.	15.00)			
पु.	–11731.00)	10740.14	10075.99	–664.15

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षो के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय– निर्देशन एवं प्रशासन – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–मध्य जिला – 2984.85 लाख रूपये की बचत (3881.90 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने/स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4059"**– लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय – **(अ)** कार्यालय भवन – निर्माण – न्याय पालिका के लिए आधारभूत सुविधाऐं (सी.एस.एस.) – 1406.14 लाख रूपये की बचत (3056.14 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त धन राशि के अनुसार प्रावधान रखने के कारण हुई।

(ब) अन्य भवन – निर्माण – **(i)** कड़कड़डूमा में मौजूदा कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर के सामने नये प्लॉट पर नये अतिरिक्त न्यायालयों का निर्माण – 1135.46 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head: –

1. **Under Major Head "4070"** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – High Court – Savings of ₹1616.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2365.80 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹183.85 lakhs) was mainly due to less utilization of funds on services and purchase of equipment.

In the **Voted portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹15860.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27175.24 lakhs inclusive of the supplementary provision of ₹25.10 lakhs) constituted 58.36% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹10287.10 lakhs remained wholly un-utilised under seven sub-heads. This includes the following sub-head:-

1. **Under Major Head "4059"** – Capital Outlay on Public Works – Other Building – Machinery and Equipment – Setting up of Hybrid Hearding at District Courts – ₹10000.00 lakhs – due to project was at tender stage.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Central District Court
Major Head "4070"
Capital Outlay on Other Administrative Services:

O.	3881.90)			
R.	-2304.67)	1577.23	897.05	-680.18

Law Department
Major Head "4059"
Capital Outlay on Public Works:

O.	22456.14)			
S.	15.00)			
R.	-11731.00)	10740.14	10075.99	-664.15

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "4070"** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – Principal District & Session Judges – Central District – Savings of ₹2984.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3881.90 lakhs) was mainly due to proposals could not be finalized/ sanction not received.

2. **Under Major Head "4059"** – Capital Outlay on Public Works – (A) Office Buildings – Construction – Infrastructural Facilities for Judiciary (CSS) – Savings of ₹1406.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3056.14 lakhs) was mainly due to provision kept as per funds received from Govt of India.

   (B) Other Buildings – Construction – (i) Construction of Additional Courts at New Plot at Karkardooma in Front of Existing Karkardooma Court Complex – Savings of ₹1135.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(ii) उस्मानपुर पुलिस थाने के पास शास्त्री पार्क में जिला न्यायालय परिसर का निर्माण – 1328.16 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति और कार्य/व्यय की गति तथा ऋण पत्र पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(iii) रोहिणी सेक्टर 26 में जिला न्यायालय परिसर का निर्माण – 2410.43 लाख रूपये की बचत (3001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति और ऋण पत्र पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 423.54 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "4059"**– लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय – अन्य भवन – निर्माण – न्यायालयों का नवीनीकरण, परिवर्धन एवं परिवर्तन – 4309.58 लाख रूपये का अधिक व्यय (2913.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 13.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः न्यायालय भवन के नवीनीकरण, विस्तार और परिवर्तन के लिए आवश्यक धन राशि रखने के कारण हुआ।

(ii) Construction of District Court Complex at Shastri Park Near Usman Pur Police Station – Savings of ₹1328.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work and as pace of the work/expenditure and non finalization of letter of credit.

(iii) Construction of District Court Complex at Rohini Sector-26 – Savings of ₹2410.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work and non finalization of letter of credit.

Further, saving of ₹423.54 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off –set by excess under the following sub-head:

1. **Under Major Head "4059"** – Capital Outlay on Public Works – Other Buildings – Construction – Renovation, Addition and Alteration of Courts – excess of ₹4309.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2913.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹13.00 lakhs) was mainly due to funds required for renovation, addition & alteration of court building.

अनुदान संख्या 4 – वित्त

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित

मूल	11,00)	11,00	2,44	–8,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0,00
स्वीकृत –				
मूल	331,90,00)			
पूरक	9,00)	331,99,00	243,07,05	–88,91,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–49,09,18

पूंजीगत

स्वीकृत –

मूल	78,25,00)			
पूरक	7,56,18)	85,81,18	35,62,65	–50,18,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–3,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 8.56 लाख रूपये की बचत थी (11.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 77.82 प्रतिशत थी ।

1.00 लाख रूपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में कुल 8891.95 लाख रूपये की बचत थी (33199.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 9.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 26.78 प्रतिशत थी ।

472.00 लाख रूपये की राशि नौ उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

प्रधान लेखा कार्यालय

मुख्यशीर्ष "2054"

राजकोष एवं लेखा प्रशासन

मू.	6391.00)			
पु.	516.50)	5874.50	5495.39	–379.11

GRANT NO. 4 – FINANCE

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged				
Original	11,00)	11,00	2,44	-8,56
Amount surrendered during the year				0,00
Voted				
Original	331,90,00)			
Supplementary	9,00)	331,99,00	243,07,05	-88,91,95
Amount surrendered during the year				-49,09,18
CAPITAL				
Voted				
Original	78,25,00)			
Supplementary	7,56,18)	85,81,18	35,62,65	-50,18,53
Amount surrendered during the year				-3,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹8.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11.00 lakhs) which constituted 77.82% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹1.00 lakhs remained wholly un-utilised under one sub-head.

In the **Voted portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹8891.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33199.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹9.00 lakhs) which constituted 26.78% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹472.00 lakhs remained wholly un-utilised under nine sub-heads.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Principal Accounts Office
Major Head "2054"
Treasury and Accounts Administration

O.	6391.00)			
R.	516.50)	5874.50	5495.39	-379.11

उत्पाद शुल्क एवं मनोरंजन कर विभाग

मुख्यशीर्ष "2039"

राज्य उत्पाद शुल्क				
मू.	5222.85)			
पू.	1.00)			
पु.	–2491.60)	2732.25	2150.50	–581.75

व्यापार एवं कर विभाग

मुख्यशीर्ष "2043"

राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह प्रभार				
मू.	11086.55)			
पू	1.00)			
पु.	–1136.55)	9951.00	8189.76	–1761.24

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2054"**– राजकोष एवं लेखा प्रशासन – लेखा तथा राजकोष निदेशालय – लेखा निदेशालय – 953.06 लाख रूपये की बचत (5816.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों और कम दावों/बिलों के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2039"**– राज्य उत्पाद शुल्क – निर्देशन एवं प्रशासन – जिला कार्यकारी स्थापना – 2184.25 लाख रूपये की बचत (3726.15 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने, प्रशासनिक कारणों से जनवरी 2024 एवं फरवरी 2024 की अवधि के लिए ईएससीआईएमएस पोर्टल के प्रबंधन हेतु टीसीएस को और ई–आबकारी पोर्टल के कार्यान्वयन हेतु एनआईसी को भुगतान 31.03.2025 से पूर्व नहीं कर सकने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2043"**– राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह प्रभार – संग्रह प्रभार – 2761.56 लाख रूपये की बचत (9774.40 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम मरम्मत एवं रखरखाव कार्य, अधिवक्ताओं के बिल न प्राप्त होने, रिक्त पदों के न भरने, विभिन्न विविध वस्तुओं की खरीद के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन में स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त न होने और विशेष लेखा परीक्षा के आधार पर केवल कुछ भुगतान जारी कर सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1384.04 लाख रूपये की बचत चार उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड. रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 5018.53 लाख रूपये की बचत थी (8581.18 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 756.18 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 58.48 प्रतिशत थी ।

2461.00 लाख रूपये की राशि चार उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उप–शीर्ष शामिल हैंः–

1. **मुख्यशीर्ष "5475"**– अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – सांख्यिकी – योजना भवन का निर्माण – 2400.00 लाख रूपये – मुख्यतः परामर्श सेवाओं/डीपीआर की तैयारी, भूमि अधिग्रहण के अधीन प्रस्तावों के शुरू होने व कुछ प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन होने के कारण।

Excise and Entertainment Tax Department
Major Head "2039"
State Excise

O.	5222.85)			
S.	1.00)			
R.	-2491.60)	2732.25	2150.50	-581.75

Department of Trade & Taxes
Major Head "2043"
Collecton Charges under State Goods & Services Tax

O.	11086.55)			
S.	1.00)			
R.	-1136.55)	9951.00	8189.76	-1761.24

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2054"** – Treasury and Accounts Administration – Directorate of Accounts and Treasuries – Directorate of Accounts – Saving of ₹953.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5816.00 lakhs) was mainly due to vacant posts and receipt of less claims/bills.

2. **Under Major Head "2039"** – State Excise – Direction & Administration – District Executive Establishment – Saving of ₹ 2184.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3726.15 Lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, less training programmes conducted and payment to TCS towards management of ESCIMS portal for the period January'24 & February'24 and payment to NIC towards implementation of e Abkari portal could not be released before 31.03.2025 due to administrative reasons.

3. **Under Major Head "2043"** – Collecton Charges under State Goods & Services Tax – Collection Charges – Saving of ₹ 2761.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9774.40 Lakhs) was mainly due to receipt of less claims/bills, less repairs & maintenance works, non receipt of advocates bills, non filling of Vacant posts, administrative approval & expenditure sactions could not be obtained in respect of procurement of various miscellaneous items and some payments could only be released on the basis of Special Audit.

Further, saving of ₹1384.04 lakhs remained under four sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, there was overall saving of ₹5018.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8581.18 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹756.18 lakhs) which constituted 58.48% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹2461.00 lakhs remained wholly unutilised under four sub-heads. This incudes the following sub head:-

1. **Under Major Head "5475"** – Capital Outlay on Other General Economic Services – Statistics – Construction of Yojana Bhawan – ₹2400.00 lakhs – due to consultancy services/ preparation of DPR may be initiated subject to acquisition of land and some proposal were under process.

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

प्रधान लेखा कार्यालय				
मुख्यशीर्ष "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय				
मू.	2155.00)			
पु.	–555.00)	1600.00	275.24	–1324.76
व्यापार एवं कर विभाग				
मुख्यशीर्ष "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय				
मू.	2605.00)			
पू.	2.00)			
पु.	648.00)	3255.00	1767.14	–1487.86

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उप–शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

1. **मुख्यशीर्ष "4070"–** अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – निर्देशन एवं प्रशासन – प्रधान लेखा कार्यालय – 1879.76 लाख रूपये की बचत (2155.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रस्ताव/बिल प्राप्त न होने और कुछ प्रशासनिक कारणों से नये आईएफएमएस परियोजना के लिए केवल आंशिक भुगतान किए जाने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4070"–** अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – अन्य व्यय – व्यापार एवं कर विभाग – 839.86 लाख रूपये की बचत (2607.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विभिन्न विविध वस्तुओं की खरीद के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने और चुनाव के कारण जीएसटीएन की दूसरी किश्त संसाधित नहीं किए जाने के कारण हुई।

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Principal Accounts Office **Major Head "4070"** Capital Outlay on Other Administrative Services O. 2155.00) R. -555.00)	1600.00	275.24	-1324.76
Department of Trade & Taxes **Major Head "4070"** Capital Outlay on Other Administrative Services O. 2605.00) S. 2.00) R. 648.00)	3255.00	1767.14	-1487.86

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "4070"** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction & Administration – Principal Accounts Office – Saving of ₹ 1879.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2155.00 lakhs) was mainly due to no proposal/bills received and due to some administrative reasons only part payment had been made for new IFMS Project.

2. **Under Major Head "4070"** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Other Expenditure – Trade and Taxes – Saving of ₹ 839.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2607.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to Administrative Approval & Expenditure Saction could not be obtained in respect of procurement of various miscellaneous items and 2nd installment of GSTN could not be processed due to election.

अनुदान संख्या 5 – गृह

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित –				
मूल	65,00)			
पूरक	33,00)	98,00	51,35	–46,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत –				
मूल	1100,41,55)			
पूरक	54,34,95)	1154,76,50	1035,47,13	–119,29,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–48,95,00
पूँजीगत				
स्वीकृत –				
मूल	140,63,65)			
पूरक	876,85)	149,40,50	53,97,42	–95,43,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–49,26,20

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 46.65 लाख रूपये की कुल बचत थी (98.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 33.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 47.60 प्रतिशत थी ।

38.00 लाख रूपये की राशि दो उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 11929.37 लाख रूपये की कुल बचत थी (115476.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5434.95 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 10.33 प्रतिशत थी ।

202.20 लाख रूपये की राशि तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

केन्द्रीय कारागार

मुख्यशीर्ष "2056"

जेल

मू.	52366.20)			
पु.	–1409.20)	50957.00	47765.79	–3191.21

GRANT NO. 5 – HOME

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	65,00)			
Supplementary	33,00)	98,00	51,35	-46,65
Amount surrendered during the year				Nil
Voted				
Original	1100,41,55)			
Supplementary	54,34,95)	1154,76,50	1035,47,13	-119,29,37
Amount surrendered during the year				-48,95,00
CAPITAL				
Voted -				
Original	140,63,65)			
Supplementary	876,85)	149,40,50	53,97,42	-95,43,08
Amount surrendered during the year				-49,26,20

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, there was over all saving of ₹46.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹98.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹33.00 lakhs) which constituted of 47.60% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹38.00 lakhs remained wholly un-utilised under two sub-heads.

In the **Voted portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹11929.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹115476.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹5434.95 lakhs) which constituted 10.33% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹202.20 lakhs remained wholly unutilised under three sub-heads.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Central Jail
Major Head "2056"
Jails

O. 52366.20)			
R. -1409.20)	50957.00	47765.79	-3191.21

मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य				
मू.	7961.50)			
पु.	–982.50)	6979.00	6589.02	–389.98
नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड				
मुख्यशीर्ष "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
मू.	3361.00)			
पु.	–1292.85)	2068.50	1854.47	–214.03
दिल्ली अग्निशमन सेवा				
मुख्यशीर्ष "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
मू.	38574.00)			
पू.	5432.95)			
पु.	–1838.95)	42168.00	40122.16	–2045.84
अपराध विज्ञान प्रयोगशाला				
मुख्यशीर्ष "2055"				
पुलिस				
मू.	7778.50)			
पू.	2.00)			
पु.	628.50)	8409.00	7215.69	–1193.31

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2056"–** जेल – निर्देशन एवं प्रशासन – जेल स्थापना – 4025.85 लाख रूपये की बचत (50565.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद और रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

2. **मुख्य शीर्ष "2210"–** चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–ऐलोपैथी – चिकित्सालय एवं औषधालय – केन्द्रीय जेल अस्पताल – 1372.48 लाख रूपये की बचत (7961.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, रिक्त पदों के न भरने और कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2070"**– अन्य प्रशासनिक सेवाएं – नागरिक सुरक्षा – नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड – 1506.88 लाख रूपये की बचत (3361.35 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम मुद्रण कार्य, कम खरीद, कम भर्ती और धनराशि के वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2070"**– अन्य प्रशासनिक सेवायें – अग्नि बचाव एवं नियंत्रण – बचाव एवं नियंत्रण – 3848.92 लाख रूपये की बचत (42979.95 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5432.95 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद, कम मुद्रण एवं प्रकाशन कार्य, प्रशिक्षण पर कम कर्मचारियों के भेजे जाने, वेतन उन्नयन के बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने, अग्निशमन अधिकारियों की आउटसोर्सिग कम करने एवं सक्षम प्रधिकारी द्वारा कुछ प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किए जाने और आग लगने कि कम सूचना प्राप्त होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2055"–** पुलिस – अपराध विज्ञान – अपराध विज्ञान प्रयोगशाला – 563.81 लाख रूपये की बचत (7779.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों और प्रस्तावो/निविदाओं पर अंतिम निर्णय न हो सकने के कारण हुई।

Major Head "2210" Medical and Public Health O. 7961.50) R. -982.50)	6979.00	6589.02	-389.98
Civil Defence & Home Guard **Major Head "2070"** Other Administrative Services: O. 3361.35) R. -1292.85)	2068.50	1854.47	-214.03
Delhi Fire Services **Major Head "2070"** Other Administrative Services O. 38574.00) S. 5432.95) R. -1838.95)	42168.00	40122.16	-2045.84
Forensic Science Laboratory **Major Head "2055"** Police O. 7778.50) S. 2.00) R. 628.50)	8409.00	7215.69	-1193.31

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2056"** – Jails – Direction & Administration – Jail Establishment – Saving of ₹4025.85 lakh (against the sanctioned provision of ₹50565.00 lakhs) was mainly due to receipt of less claims/bills, less procurement and non filling of vacant posts.

2. **Under Major Head "2210"** – Medical and Public Health – Urban Health Services - Allopathy – Hospital and Dispensaries – Central Jail Hospital – Saving of ₹1372.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7961.50 lakhs) was mainly due to less procurement, non filling of vacant posts and less receipts of bills.

3. **Under Major Head "2070"** – Other Administrative Services – Civil Defence – Civil Defence and Home Guards – Saving of ₹ 1506.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3361.35 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less printing work, less procurement, less recruitment and funds received at the fag end of the financial year.

4. **Under Major Head "2070"** – Other Administrative Services – Fire Protection and Control – Protection and Control – Saving of ₹ 3848.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 42979.95 lakhs inclusive of Supplementary provision of ₹5432.95 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, less printing & publication work, less number of employees sent for training, non payment of pay upgradation arrears, outsourced of Fire Officers was reduced, some proposals were not approved by Competent Authority and receipt of less fire calls.

5. **Under Major Head "2055"** – Police – Forensic Science – Forensic Science Laboratory – Saving of ₹ 563.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7779.50 lakhs inclusive of Supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts and proposals/ tenders could not be materialized.

इसके अतिरिक्त, 373.36 लाख रूपये की बचत चार उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 9543.08 लाख रूपये की बचत थी (14940.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 876.85 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 63.87 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षो के अंतर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

केन्द्रीय कारागार

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजी परिव्यय

मू.	2065.00)			
पू.	873.85)			
पु.	–528.85)	2410.00	1002.56	–1407.44

दिल्ली अग्निशमन सेवायें

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूॅजी परिव्यय

मू.	10218.00)			
पु.	–4833.00)	5385.00	2666.84	–2718.16

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षो के अंतर्गत हुईः–

1. **मुख्यशीर्ष "4070"–** अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – केन्द्रीय कारागार – 1435.80 लाख रूपये की बचत (1515.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 800.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः बिलों की प्राप्ति न होने और प्रस्तावो/निविदाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो सकने के कारण हुई।

   (ii) अन्य व्यय – केन्द्रीय कारागार – 500.49 लाख रूपये की बचत (1423.85 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 73.85 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः निविदा के अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हो सकने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4070"–** अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – निर्देशन एवं प्रशासन – दिल्ली अग्नि शमन सेवाएं – 7551.16 लाख रूपये की बचत (10218.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मोटर गाड़ियों की खरीद न होने, 31 मार्च तक कुछ उपकरण न मिलने, विक्रेता द्वारा 35 एसडब्ल्यूटी और 24 अल्ट्रा हाई प्रेशर वॉटर मिस्ट की सप्लाई में देरी, कुछ प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने और फर्नीचर की कम खरीद होने के कारण हुई।

Further, saving of ₹373.36 lakhs remained under four sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, there was overall saving of ₹9543.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14940.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹876.85 lakhs) which constituted 63.87% of the total sanctioned provision.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Central Jail **Major Head "4070"** Capital Outlay on Other Administrative Services O. 2065.00) S. 873.85) R. -528.85)	2410.00	1002.56	-1407.44
Delhi Fire Services **Major Head "4070"** Capital Outlay on Other Administrative Services O. 10218.00) R. -4833.00)	5385.00	2666.84	-2718.16

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "4070"** – Capital Outlay on Other Administrative Services – (a) Direction and Administration – Central Jail – Saving of ₹1435.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1515.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹800.00 lakhs) was mainly due to non receipt of bills and non finalization of some proposals/tender.

   (b) Other Expenditure – Central Jail – Saving of ₹500.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1423.85 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹73.85 lakhs) was mainly due to non finalisation of tender.

2. **Under Major Head "4070"** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – Delhi Fire Services – Saving of ₹7551.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10218.00 lakhs) was mainly due to non procurement of motor vehicles, non receipt of some equipments till 31 March, delay by vendor in supplying 35 No. of SWT & 24 No. of Ultra High Pressure Water Mist, some proposals were not approved by Competent Authority and less procurement of furniture.

अनुदान संख्या 6 – शिक्षा

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित–				
मूल	505,00)			
पूरक	15,01,00)	20,06,00	12,76,03	–7,29,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–1,00
स्वीकृत –				
मूल	16056,40,75)			
पूरक	77,84,72)	16134,25,47	14773,05,94	–1361,19,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–469,33,42
पूंजीगत				
स्वीकृत –				
मूल	101,47,25)			
पूरक	72,08,15)	173,55,40	50,30,98	–123,24,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–29,57,40

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 729.97 लाख रूपये की कुल बचत थी (2006.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1501.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 36.39 प्रतिशत थी।

3.00 लाख रूपये की राशि तीन उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहीं।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षो के अंतर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

शिक्षा निदेशालय				
मुख्यशीर्ष "2202"				
सामान्य शिक्षा				
मू.	500.00)			
पु.	1500.00)	2000.00	1275.78	–724.22

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – सरकारी माध्यमिक स्कूल – 724.22 लाख रूपये की कुल बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1500.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः बिलों का भुगतान न होने और कोर्ट केस फाईनल न होने के कारण हुई।

GRANT NO. 6 – EDUCATION

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	505,00)			
Supplementary	15,01,00)	20,06,00	12,76,03	-7,29,97
Amount surrendered during the year				-1,00
Voted -				
Original	16056,40,75)			
Supplementary	77,84,72)	16134,25,47	14773,05,94	-1361,19,53
Amount surrendered during the year				-469,33,42
CAPITAL				
Voted -				
Original	101,47,25)			
Supplementary	72,08,15)	173,55,40	50,30,98	-123,24,42
Amount surrendered during the year				-29,57,40

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹729.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2006.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1501.00 lakhs) constituted 36.39% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹3.00 lakhs remained wholly un-utilised under three sub-head.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

Directorate of Education
Major Head "2202"
General Education

O.	500.00)			
R.	1500.00)	2000.00	1275.78	-724.22

1. **Under Major Head "2202"** – General Education – Secondary Education – Government Secondary Schools – Savings of ₹724.22 lakh (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to non clearance of bills and non finalization of court cases.

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 136119.53 लाख रूपये की कुल बचत थी (1613425.47 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 7784.72 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 8.44 प्रतिशत थी।

21449.42 लाख रूपये की राशि 76 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – **(अ)** माध्यमिक शिक्षा –(क) निरीक्षण – दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान – 700.00 लाख रूपये – वित्त विभाग द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने से वर्ष 2024–25 के लिए कोई अनुदान जारी नहीं होने के कारण।

   (ख) राजकीय माध्यमिक विद्यालय – विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालय को सहायता अनुदान – 4200.00 लाख रूपये – वित्त विभाग द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कोई अनुदान जारी नहीं होने के कारण।

   (ब) सामान्य – छात्रवृति – शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण – 2253.62 लाख रूपये – लाभार्थियों/बिलों के कम होने और प्रस्तावों को 31 मार्च 2024 तक वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि वित्त विभाग द्वारा 1 करोड़ रूपये तक व्यय की सीमा तय करने के लिए जारी परिपत्र के कारण भुगतान नहीं कर सकने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2204"**– खेल एवं युवा सेवाएं – गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – उत्कृष्टता अभियान – खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता – 700.00 लाख रूपये – लाभार्थियों के चयन पर अंतिम स्वीकृति न होने और वर्ष 2022–23 व 2023–24 के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने के लिए, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई

3. **मुख्यशीर्ष "2203"**– तकनीकी शिक्षा – (क) अनुसंधान – बिजनेस ब्लास्टर सीनियर्स – 1400.00 लाख रूपये – इस योजना के अभी तक शुरू नहीं होने के कारण।

   (ख) इंजीनियरिंग तकनीकी कॉलेज और संस्थान – दिल्ली तकनीकी विश्वद्यालय को सहायता अनुदान – 4100.00 लाख रूपये – सहायता अनुदान जारी न होने एवं वित्त विभाग द्वारा किसी भी सहायता अनुदान को मंजूरी न देने के कारण, डीटीयू को कोई सहायता अनुदान जारी नहीं किया जा सका।

4. **मुख्यशीर्ष "2230"**– श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास – प्रशिक्षण – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान – (i) छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आई.टी.आई) – 1000.00 लाख रूपये – योजना बंद होने के कारण।

   (ii) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सी.एस.एस) – 900.00 लाख रूपये – योजना बंद होने के कारण, तथापि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कुछ प्रतिबिद्ध देनदारियों का वितरण टीसी/टीपी/एबी को नहीं किए जा सकने के कारण ।

5. **मुख्यशीर्ष "2205"**– कला एवं संस्कृति – पुरातत्व सर्वेक्षण – स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्वार और विकास कार्यों के लिए ट्रस्ट/एनजीओ/फाउन्डेशन/संस्था को सहायता अनुदान – 1000.00 लाख रूपये – कम सहायता अनुदान जारी होने एवं योजना पर अंतिम स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।

6. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट को दिल्ली उच्च और तकनीकी शिक्षा आश्वासन योजना के लिए सहायता अनुदान – 500.00 लाख रूपये – योग्य छात्रों की संख्या के अनुसार प्रावधान रखने एवं नई योजना 'मेरिट कम मीन्स इनकम लिंक्ड वित्तीय सहायक योजना' से बदलाव होने के कारण।

   (ख) विश्वविद्यालयों को सहायता – स्पोकन इंग्लिश के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान – 500.00 लाख रूपये – कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण।

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹136119.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1613425.47 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹7784.72 lakhs) constituted 8.44% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹21449.42 lakhs remained wholly unutilised under seventy- six sub-heads. This includes the following sub-heads: –

1. **Under Major Head "2202"** – General Education – (A) Secondary Education – (a) Inspection – Grant in Aid to Delhi Board of School Education – ₹700.00 lakh – due to no grant released for 2024-25 as file was not approved by Finance Department.

   (b) Govt.Secondary Schools – Grant-In-Aid to School of Specialised Excellence – ₹ 4200.00 lakh – due to no grant released for FY 2024-25 as file was not approved by Finance Department.

   (B) General – Scholarships – Welfare of Educationally Backward Minority Students – ₹ 2253.62 lakh – due to less beneficiaries/bills and circular issued by Finance Department for capping of expenditure upto one crore hence payment could not made as proposal was not approved by Finance Department till 31st March, 2025.

2. **Under Major Head "2204"** – Sports and Youth Services – Youth Welfare Programme For Non-Students – Mission Excellence-Financial Assistance to Sports Persons – ₹700.00 lakh – due to selection of beneficiaries not finalized and approval of competent authority not given for inviting applications for the year 2022-23 &2023-24.

3. **Under Major Head "2203"** – Technical Education – (a) Research – Business Blaster Seniors – ₹1400.00 lakh – due to scheme was yet to be launched.

   (b) Engineering/Technical Colleges and Institutes – Grant-In-Aid to Delhi Technological University – ₹4100.00 lakh – due to non release of Grant-in-Aid and no GIA was released to DTU as Finance Department did not approve any Grant-In-Aid.

4. **Under Major Head "2230"** – Labour, Employment and Skill Development – Training – Industrial Training Institutes – (i) Entrepreneurship Development Programme for students (ITI) – ₹1000.00 lakh – due to scheme was closed.

   (ii) Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna (CSS) – ₹900.00 lakhs – due to closure of scheme, however some committed liabilities could not be disbursed to the TCs/TPs/ ABs during the FY 2024-25.

5. **Under Major Head "2205"** – Art and Culture – Archaeology – Grant-In-Aid to Trust/NGO/Foundation/Institutions for Conservation Restoration & Development Workers of Monuments of GNCTD – ₹1000.00 lakhs – due to release of less Grants in Aid & scheme was not finally approved.

6. **Under Major Head "2202"** – General Education – University and Higher Education – (a) Direction & Administration – Grant in Aid to Delhi Higher Education Aid Trust for Delhi Higher and Technical Education support Scheme – ₹500.00 lakh – due to provision kept as per eligible number of students and replaced by new scheme "Merit cum means income linked financial assistance scheme".

   (b) Assistance to Universities – Grant in Aid to DSEU for Spoken English Programme – ₹500.00 lakh – due to release of less Grant-in-Aid.

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2202"

सामान्य शिक्षा

मू.	1461882.50)			
पू.	7756.00)			
पु.	–35028.24)	1434611.06	1369641.90	–64969.16

मुख्यशीर्ष "2204"

खेल एवं युवा सेवाऐं

मू.	10809.41)			
पू.	2.37)			
पु.	–1457.49)	9354.29	7363.80	–1990.49

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2203"

तकनीकी शिक्षा

मू.	35930.70)			
पू.	5.00)			
पु.	–224.29)	35711.41	26316.25	–9395.16

मुख्यशीर्ष "2230"

श्रम एवं रोजगार व कौशल विकास

मू.	20722.05)			
पू.	0.55)			
पु.	–4156.46)	16566.14	13419.20	–3146.94

भाषा विभाग

मुख्यशीर्ष "2205"

कला एवं संस्कृति

मू.	8828.00)			
पू.	10.00)			
पु.	–1227.75)	7610.25	5579.48	–2030.77

उच्च शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2202"

सामान्य शिक्षा

मू.	59230.00)			
पू.	7.00)			
पु.	–3420.49)	55816.60	49532.62	–6283.98

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Directorate of Education			
Major Head "2202"			
General Education			
O. 1461882.50)			
S. 7756.80)			
R. -35028.24)	1434611.06	1369641.90	-64969.16
Major Head "2204"			
Sports and Youth Services			
O. 10809.41)			
S. 2.37)			
R. -1457.49)	9354.29	7363.80	-1990.49
Directorate of Training & Technical Education			
Major Head "2203"			
Technical Education			
O. 35930.70)			
S. 5.00)			
R. -224.29)	35711.41	26316.25	-9395.16
Major Head "2230"			
Labour, Employment and Skill Development			
O. 20722.05)			
S. 0.55)			
R. -4156.46)	16566.14	13419.20	-3146.94
Language Department			
Major Head "2205"			
Art and Culture			
O. 8828.00)			
S. 10.00)			
R. -1227.75)	7610.25	5579.48	-2030.77
Directorate of Higher Education			
Major Head "2202"			
General Education			
O. 59230.09)			
S. 7.00)			
R. -3420.49)	55816.60	49532.62	-6283.98

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – **(अ)** प्रारंभिक शिक्षा – (क) राजकीय प्राथमिक विद्यालय – वर्तमान सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक कक्षाओं का प्रावधान – 3684.89 लाख रूपये की बचत (35432.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, दावों/बिलों के कम प्राप्त होने, कम मुद्रण एवं प्रकाशन कार्य, कम खरीद, कार्यालयों के खर्चों में कमी एवं कर्मचारियों के एमएसीपी/स्टेपिंग अप मामलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ख) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.पोषण) – (i) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.पोषण) (सी.एस.एस.) – 8457.48 लाख रूपये की बचत (19958.21 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त राशि/प्राप्त होने वाली राशि के आधार पर प्रावधान रखने और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिल्ली सरकार को केवल तीन किस्तें प्राप्त हुई और बकाया चौथी किस्त मंत्रालय द्वारा अगले वर्षों में प्रतिबद्ध देनदारियां के रूप में जारी की जाएगी। इसके अलावा तीसरी किस्त मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह में मिली थी जिसके कारण वित्तीय वर्ष की बची हुई छोटी अवधि में तीसरी किस्त को खर्च करना संभव नहीं था।

(ii) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.पोषण) (राज्य अंश) – 4648.73 लाख रूपये की बचत (11196.63 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुपातिक राज्य अंश और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिल्ली सरकार को केवल तीन किस्तें प्राप्त हुई और बकाया चौथी किस्त मंत्रालय द्वारा अगले वर्षों में प्रतिबद्ध देनदारियां के रूप में जारी की जाएगी। इसके अलावा तीसरी किस्त मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह में मिली थी जिसके कारण वित्तीय वर्ष की बची हुई छोटी अवधि में तीसरी किस्त को खर्च करना संभव नहीं था।

(ग) समग्र शिक्षा – (i) समग्र शिक्षा (राज्य अंश) – 3139.68 लाख रूपये की बचत (13202.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अनुपातिक राज्य अंश और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान केवल पहली, दूसरी और तीसरी किस्तें शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से जारी होने के कारण हुई। कुल राशि 60:40 के अनुपात में जैसा कि रूपये 35286.38 लाख व रूपये 14248.68 वास्तविक रूप से जारी की गई थी जोकि उपयोग कर ली गई। यद्यपि संशोधित अनुमान 2024–25 के तहत बचत दिखाई गई थी और राज्य टॉपअप निधि में केवल दो किस्तें वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त हुई थी।

(ii) समग्र शिक्षा–शिक्षक शिक्षा – 527.25 लाख रूपये की बचत (1391.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) समग्र शिक्षा–शिक्षक शिक्षा (राज्य अंश) – 2309.27 लाख रूपये की बचत (2701.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः आनुपातिक राज्य हिस्सेदारी एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.पोषण) (सी.एस.एस) (एस.सी.एस.पी) – 1506.91 लाख रूपये की बचत (2900.82 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त राशि/प्राप्त होने वाली राशि के आधार पर प्रावधान रखने और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिल्ली सरकार को केवल तीन किस्तें प्राप्त हुई और बकाया चौथी किस्त मंत्रालय द्वारा अगले वर्षों में प्रतिबद्ध देनदारियां के रूप में जारी की जाएगी। इसके अलावा तीसरी किस्त मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह में मिली थी जिसके कारण वित्तीय वर्ष की बची हुई छोटी अवधि में तीसरी किस्त को खर्च करना संभव नहीं था।

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2202"** – General Education – (A) Elementary Education – (a) Govt. Primary School – Provision of pre-primary/primary classes in existing Government Schools – Saving of ₹3684.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35432.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less printing & publication work, less procurement, decrease in office expenses and non finalization of MACP/Stepping up cases of staff.

   (b) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN) – (i) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN) (CSS) – Saving of ₹8457.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19958.21 lakhs) was mainly due to provision kept as per funds received/ to be received from Govt of India and Govt. of Delhi received only three instalment during the financial year 2024-25 and the pending fourth instalment will be released by ministry in the subsequent years as committed liabilities. Further, the third instalment was received in the last week of March-2025 due to which expenditure of the third instalment in the remaining short period of financial year was not possible.

   (ii) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN) (State Share) – Saving of ₹4648.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11196.63 lakhs) was mainly due to proportionate state share and Govt. of Delhi received only three instalment during the financial year 2024-25 and the pending fourth instalment will be released by ministry in the subsequent years as committed liabilities. Further, the third instalment was received in the last week of March-2025 due to which expenditure of the third instalment in the remaining short period of financial year was not possible.

   (c) Samagra Shiksha – (i) Samagra Shiksha (State Share) – Saving of ₹3139.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13202.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to proportionate state share and Only 1st, 2nd and 3rd Installment during the FY 2024-25 released by Ministry of Education (MoE), Govt. of India. The total released amount 60:40 ratio i.e. Rs. 35286.38 lakhs + Rs. 14248.68 Lakhs of actual released and utilized. However the saving against RE 2024-25 has shown saving and in state Top Up funds only two installment received during the Financial Year 2024-25.

   (ii) Samagra Shiksha - Teacher Education – Saving of ₹527.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1391.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to less receipts of funds from Ministry of Education, Govt. of India.

   (iii) Samagra Shiksha - Teacher Education (State Share) – Saving of ₹2309.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2701.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to proportionate state share and less receipts of funds from Ministry of Education, Govt. of India.

   (d) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN) (CSS) (SCSP) – Saving of ₹1506.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2900.82 lakhs) was mainly due to provision kept as per funds received/ to be received from Govt of India and Govt. of Delhi received only three instalment during the financial year 2024-25 and the pending fourth instalment will be released by ministry in the subsequent years as committed liabilities. Further, the third instalment was received in the last week of March-2025 due to which expenditure of the third instalment in the remaining short period of financial year was not possible.

(ii) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.पोषण) (राज्य अंश) (एस.सी.एस.पी) – 973.34 लाख रूपये की बचत (2344.34 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुपातिक राज्य अंश और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिल्ली सरकार को केवल तीन किस्तें प्राप्त हुई और बकाया चौथी किस्त मंत्रालय द्वारा अगले वर्षों में प्रतिबद्ध देनदारियां के रूप में जारी की जाएगी। इसके अलावा तीसरी किस्त मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह में मिली थी जिसके कारण वित्तीय वर्ष की बची हुई छोटी अवधि में तीसरी किस्त को खर्च करना संभव नहीं था।

(ब) माध्यमिक शिक्षा – (क) शिक्षक प्रशिक्षण – एस.सी.ई.आर.टी. को सहायता अनुदान – 2477.65 लाख रूपये की बचत (10031.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं पिछले वर्ष की अप्रयुक्त बकाया राशि को समायोजित करने के कारण हुई।

(ख) पाठ्य पुस्तकें – पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति – 4158.34 लाख रूपये की बचत (12001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डीबीटीबी को रूपये 58.00 करोड़ का भुगतान जारी करने संबंधी फाईल वित्त विभाग के अनुमोदन के लिए भेजी गई थी, परन्तु अनुमोदन प्राप्त न हो सकने के कारण हुई।

(ग) राजकीय माध्यमिक विद्यालय – (i) बारहवीं कक्षा में कम्प्यूटर विज्ञान का परिचय – 1352.62 लाख रूपये की बचत (8200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद / बिलों, कम व्यय एवं बिलों का भुगतान न होने कारण हुई।

(ii) युवा योजना – 513.14 लाख रूपये की बचत (3000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद / बिलों, कम मुद्रण एवं प्रकाशन कार्य एवं कम गतिविधियां होने के कारण हुई।

(iii) अतिरिक्त स्कूली सुविधाएं – 55893.69 लाख रूपये की बचत (659802.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, दावों / बिलों के कम प्राप्त होने, मुद्रण कार्य न होने, खरीद न होने, कर्मचारियों के एमएसीपी / स्टेपिंग अप मामलों का निपटारा न होने एवं कुछ बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(iv) विद्यालयों व्यावसायिक शिक्षा – 3089.77 लाख रूपये की बचत (8697.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, दावों / बिलों के कम प्राप्त होने, कम खरीद, पीटीवीटी के वेतन के अनुसार, कर्मचारियों के एमएसीपी / स्टेपिंग अप मामलों का निपटारा न होने एवं कुछ बिलों का निपटारा न होने कारण हुई।

(v) छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (स्कूली छात्र) – 713.88 लाख रूपये की बचत (4000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः गतिविधियों के संचलित न होने एवं प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रस्ताव पर अनुमति प्राप्त न हो सकने के कारण हुई। .

(vi) समावेशी शिक्षा – 3930.18 लाख रूपये की बचत (13038.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1. 00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कोई प्रक्षिशण न होने, विदेश यात्रा न होने, कम आपूर्ति, कर्मचारियों के एमएसीपी / स्टेपिंग अप मामलो के फाइनल न होने, रिक्त पदो के न भरे जाने एवं कुछ बिलों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(घ) गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – कर्मचारियों के वेतन हेतु सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता – 3269.62 लाख रूपये की बचत (80001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कर्मचारियों के एमएसीपी / स्टेपिंग अप मामलो के फाइनल न होने, रिक्त पदो के न भरे जाने एवं कुछ बिलों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(ii) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN) (State Share) (SCSP)– Saving of ₹973.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2344.34 lakhs) was mainly due to proportionate state share and Govt. of Delhi received only three instalment during the financial year 2024-25 and the pending fourth instalment will be released by ministry in the subsequent years as committed liabilities. Further, the third instalment was received in the last week of March-2025 due to which expenditure of the third instalment in the remaining short period of financial year was not possible.

(B) Secondary Education – (a) Teachers Training – Grant-in-aid to SCERT – Saving of ₹2477.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10031.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and unspent balance of previous year adjusted.

(b) Text Books – Free Supply of Text Books – Saving of ₹4158.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to file regarding release of payment amounting to Rs. 58.00 crore (approx.) to DBTB was under submission to Finance Department for approval but not approved.

(c) Govt. Secondary Schools – (i) Introduction of Computer Science AT+2 Stage – Saving of ₹1352.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8200.00 lakhs) was mainly due to less procurement/bills, less expenditure and non clearance of bills.

(ii) Scheme of YUVA – Saving of ₹513.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was mainly due to less procurement/bills, less printing & publication work and less activity.

(iii) Additional Schooling Facilities – Saving of ₹55893.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹659802.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, no printing works, no procurement made, non finalization of MACP/Stepping up cases of staff and some bills could not be finalized.

(iv) Vocational Education in Schools – Saving of ₹3089.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8697.50 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, as per wages of PTVT, non finalization of MACP/Stepping up cases of staff and some bills could not be finalized.

(v) Entrepreneurship Development Programme for Students (Schools Students) – Saving of ₹713.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due to activity not conducted and proposal regarding committed liabilities could not be approved.

(vi) Inclusive Education – Saving of ₹3930.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13038.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to no training conducted, no foreign tour conducted, less procurement, non finalization of MACP/Stepping up cases of staff, non-filling up of vacant post and some bills could not be finalized.

(d) Assistance to Non Govt. Secondary Schools – Assistance to Govt. aided schools for salaries of Employees – Saving of ₹3269.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non finalization of MACP/Stepping up cases of staff, non-filling up of vacant post and some bills could not be finalized.

(ड.) समग्र शिक्षा – (i) समग्र शिक्षा (राज्य अंश) – 1039.51 लाख रूपये की बचत (2867.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अनुपातिक राज्य अंश और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान केवल पहली, दूसरी और तीसरी किस्तें शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से जारी होने के कारण हुई। कुल राशि 60:40 के अनुपात में जैसा कि रूपये 35286.38 लाख व रूपये 14248.68 वास्तविक रूप से जारी की गई थी जोकि उपयोग कर ली गई। यद्यपि संशोधित अनुमान 2024–25 के तहत बचत दिखाई गई थी और राज्य टॉपअप निधि में केवल दो किस्तें वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त हुई थी।

(ii) समग्र शिक्षा (सी.एस.एस) – 1731.22 लाख रूपये की बचत (6501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधि के आधार पर प्रावधान रखने के कारण और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान केवल पहली, दूसरी और तीसरी किस्तें जारी होने के कारण हुई। कुल राशि 60:40 के अनुपात में जैसा कि 35286.38 लाख रूपये + 14248.68 लाख रूपये वास्तविक रूप से जारी की गई थी जोकि उपयोग कर ली गई। यद्यपि संशोधित अनुमान 2024–25 के तहत बचत दिखाई गई थी और राज्य टॉपअप निधि में केवल दो किस्तें वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त हुई थी।

(च) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – विद्यार्थियों को विद्यालय वर्दियों के लिए छूट (एस.सी.एस.पी.) – 1078.46 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों/बिलों के कम होने एवं वित्त विभाग द्वारा 1 करोड़ रूपये के संबंध में रोक लगाने के लिए जारी परिपत्र के कारण, वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 तक प्रस्ताव को स्वीकृत न करने के कारण भुगतान नही किया जा सका।

(छ) अन्य व्यय – छात्रों को विद्यालय वर्दियों पर छूट के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान – 687.02 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2204"–** खेल एवं युवा सेवाएं – खेल व क्रीड़ा – (i) खेलों को प्रोत्साहन – 506.83 लाख रूपये की बचत (2129.40 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कर्मचारियों के एमएसीपी/ स्टेपिंग अप मामलो के फाइनल न होने, रिक्त पदो के न भरे जाने एवं कुछ बिलों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(ii) खेल और प्रगति–खेल में उत्कृष्टता के लिए स्कूली छात्रों के लिए वित्तीय सहायता 847.72 लाख रूपये की बचत (900.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों के चयन पर अंतिम स्वीकृति न होने और वर्ष 2022–23 व 2023–24 के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने के लिए, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2203"–** तकनीकी शिक्षा – (क) तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता – नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 2701.28 लाख रूपये की बचत (5600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम प्रस्ताव प्राप्त होने एवं सहायता अनुदान केवल वेतन के लिए जारी होने के कारण हुई।

(ख) इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान – (i) दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 820.16 लाख रूपये की बचत (4201.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा डीपीएसआरयू के लिए कम सहायता राशि जारी करने के कारण हुई।

(ii) महिलाओं के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 950.00 लाख रूपये की बचत (2200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम व्यय होने एवं वित्त विभाग द्वारा कम सहायता राशि जारी करने के कारण हुई।

(e) Samagra Shiksha – (i) Samagra Shiksha (State Share) – Saving of ₹1039.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2867.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to proportionate state share and Only 1st, 2nd and 3rd Installment during the FY 2024-25 released by Ministry of Education (MoE), Govt. of India. The total released amount 60:40 ratio i.e. Rs. 35286.38 lakhs + Rs. 14248.68 Lakhs of actual released and utilized. However the saving against RE 2024-25 has shown saving and in state Top Up funds only two installment received during the FY 2024-25.

(ii) Samagra Shiksha (CSS) – Saving of ₹1731.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per funds received/ to be received from Govt of India and Only 1st, 2nd and 3rd Installment during the FY 2024-25 released by Ministry of Education (MoE), Govt. of India. The total released amount 60:40 ratio i.e. Rs. 35286.38 lakhs + Rs. 14248.68 Lakhs of actual released and utilized. However the saving against RE 2024-25 has shown saving and in state Top Up funds only two installment received during the FY 2024-25.

(f) Special Component Plan for Scheduled Castes – Subsidy for School Uniforms to the Students (SCSP) – Saving of ₹1078.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries/bills and circular issued by Finance Department regarding capping of one crore, payment could not done as proposal was not approved by Finance Department till 31st March, 2025.

(g) Other Expenditure – Grant-In-Aid to Aided Schools for Subsidy for School Uniforms to Students – Saving of ₹687.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid.

2. **Under Major Head "2204"** – Sports and Youth Services – Sports and Games – (i) Promotion of Sports – Saving of ₹506.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2129.40 lakhs) was mainly due to non finalization of MACP/Stepping up cases of staff, non-filling up of vacant post and some bills could not be finalized.

(ii) Play & Progress – Finacial Assistance to School Students for Excellence in Sports – Saving of ₹847.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was mainly due to selection of beneficiaries not finalized and approval of competent authority not given for inviting applications for the year 2022-23 &2023-24.

3. **Under Major Head "2203"** – Technical Education – (a) Assistance to Universities for Technical Education – (i) Grant-in-aid to Netaji Subhash University of Technology – Saving of ₹2701.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5600.00 lakhs) was mainly due to less proposal received and Grant-in-aid released only for salary.

(b) Engineering/Technical Colleges and Institutes – (i) Grant in Aid to Delhi Pharmaceutical Science and Research University – Saving of ₹820.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4201.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to less Grant-In-Aid released to DPSRU by Finance Department.

(ii) Grant-in-aid to Technical University for Women – Saving of ₹950.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was mainly due to less expenditure and less Grant-In-Aid released by Finance Department.

4. **मुख्यशीर्ष "2230"**— श्रम, रोजगार व कौशल विकास – प्रशिक्षण – शिल्पकार व पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण – शिल्पकार प्रशिक्षण योजना – 4217.91 लाख रूपये की बचत (15580.90 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कर्मचारियों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्त होने, रिक्त पदो के न भरे जाने, कम खरीद, फर्मों/ठेकेदारों द्वारा बिलों को जमा न करने एवं स्टैंडिग काउंसल की नियुक्ति में देरी होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2205"**— कला एवं संस्कृति – कला व संस्कृति का विकास – हिन्दी अकादमी को अनुदान – 1320.12 लाख रूपये की बचत (2851.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः आम चुनाव 2024 के संबंध में आदर्श आचार संहिता लागू होने से कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सके और रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा – (क) विश्वविद्यालयों को सहायता – (i) अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना – 4450.00 लाख रूपये की बचत (9200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं वित्त विभाग, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा सहायता अनुदान–सामान्य के अंतर्गत 7.50 करोड़ रूपये जारी करने के प्रस्ताव पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे जाने की वजह से, विचार न करने के कारण हुई।

(ii) खेल विश्वविद्यालय के लिए सहायता अनुदान – 1848.07 लाख रूपये की बचत (2464.09 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पास बड़ी मात्रा में अव्ययतित शेष राशि होने के कारण सहायता अनुदान–जनरल के तहत 10.09 करोड़ रूपये की राशि के पुनर्वैधिकरण के प्रस्ताव पर विचार न करने के कारण हुई।

(ख) सरकारी कॉलेज और संस्थान – केशव महाविद्यालय को सहायता अनुदान – 534.88 लाख रूपये की बचत (3360.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान राशि जारी करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 6256.30 लाख रूपये की बचत 18 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षो के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा – (अ) प्रारंभिक शिक्षा – (क) प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता – प्राथमिक शिक्षा के लिए दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 3357.23 लाख रूपये का अधिक व्यय (202697.38 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ख) समग्र शिक्षा – (i) समग्र शिक्षा (सी.एस.एस.) – 523.87 लाख रूपये का अधिक व्यय (25726.80 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 7721.80 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त राशि/प्राप्त होने वाली राशि के आधार पर प्रावधान रखने के कारण हुआ।

(ii) समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा (टॉप अप) – 4462.68 लाख रूपये का अधिक व्यय (2052.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(iii) समग्र शिक्षा – शिक्षक शिक्षा (टॉप अप) (राज्य अंश) – 1099.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (2501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अनुपातिक राज्य अंश रखने के कारण हुआ।

4. **Under Major Head "2230"** – Labour, Employment and Skill Development – Training – Training of Craftsmen and Supervisors – Craftsman Training Scheme – Saving of ₹4217.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15580.90 lakhs) was mainly due to receipt of less claims/bills, transfer/retirement of staff, non filling of vacant posts, less procurement, non submission of bills by the firms / contractor and delay in engagement of standing counsels.

5. **Under Major Head "2205"** – Art and Culture – Promotion of Arts and Culture – Grants to Hindi Academy – Saving of ₹1320.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2851.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to programmes could not be organised due to imposition of Model Code of Conduct for General Election 2024 and non filling of vacant posts.

6. **Under Major Head "2202"** – General Education – University and Higher Education – (a) Assistance to Universities – (i) Setting up of Ambedkar University -- Saving of ₹4450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9200.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and Finance Department GNCTD has not considered the proposal for release of Rs. 7.50 crore under Grant-In-Aid-General for seeking some clarification.

(ii) Grant-In-Aid to Sports University – Saving of ₹1848.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2464.09 lakhs) was mainly due to Finance Department GNCT of Delhi has not considered the proposal for revalidation of Rs. 10.09 crore under Grant-in -aid-general due to large amount of unspent balance with Delhi Sports University.

(b) Government Colleges and Institutes – Grant in Aid to Keshav Mahavidyalaya – Saving of ₹534.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3360.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid.

Further, saving of ₹6256.30 lakhs was under eighteen sub heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads:

1. **Under Major Head "2202"** – General Education – (A) Elementary Education – (a) Assistance to Local Bodies for Primary Education – Grant-In-Aid to Municipal Corporation of Delhi for Primary Education – Excess of ₹3357.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹202697.38 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in Aid.

(b) Samagra Shiksha – (i) Samagra Shiksha (CSS) – Excess of ₹523.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25726.80 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹7721.80 lakhs) was mainly due to provision kept as per funds received/ to be received from Govt of India.

(ii) Samagra Shiksha Elementary Education (TOP UP) – Excess of ₹4462.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2052.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant-in-Aid.

(iii) Samagra Shiksha - Teacher Education (TOP UP) (State Share) – Excess of ₹1099.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to proportionate state share.

(ब) माध्यमिक शिक्षा – (क) राजकीय माध्यमिक शिक्षा – 733.53 लाख रूपये का अधिक व्यय (238469.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक दावों/बिलों के प्राप्त होने, सरकारी विद्यालयों में आया व मालियों के रखने एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की मजदूरी, बिजली पानी व किराये की दरों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 8524.75 लाख रूपये का अधिक व्यय (20001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक लाभार्थियों के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2203"–** तकनीकी शिक्षा – (क) तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता – दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय – 999.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (16501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने एवं वेतन व उससे जुड़े घटको पर खर्च बढ़ने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 1240.99 लाख रूपये का अधिक व्यय तीन उपशीर्षो के अंतर्गत हुआ जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम था ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 12324.42 लाख रूपये की कुल बचत थी (17355.40 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 7208.15 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 71.01 प्रतिशत थी।

2948.00 लाख रूपये की राशि 16 उपषीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "4250"**– अन्य सामाजिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय – श्रम – (i) औद्योगिक मूल्यों की वृद्धि के लिए कौशल सुदृढीकरण – 547.00 लाख रूपये – योजना के बंद होने एवं भारत सरकार से धन राशि प्राप्त न होने के कारण।

(ii) आईटीआई का नवीनीकरण एवं उन्नयन – 1000.00 लाख रूपये – कम व्यय होने एवं समय की कमी के कारण निष्पादन ऐजेंसी को भुगतान न करने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "4202"**– शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – कला एवं संस्कृति – अन्य व्यय – एसीएल भवन का निर्माण/नवीकरण – 500.00 लाख रूपये – वैधानिक निकाय की स्वीकृति पर अंतिम निर्णय न होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "4202"**– शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय – खेल विश्वविद्यालय की स्थापना – 501.00 लाख रूपये – रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक कारणों से 4.51 करोड़ रूपये जारी करने के प्रस्ताव और खर्चे को तर्कसंगत बनाने के कारण खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के तहत 4.80 करोड़ रूपये जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी न देने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

शिक्षा निदेशालय
मुख्यशीर्ष "4202"
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति
पर पूंजी परिव्यय

मू.	4251.00)			
पू.	7204.15)			
पु.	–1203.15)	10252.00	3161.60	–7090.40

(B) Secondary Education – (a) Government Secondary School – Excess of ₹733.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹238469.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹4.00 lakhs) was mainly due to receipt of more claims/bills, hiring of Aaya & Mallis in Govt. School and increase in wages of outsourced staff, electricity, water & rent rates.

(b) Assistance to non Government Secondary Schools – Rights to Education ACT – Excess of ₹8524.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to more beneficiaries.

2. **Under Major Head "2203"** – Technical Education – (a) Assistance to Universities for Technical Education – Delhi Skill and Entrepreneurship University – Excess of ₹999.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant post and expenditure for salary & allied components increased.

Further, excess of ₹1240.99 lakhs remained under three sub heads which exceed ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹12324.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17355.40 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹7208.15 lakhs) constituted 71.01% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹2948.00 lakhs remained wholly unutilized under sixteen sub-heads. This includes the following sub-heads: -

1. **Under Major Head "4250"** – Capital Outlay on Other Social Services – Labour – (i) Skill Strengtheining for Industrial Value Enhancement – ₹547.00 lakhs – due to scheme closed and non receipt of funds from Govt of India.

   (ii) Renovation and Upgrandation of ITIs – ₹1000.00 lakhs – due to less expenditure and non payment to the executing agency due to lack of time.

2. **Under Major Head "4202"** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – Art and Culture – Other Expenditure – Construction/Renovation of ACL Building – ₹500.00 lakhs – due to non finalization of clearance from the statutory body.

3. **Under Major Head "4202"** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – General Education – University and Higher Education – Establishment of Sports Unversity – ₹501.00 lakhs – due to Finance Department, GNCT of Delhi has not approved the proposal for release of Rs. 4.51 crore due to Administrative reasons and proposal for release of Rs. 4.80 Crore under establishment of Sports University due to rationalization of Expenditure.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Dte. of Education
Major Head "4202"
Capital Outlay on Education,
Sports, Art and Culture

O.	4251.00)			
S.	7204.15)			
R.	-1203.15)	10252.00	3161.60	-7090.40

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4202"**– शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – सामान्य – विद्यालय भवनों के काम की आउटसोर्सिंग – 8139.89 लाख रूपये की बचत (11202.15 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 7202.15 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित,की तुलना में) मुख्यतः कार्य / बिलों की गति के आधार पर प्रावधान रखने एवं कार्य निष्पादित ऐजेंसी जैसे की डीटीटीडीसी द्वारा कार्य को पूर्ण तरीके से कार्यान्वित न करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 741.73 लाख रूपये की बचत दो उपशीर्षो के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head: –

1. **Under Major Head "4202"** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – General Education – General – Outsourcing of Work of School Building – Saving of ₹8139.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11202.15 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹7202.15 lakhs) was mainly due to provision kept as per pace of the work/bills and works not fully executed by implementing agency i.e DTTDC.

Further, saving of ₹741.73 lakhs remained under two sub heads which exceed ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित				
मूल	9,20,15)			
पूरक	39,76)	9,59,91	88,40	–8,71,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–1,16,07
स्वीकृत–				
मूल	7630,88,31)			
पूरक	155,52,88)	7786,41,19	6772,28,65	–1014,12,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–354,51,58

पूंजीगत

स्वीकृत–				
मूल	257,28,54)			
पूरक	143,81,21)	401,09,75	112,17,40	–288,92,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–3,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश मे 871.51 लाख रूपये की कुल बचत थी (959.91 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 39.76 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 90.79 प्रतिशत थी।

32.19 लाख रूपये की राशि 14 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

गुरू तेग बहादुर चिकित्सा
कॉलेज एवं अस्पताल
मुख्यशीर्ष "2210"
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	524.00)			
पू.	1.00)			
पु.	28.00)	553.00	12.74	–540.26

GRANT NO. 7 – MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	9,20,15)			
Supplementary	39,76)	9,59,91	88,40	-8,71,51
Amount surrendered during the year				-1,16,07
Voted –				
Original	7630,88,31)			
Supplementary	155,52,88)	7786,41,19	6772,28,65	-1014,12,54
Amount surrendered during the year				-354,51,58
CAPITAL				
Voted –				
Original	257,28,54)			
Supplementary	143,81,21)	401,09,75	112,17,40	-288,92,35
Amount surrendered during the year				-3,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹871.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹959.91 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹39.76 lakhs) constituted 90.79% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹32.19 lakhs remained wholly un-utilized under fourteen sub-heads.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Guru Teg Bahadur Medical College and Hospital
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	524.00)			
S.	1.00)			
R.	28.00)	553.00	12.74	-540.26

5.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवायें–ऐलोपैथी – चिकित्सा एवं औषधालय – गुरू तेग बहादुर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल – 512.26 लाख रूपये की बचत (525.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद, बिजली व पानी जैसे उपयोगिता बिलों पर वास्तविक व्यय उम्मीद से कम होने, प्रिंटिग व स्टेशनरी और मरम्मत व रखरखाव के बिलों का निपटारा न हो सकने एवं कोर्ट मामलो का निपटारा न होने के कारण व्यय नहीं कर सकने के कारण हुई।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 101412.54 लाख रूपये की कुल बचत थी (778641.19 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 15552.88 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 13.02 प्रतिशत थी।

15992.34 लाख रूपये की राशि 49 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2210"–** चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – जन स्वास्थ्य – जन स्वास्थ्य के लिए प्रचार – वेक्टर जनित रोग और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता अभियान – 500.00 लाख रूपये – बकाया देनदारियों/बिलों को जमा न करने के अधीन होने एवं प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2211"**– परिवार कल्याण – (क) ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाऐं – उप केन्द्र (सी.एस.एस) – 714.80 लाख रूपये – भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण।

   (ख) शहरी परिवार कल्याण सेवाएं – (i) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.एस.एस) – 9011.00 लाख रूपये – इस संबंध में नीतिगत निर्णय के प्रक्रियाधीन रहने के कारण।

   (ii) शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का सुधार (सी.एस.एस) – 2627.00 लाख रूपये – इस संबंध में नीतिगत निर्णय के प्रक्रियाधीन रहने के कारण।

   (iii) अस्पतालों में पोस्ट–पार्टम ईकाइयों पर व्यय हेतु अनुदान – 500.00 लाख रूपये – ईएलएफए रिपोर्ट के उपलब्ध न होने और वित्तीय वर्ष 2024–25 में सक्षम/उच्च अधिकारी द्वारा सहायता अनुदान जारी करने का प्रस्ताव मंजूर न कर सकने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	287388.44)			
पू.	15525.72)			
पु.	–18962.55)	283951.61	245231.20	–38720.41
जी. बी. पंत अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	45250.00)			
पू.	2.00)			
पु.	849.00)	46101.00	43530.60	–2570.40

Saving occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub-head:–

1. **Under Major Head "2210"** – Medical and Public Health – Urban Health Services-Allopathy – Hospital and Dispensaries – Guru Teg Bahadur Medical College and Hospital – Saving of ₹512.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹525.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, actual expenditure on utility bills such as electricity & water were lower than anticipated, bills of printing & stationary, repairs & maintenance could not be finalized and expenditure could not be incurred due to non finalization of court cases.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹101412.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹778641.19 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹15552.88 lakhs) constituted 13.02% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹15992.34 lakhs remained wholly un-utilized under forty-nine sub-heads. This includes the following Sub–Heads:-

1. **Under Major Head "2210"** – Medical and Public Health – Public Health – Public Health Publicity – Awareness Campaign Vector Borne Diseases and Other Health Issues – ₹500.00 lakhs – due to pending liability/bills were under submission and non finalisation of proposals.

2. **Under Major Head "2211"** – Family Welfare – (a) Rural Family Welfare Services – Sub Centre (CSS) – ₹714.80 lakhs – due to non receipt of Grant from Govt of India.

   (b) Urban Family Welfare Services – (i) Urban Family Welfare Centre (CSS) – ₹9011.00 lakhs – due to policy decision in this regard was in process.

   (ii) Revamping of Urban Family Welfare Centres (CSS) – ₹2627.00 lakhs – due to policy decision in this regard was in process.

   (iii) Grants for Expenditure on Post- Partum Units In Hospital – ₹500.00 lakhs – due to non availability of ELFA report and proposal for release of Grant-in-Aid could not be approved by competent/higher authority in financial year 2024-25.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Dir. of Health Services			
Major Head "2210"			
Medical and Public Health			
O. 287388.44)			
S. 15525.72)			
R. -18962.55)	283951.61	245231.20	-38720.41
G.B. Pant Hospital			
Major Head "2210"			
Medical and Public Health			
O. 45250.00)			
S. 2.00)			
R. 849.00)	46101.00	43530.60	-2570.40

अरूणा आसफ अली राजकीय अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	6364.00)			
पु.	—469.00)	5895.00	5716.52	—178.48
दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	33098.00)			
पू.	6.00)			
पु.	—2448.00)	35552.00	34519.53	—1032.47
गुरू तेग बहादुर चिकित्सा **कॉलेज एवं अस्पताल**				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	46886.00)			
पू.	1.00)			
पु.	—581.50)	46305.50	43696.18	—2609.32
मौलाना आजाद चिकित्सा कॉलेज				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	31307.00)			
पू.	1.93)			
पु.	—3463.00)	27845.93	27512.36	—333.57
परिवार कल्याण निदेशालय				
मुख्यशीर्ष "2211"				
परिवार कल्याण				
मू.	27193.02)			
पु.	—13794.85)	13398.17	6590.54	—6807.63
संजय गांधी स्मारक अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	16269.00)			
पू.	2.00)			
पु.	71.00)	16342.00	15489.12	—852.88
डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	27829.00)			
पू.	1.00)			
पु.	—219.00)	27611.00	26242.94	—1368.06
डा. हेडगेवर आरोग्य संस्थान				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	9560.00)			
पु.	—450.00)	9110.00	8491.85	—618.15

Aruna Asaf Ali Govt. Hospital **Major Head "2210"** Medical and Public Health O. 6364.00) R. -469.00)	5895.00	5716.52	-178.48
Deen Dayal Upadhayay Hospital **Major Head "2210"** Medical and Public Health O. 33098.00) S. 6.00) R. -2448.00)	35552.00	34519.53	-1032.47
Guru Teg Bahadur Medical College & Hospital **Major Head "2210"** Medical and Public Health O. 46886.00) S. 1.00) R. -581.50)	46305.50	43696.18	-2609.32
Maulana Azad Medical College **Major Head "2210"** Medical and Public Health O. 31307.00) S. 1.93) R. -3463.00)	27845.93	27512.36	-333.57
Directorate of Family Welfare **Major Head "2211"** Family Welfare O. 27193.02) R. -13794.85)	13398.17	6590.54	-6807.63
Sanjay Gandhi Memorial Hospital **Major Head "2210"** Medical and Public Health O. 16269.00) S. 2.00) R. 71.00)	16342.00	15489.12	-852.88
Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital **Major Head "2210"** Medical and Public Health O. 27829.00) S. 1.00) R. -219.00)	27611.00	26242.94	-1368.06
Dr. Hedgewar Arogya Sansthan **Major Head "2210"** Medical and Public Health O. 9560.00) R. -450.00)	9110.00	8491.85	-618.15

सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	5623.90)			
पु.	–58.90)	5565.00	5080.43	–484.57
मालवीय नगर कालोनी अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	7220.00)			
पु.	29.50)	7249.50	6489.53	–759.97
आचार्य भिक्षु अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	8170.00)			
पु.	–800.00)	7370.00	6537.71	–832.29
जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	8177.00)			
पु.	–550.00)	7627.00	7556.95	–70.05
लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	10800.00)			
पु.	–905.00)	9895.00	9099.87	–795.13
राव तुला राम अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	7491.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–324.00)	7168.00	6465.23	–702.77
गुरू गोविंद सिंह अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	7900.00)			
पु.	–493.00)	7407.00	7267.51	–139.49
आ. एवं यू. तिब्बिया कॉलेज				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	5228.00)			
पू.	2.00)			
पु.	1273.00)	6503.00	6136.64	–366.36

Sardar Ballabh Bhai Patel Hospital
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	5623.90)			
R.	-58.90)	5565.00	5080.43	-484.57

Malviya Nagar Colony Hospital
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	7220.00)			
R.	29.50)	7249.50	6489.53	-759.97

Acharya Bhikshu Hospital
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	8170.00)			
R.	-800.00)	7370.00	6537.71	-832.29

Jag Parvesh Chandra Hospital
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	8177.00)			
R.	-550.00)	7627.00	7556.95	-70.05

Lal Bahadur Shastri Hospital
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	10800.00)			
R.	- 905.00)	9895.00	9099.87	-795.13

Rao Tula Ram Hospital
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	7491.00)			
S.	1.00)			
R.	-324.00)	7168.00	6465.23	-702.77

Guru Gobind Singh Hospital
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	7900.00)			
R.	- 493.00)	7407.00	7267.51	-139.49

A & U Tibbia College
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	5228.00)			
S.	2.00)			
R.	1273.00)	6503.00	6136.64	-366.36

दीप चन्द बंधु अस्पताल
मुख्यशीर्ष "2210"
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	8007.00)			
पु.	–229.65)	7777.85	7479.10	–298.75

इंदिरा गॉधी अस्पताल
मुख्यशीर्ष "2210"
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	9854.00)			
पू.	1.00)			
पु.	2015.80)	11870.80	10427.64	–1443.16

5.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवायें ऐलोपैथी – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – चिकित्सा स्थापना – 650.28 लाख रूपये की बचत (3206.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने, माननीय कोर्ट/ट्रिब्यूनल से कम देनदारियां प्राप्त होने एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ख) स्कूल स्वास्थ्य योजना – 709.56 लाख रूपये की बचत (2713.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम खरीद होने एवं जीईएम से संबंधित कार्य लंबित होने के कारण हुई।

(ग) अस्पताल एवं औषधालय – (i) सरकारी औषधालय – 4157.77 लाख रूपये की बचत (27164.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो के न भरे जाने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, वास्तविक व्यय अनुसार होने एवं कुछ प्रस्तावों पर देरी से वित्तीय अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) मानव व्यवहार तथा सम्बन्ध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान – 5083.37 लाख रूपये की बचत (16500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान सहायता जारी करने एवं सीटी स्कैन मशीन की खरीद का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन रहने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान – 3578.00 लाख रूपये की बचत (13000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं ठेकेदारो द्वारा बिलों को समय पर जमा नहीं करने के कारण हुई।

(iv) मौलान आजाद दंत विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान – 1091.73 लाख रूपये की बचत (6600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं ठेकेदारो द्वारा बिलों को समय पर जमा नहीं करने के कारण हुई।

(v) आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के लिए दिल्ली राज्य स्वास्थ्य अभियान को सहायता अनुदान – 8364.84 लाख रूपये की बचत (20201.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं ठेकेदारो द्वारा बिलों को समय पर जमा नहीं करने के कारण हुई।

(vi) जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सोसाइटी को सहायता अनुदान – 1022.19 लाख रूपये की बचत (5500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं ठेकेदारो द्वारा बिलों को समय पर जमा नहीं करने के कारण हुई।

Deep Chand Bandhu Hospital
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	8007.50)				
R.	-229.65)	7777.85	7479.10	-298.75

Indira Gandhi Hospital
Major Head "2210"
Medical and Public Health

O.	9854.00)			
S.	1.00)			
R.	2015.80)	11870.80	10427.64	-1443.16

Saving occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub-heads:–

1. **Under Major Head "2210"** – Medical and Public Health – (A) Urban Health Services Allopathy – (a) Direction and Administration – Medical Establisment – Saving of ₹650.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3206.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, no proposal in pipeline, less liabilities from Hon'ble Court/ Tribunal and less procurement.

   (b) School Health Scheme – Saving of ₹709.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2713.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement and due to pending of GeM related work.

   (c) Hospital and Dispensaries – (i) Government Dispensaries – Saving of ₹4157.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27164.00 lakhs) was mainly due to non-filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, as per actual expenditure and on some proposals late financial approval received.

   (ii) Grant-in-aid to Institute of Human Behaviour & Allied Sciences – Saving of ₹5083.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16500.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in- Aid and proposal for procurement of CT scan machine was remains under process.

   (iii) Grant-in-aid to Delhi State Cancer Institute – Saving of ₹3578.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and bills not submitted by vendors timely.

   (iv) Grant-in-aid to Maulana Azad Institute of Dental Sciences – Saving of ₹1091.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6600.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and bills not submitted by vendors timely.

   (v) Grant-in-aid to Delhi State Health Mission for Aam Aadmi Mohalla Clinic – Saving of ₹8364.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20201.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in- Aid and bills not submitted by vendors timely.

   (vi) Grant-in-aid to Janakpuri Super Speciality Hospital Society -- Saving of ₹1022.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in- Aid and bills not submitted by vendors timely.

(vii) राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सोसाइटी को सहायता अनुदान – 1117.00 लाख रूपये की बचत (8800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष के आखिर में सहायता अनुदान की अंतिम किस्त प्राप्त होने, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में फैकल्टी की उपलब्धता न होने के कारण यूरोलॉजी उपकरण की खरीद नहीं हो सकी एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(viii) चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को सहायता अनुदान – 2530.21 लाख रूपये की बचत (11501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं चिकित्सा उपकरणों के कुछ टेंडरों के प्रतियोगिता की कमी/बोलियों के अयोग्य होने से सफल नहीं रहने, पीडब्ल्यूडी से मरम्मत/रखरखाव कार्य के अनुमान प्राप्त न होने एवं सहायता अनुदान राशि के अव्ययतित शेष को उपयोग करने की मंजूरी के प्रक्रियाधीन रहने के कारण हुई।

(घ) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – स्वास्थ्य केन्द्र (एससीएसपी) – 2449.06 लाख रूपये की बचत (9941.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो ंके भरे न जाने, कम दावों व वास्तविकता के अनुसार व्यय करने एवं कुछ प्रस्तावों पर देरी से वित्तीय अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(ड.) अन्य व्यय – (i) केन्द्रीय दुर्घटना एवं अपघात सेवाओं के लिए सहायता अनुदान – 5274.99 लाख रूपये की बचत (19400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सहायता अनुदान जारी न होने एवं वित्त विभाग द्वारा सीएटीएस के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि को समायोजित करने के कारण, धनराशि को जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य अभियान (सी.एस.एस.) – 9887.25 लाख रूपये की बचत (16000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली नगर निगम को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता अनुदान – 544.05 लाख रूपये की बचत (21942.70 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि को समायोजित करने के कारण, धनराशि को जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ब) जन स्वास्थ्य – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – प्राथमिक/माध्यमिक/तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरूआत – 525.67 लाख रूपये की बचत (552.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः माननीय कोर्ट/ट्रिब्यूनल से कम देनदारियां प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – (i) यकृत एवं पैत्तिक विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान – 1500.00 लाख रूपये की बचत (3000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि को समायोजित करने के कारण धनराशि को जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ii) एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों के लिए वित्तीय सहायता अनुदान – 1188.96 लाख रूपये की बचत (2100.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी करने एवं वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि को समायोजित करने के कारण, धनराशि को जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(स) सामान्य – अन्य व्यय – (i) केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी एवं राज्य औषधि प्राधिकरण – 9739.88 लाख रूपये की बचत (25000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो ंके न भरे जाने, कम दावों/कम खरीद एवं कुछ टेंडरों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(vii) Grant-in-aid to Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital Society -- Saving of ₹1117.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8800.00 lakhs) was mainly due to final instalment of Grant-in-aid received at the fag end of the financial year, urology equipment could not be procured due to non-availability of faculty in Urology Department and vacant post.

(viii) Grant-in-aid to Chacha Nehru Bal Chikitsalaya -- Saving of ₹2530.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in- Aid and few tenders of medical equipment remained unsuccessful due to lack of competitions/ non qualification of bids, non receipt of estimates for repair/maintenance works from PWD and permission to utilize unspent balance from Grant-in-aid was remains under process.

(d) Special Component Plan for Scheduled Castes – Health Centers (SCSP) – Saving of ₹2449.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9941.50 lakhs) was mainly due to non-filling vacant posts, less claims and as per actual expenditure and late receipt of financial approval on some proposals.

(e) Other Expenditure – (i) Grant in Aid to Centralized Accident & Trauma Services – Saving of ₹5274.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19400.00 lakhs) was mainly due to non release of Grant-in- Aid and amount could not be released as same were adjusted against unspent balance of previous year with the CATS by the Finance Department.

(ii) Delhi State Health Mission (CSS) – Saving of ₹9887.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs) was mainly due to less receipt of funds from Govt of India..

(iii) Grant-In-Aid to Municipal Corporation of Delhi for Health Purposes – Saving of ₹544.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21942.70 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to amount could not be released as same were adjusted against unspent balance of previous year by the Finance Department.

(**B**) Public Health – (a) Direction and Administration – Introduction of Hospital Management Information System for Primary/Secondary/ Tertiary Health care – Saving of ₹525.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹552.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to less liabilities from Hon'ble Court/tribunal.

(b) Other Expenditure – (i) Grant in Aid to Institute of Liver And Biliary Sciences – Saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was mainly due to amount could not be released as same were adjusted against unspent balance of previous year by the Finance Department.

(ii) Financial Assistance to HIVAIDS Affected Persons Grant – Saving of ₹1188.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and amount could not be released as same were adjusted against unspent balance of previous year by the Finance Department.

(**C**) General – Other Expenditure – (i) Central Procurement Agency & State Drug Authority – Saving of ₹9739.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was mainly due to non-filling of vacant posts, less claims/ less procurement and non finalisation of some tenders.

2 **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) जी.बी.पंत अस्पताल – 1363.87 लाख रूपये की बचत (44769.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रेजिडेंट डॉक्टर/अनुबंधित कर्मचारियों का आकलन प्राप्त न होने, बकाया दावों के प्राप्त न होने एवं उम्मीद के मुताबिक सीएमसी से संबंधित दावों/मरम्मत बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) अरूणा आसफ अली सरकारी अस्पताल – 643.83 लाख रूपये की बचत (6358.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम प्रशिक्षण कार्य होने, कम खरीद, एमएसीपी से संबंधित केसों व डॉक्टरों के यात्रा भत्तों के भुगतान संबंधी प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने, दिल्ली जल बोर्ड के एक मीटर के कार्य न करने एवं प्रत्याशित दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) गुरू तेग बहादुर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल – 3140.82 लाख रूपये की बचत (46837.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद, बिजली व पानी जैसे उपयोगिता बिलों पर वास्तविक व्यय उम्मीद से कम था, प्रिंटिग व स्टेशनरी और मरम्मत व रखरखाव के बिलों का निपटारा न हो सकने एवं कोर्ट केसों का निपटारा न होने के कारण व्यय नहीं कर सकने के कारण हुई।

(iv) मौलाना आज़ाद चिकित्सा कॉलेज – 3778.57 लाख रूपये की बचत (31290.93 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.93 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम खरीद, मुद्रण कार्य के प्रक्रियाधीन होने एवं डॉक्टरों से कुछ दावों के प्राप्त न होने एवं सितबंर 2024 से डीईओ के वेतन का दावा प्राप्त न होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2211"**– परिवार कल्याण – अन्य व्यय – राज्य स्वास्थ्य समिति (दिल्ली) को सहायता अनुदान – 6396.68 लाख रूपये की बचत (12000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः 35.96 करोड़ रूपये के प्रारंभिक शेष के समायोजित करने एंव 28.00 करोड़ रूपये की अंतिम किस्त जोकि मार्च 2025 में मांगी गई थी उसको जारी न करने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी – (क) अस्पताल एवं औषधालय – (i) संजय गांधी स्मारक अस्पताल – 781.88 लाख रूपये की बचत (16271.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल – 1587.06 लाख रूपये की बचत (27830.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो के भरे न जाने, प्रशिक्षण कार्य कम होने, कम खरीद, ईंधन की कम खपत, नए भवन का कार्य पूर्ण न होने, बिजली व अन्य बिलों में बढोत्तरी न होने, कुछ प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने, ठेकेदारों द्वारा बिल न दिए जाने एवं कम बिल/दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) डा0 हेडगेवार आरोग्य संस्थान – 1068.15 लाख रूपये की बचत (9560.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, प्रशिक्षण कार्यक्रम कम होने, कम खरीद, कुछ प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने, ईंधन की कम खपत, कम मरम्मत व रखरखाव कार्य होने, कुछ प्रस्तावों पर प्रशासनिक कारणों से अनुमति प्राप्त न हो सकने एवं खरीद के प्रस्तावों के निपटारे में देरी होने के कारण हुई।

2. **Under Major Head "2210"** – Medical & Public Health – Urban Health Services Allopathy – Hospital & Dispensaries – (i) G.B. Pant Hospital – Saving of ₹1363.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44769.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to non receipt of Assessment of Resident Doctors/Contractual Staff, non receipt of arrear claims and claims pertaining to CMC/repair bills not received as anticipated.

(ii) Aruna Asaf Ali Government Hospital – Saving of ₹643.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6358.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less training programme, less procurement, cases of grant of MACP & proposals for payment of conveyance allowance to doctors could not be finalized, non functioning of one DJB meter and anticipated claims were not received.

(iii) Guru Tegh Bahadur Medical College and Hospital – Saving of ₹3140.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46837.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, actual expenditure on utility bills such as electricity & water were lower than anticipated, bills of printing & stationary, repairs & maintenance could not be finalized and expenditure could not be incurred due to non finalization of court cases.

(iv) Maulana Azad Medical College – Saving of ₹3778.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31290.93 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.93 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claim/bills, less procurement, printing work was under process, some claims were not received from Doctors and salary of DEO not claimed from September, 2024.

3. **Under Major Head "2211"** – Family Welfare – Other Expenditure – Grant-in-aid to State Health Society (Delhi) – Saving of ₹6396.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was mainly due to adjustment of opening balance of Rs. 35.96 crores and non release of final installment of Rs. 28.00 crores which was demanded in March,2025.

4. **Under Major Head "2210"** – Medical & Public Health – Urban Health Services Allopathy – (a) Hospital & Dispensaries – (i) Sanjay Gandhi Memorial Hospital – Saving of ₹781.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16271.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to transfer of staff and less amount of bills received.

(ii) Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital – Saving of ₹1587.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27830.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, no training program, less procurement, less consumption of fuel, non completion of new building, electricity & other bills not enhanced, some proposals not finalised, non submission of bills by vendors and receipt of less claims / bills.

(iii) Dr. Hedgewar Arogya Sansthan – Saving of ₹1068.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9560.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less training programme, less procurement, non finalization of proposals, less consumption of fuel and less repair & maintenance work, some proposal could not be approved due to Administrative reasons and delay in finalization of purchase proposals.

(iv) सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल – 543.47 लाख रूपये की बचत (5623.90 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के देरी से प्राप्त होने के कारण मार्च माह का वेतन जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(v) मालवीय नगर कालोनी अस्पताल – 730.47 लाख रूपये की बचत (7220.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः चार डॉक्टरों के वेतन के पुनः निर्धारण में देरी होने, प्रशासनिक शाखा द्वारा यात्रा भत्तों की स्वीकृति न भेजने एवं कम दावों/बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(vi) आचार्य भिक्षु अस्पताल – 1632.29 लाख रूपये की बचत (8170.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम होने, ईंधन की कम खपत, कम मरम्मत व रखरखाव कार्य होने, अधिकारियों से संबंधित एमएसीपी/एनएफएसजी केसों का निपटारा न हो सकने एवं डिजिटल उपकरणों की खरीद न होने के कारण हुई।

(vii) जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल – 620.05 लाख रूपये की बचत (8177.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने एवं कम दावों/बिलों के न प्राप्त होने के कारण हुई।

(viii) राव तुला राम अस्पताल – 1026.77 लाख रूपये की बचत (7492.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम खरीद, ईंधन की कम खपत, कुछ टेंडरों का निपटारा न होने, एमएसीपी केसों का निपटारा न होने, संशोधित अनुमानों के वित्तीय वर्ष के आखिर में प्राप्त होने एवं कुछ बिलों को संबंधित शाखाओं द्वारा समय पर संसाधित न करने के कारण हुई।

(ix) दीप चन्द बंधु अस्पताल – 528.40 लाख रूपये की बचत (8007.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम खरीद, मीटिंग/प्रशिक्षण के न हो सकने, विक्रेताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न करने, विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न करने, टेंडरों का तय सीमा में निपटारा न करने एवं ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पीएसए संयंत्र के सीएमसी पर अंतिम निर्णय न लिए जाने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एससीएसपी) – 1693.75 लाख रूपये की बचत (10790.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम खरीद, ईंधन की कम खपत, भौतिक रूप से सम्मेलन/ प्रशिक्षण न करने एवं वित्त विभाग से आईपीडी/ओपीडी सेवाओं के दो वर्षों के बकाया भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) गुरू गोविंद सिंह अस्पताल (एससीएसपी) – 632.49 लाख रूपये की बचत (7900.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम खरीद, ईंधन की कम खपत एवं सपत्ति कर की वास्तविक राशि का भुगतान करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 4707.83 लाख रूपये की बचत 14 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2210"–** चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – सामान्य – अन्य व्यय – दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना – पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधाएं – 4352.60 लाख रूपये का अधिक व्यय (32501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः पेंशनरों के अधिक दावों/बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(iv) Sardar Ballabh Bhai Patel Hospital – Saving of ₹543.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5623.90 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims / bills and salary of month of March could not be released due to late receipt of attendance of staff.

(v) Malviya Nagar Colony Hospital – Saving of ₹730.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7220.00 lakhs) was mainly due to re-fixation of pay of 4 doctors was got delayed, sanction of Conveyance bills not submitted by Administration Branch and receipt of less claims/bills.

(vi) Acharya Bhikshu Hospital – Saving of ₹1632.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8170.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less training programme, less consumption of fuel, less repairs & maintenance work, MACP/NFSG in respect of officers could not be finalized and non procurement of digital equipments.

(vii) Jag Pravesh Chandra Hospital – Saving of ₹620.05lakhs (against the sanctioned provision of ₹8177.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts and non receipts of claim/bills.

(viii) Rao Tula Ram Hospital – Saving of ₹1026.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7492.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, less consumption of fuel, some tender were not finalised, non finalisation of MACP cases, receipt of Modified Estimate at the fag end of the financial year and some bills not processed by the concerned branches on time.

(ix) Deep Chand Bandhu Hospital – Saving of ₹528.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8007.50 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, meetings/trainings could not be held, non submission of bills by vendors, non disbursement of the bonus by the various agencies to the workers, tenders were not finalised within the stipulated time and non finalisation the CMC of PSA plant for oxygen supply.

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Lal Bahadur Shastri Hospital (SCSP) – Saving of ₹1693.75lakhs (against the sanctioned provision of ₹10790.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, less consumption of fuel, non conduction of conference/training in physical mode and non receipt of approval of Finance Department for outstanding payment of two years of IPD/OPD Services.

(ii) Guru Gobind Singh Hospital (SCSP) – Saving of ₹632.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7900.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less procurement, less consumption of fuel and actual amount of property tax paid.

Further, saving of ₹4707.83 lakhs remained under fourteen sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head "2210"** – Medical and Public Health – General – Other Expenditure – Delhi Government Employees Health Scheme – Medical Facilities to Pensioners – Excess of ₹4352.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32501.00lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to receipt of more claims/bills of pensioners.

2. **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल – अस्पताल प्रशासन का पुनरूद्धार – 1450.40 लाख रूपये की बचत (33069.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 6.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे जाने, महंगाई भत्ते एवं बकायों में वृद्धि होने, अधिक दावों/बिलों के प्राप्त होने, सीपीए से दवा की प्राप्ति न होने एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान करने व अधिक खरीद करने के कारण हुआ।

(ii) इंदिरा गांधी अस्पताल – 563.29 लाख रूपये का अधिक व्यय (9845.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे जाने, महंगाई भत्ते एवं बकायों में वृद्धि होने, आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान करने, अधिक बिलों के प्राप्त होने एवं अधिक खरीद करने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – औषधियों की अन्य प्रणालियां – आयुर्वेद – आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज – 906.64 लाख रूपये का अधिक व्यय (5230.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः एपी/पीआरओ को वेतन बकायों का भुगतान करने, अधिक दावों/बिलों के प्राप्त होने, 30 आउटसोर्स कर्मचारियों के भर्ती करने एवं अस्पताल के लिए जरूरी आयुर्वेदिक व यूनानी दवाएं, रासायनिक व परीक्षण किटों के खरीदे जाने के कारण हुआ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 28892.35 लाख रूपये की कुल बचत थी (40109.75 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 14381.21 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना मे) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 72.03 प्रतिशत थी।

24620.71 लाख रूपये की राशि छः उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "4210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–ऐलोपैथी – (क) केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना – पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के लिए बुनियादी ढांचा (पीएम–अभिम) (सी.एस.एस.) – 14367.71 लाख रूपये – मुख्यतः योजना के लागू न होने के कारण।

(ख) अस्पताल एवं औषधालय – भवन – 10051.00 लाख रूपये – मुख्यतः डीएचएस द्वारा निधियों के उपयोग से संबंधित एसओपी पर अंतिम निर्णय न होने एवं योजना के लागू न होने कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

लोक नायक अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "4210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मू.	2319.54)			
पू.	1.00)			
पु.	–369.54)	1951.00	1673.21	–277.79
जी.बी.पंत अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "4210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मू.	2260.00)			
पू.	1.00)			
पु.	2359.00)	4620.00	4219.25	–400.75

2. **Under Major Head "2210"** – Medical and Public Health – Urban Health Services – Aelopathy – Hospitals and Dispensaries – (i) Deen Dayal Upadhayay Hospital – Revemping of Hospital Administration – Saving of ₹1450.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33069.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹6.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts, increase in DA & arrears, more claims/bills, non receipt of drug from CPA and payment of outsourced staff & more procurement.

(ii) Indira Gandhi Hospital – Excess of ₹563.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9845.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts/Increase in DA & arrears, payment of outsourced staff, more bills and more procurement.

3. **Under Major Head "2210"** – Medical & Public Health – Urban Health Services – Other Systems of Medicine – Ayurveda – A & U Tibbia College – Excess of ₹906.64lakhs (against the sanctioned provision of ₹5230.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to payment of pay arrears to AP/PRO, receipt of more claims/bills, engagement of 30 outsources staff and procurement of essential Ayurveda & Unani medicines, Chemical & Testing kits for hospital.

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹28892.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40109.75 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹14381.21 lakhs) constituted 72.03% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹24620.71 lakhs remained wholly unutilized under six sub-heads. This includes the following sub-heads:-

1. **Under Major Head "4210"** – Capital Outlay on Medical and Public Health – Urban Health Services-Allopathy – (a) Central Government Health Scheme – PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-Abhim) (CSS) – ₹14367.71 Lakhs – due to non implementation of scheme.

(b) Hospitals and Dispensaries –Buildings – ₹10051.00 Lakhs – due to non finalization of SOP for utilization of funds by DHS and non implementation of scheme.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Lok Nayak Hospital **Major Head "4210"** Capital Outlay on Medical and Public Health O. 2319.54) S. 1.00) R. -369.54)	1951.00	1673.21	-277.79
G.B. Pant Hospital **Major Head "4210"** Capital Outlay on Medical and Public Health O. 2260.00) S. 1.00) R. 2359.00)	4620.00	4219.25	-400.75

गुरू तेग बहादुर चिकित्सा **कॉलेज एवं अस्पताल**				
मुख्यशीर्ष "4210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मू.	853.00)			
पु.	−459.00)	394.00	279.18	−114.82
मौलाना आजाद चिकित्सा **कॉलेज**				
मुख्यशीर्ष "4210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मू.	1990.00)			
पू.	3.00)			
पु.	−376.00)	1617.00	1405.90	−211.10
आचार्य भिक्षु अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "4210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मू.	550.00)			
पु.	−260.00)	290.00	41.35	−248.65
गुरू गोविंद सिंह अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "4210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मू.	1000.00)			
पु.	−825.00)	175.00	55.76	−119.24
अम्बेडकर नगर अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "4210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मू.	660.00)			
पु.	−482.30)	177.70	143.15	−34.55

5.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) लोक नायक अस्पताल – 647.33 लाख रूपये की बचत (2320.54 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः स्वीकृति के लिए प्रस्तावों के विचाराधीन होने, उपयोगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार प्रावधान करने, कम खरीद, सीटी स्कैन मशीन की निविदा प्रक्रिया के निपटारा न होने एवं एम्बुलेंस वाहन की खरीद का प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/वित्त विभाग मे भेजे जाने के कारण हुई।

   (ii) गुरू तेग बहादुर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल – 573.82 लाख रूपये की बचत (853.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रस्ताव/बिलों के प्राप्त न होने, मशीनरी व उपकरणों की खरीद से संबंधित प्रस्ताव/बोली पर अंतिम निर्णय न हो सकने एवं कम्प्यूटर व उससे जुड़े बाह्य उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव वित्त विभाग, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं करने के कारण हुई।

Guru Teg Bahadur Medical College and Hospital **Major Head "4210"** Capital Outlay on Medical and Public Health O. 853.00) R. -459.00)	394.00	279.18	-114.82
Maulana Azad Medical College **Major Head "4210"** Capital Outlay on Medical and Public Health O. 1990.00) S. 3.00) R. -376.00)	1617.00	1405.90	-211.10
Acharya Bhikshu Hospital **Major Head "4210"** Capital Outlay on Medical and Public Health O. 550.00) R. -260.00)	290.00	41.35	-248.65
Guru Gobind Singh Hospital **Major Head "4210"** Capital Outlay on Medical and Public Health O. 1000.00) R. -825.00)	175.00	55.76	-119.24
Ambedkar Nagar Hospital **Major Head "4210"** Capital Outlay on Medical and Public Health O. 660.00) R. -482.30)	177.70	143.15	-34.55

Saving occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head "4210"** – Capital Outlay on Medical & Public Health – Urban Health Services-Allopathy – Hospital and Dispensaries – (i) Lok Nayak Hospital – Saving of ₹647.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2320.54 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to proposals were under submission for approval, provision as per the demand of the user department, less procurement, non finalization of tender process of CT Scan machine and procurement of Ambulance Vehicle was under submission to Department of Health & Family Welfare / Finance Department.

   (ii) Guru Teg Bahadur Medical College and Hospital – Saving of ₹573.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹853.00 lakhs) was mainly due to non receipt of proposal/bills, proposal/bid related to procurement of machinery & equipments could not be finalized and proposal for procurement of computer & peripherals was not approved by Finance Department, GNCT of Delhi.

(iii) मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज – 587.10 लाख रूपये की बचत (1993.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रस्तावों का निपटारा न होने, ऐजेंसियों द्वारा बिलों का दावा न करने एवं कम्प्यूटरों की खरीद पर अंतिम निर्णय न हो सकने के कारण हुई।

(iv) आचार्य भिक्षु अस्पताल – 508.65 लाख रूपये की बचत (550.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कुछ प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं संबंधित अनुभागों से दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(v) गुरू गोविंद सिंह अस्पताल – 944.24 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कुछ टेंडरों पर अंतिम निर्णय न होने एवं नए अस्पताल भवन का हस्तांतरण न करने के कारण हुई।

(vi) अम्बेडकर नगर अस्पताल – 516.85 लाख रूपये की बचत (660.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कुछ प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 952.84 लाख रूपये की बचत तीन उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई :–

1- **मुख्यशीर्ष "4210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – जी.बी.पंत अस्पताल – 1958.25 लाख रूपये का अधिक व्यय (2261.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः मशीनरी व उपकरणों को खरीदने एवं लंबित बिलों के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 682.64 लाख रूपये का अधिक व्यय दो उपशीर्षों के अंतर्गत हुआ जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

(iii) Maulana Azad Medical College – Saving of ₹587.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1993.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to non finalization of proposals, bills were not claimed by the agencies and procurement of computer could not be finalized.

(iv) Acharya Bhikshu Hospital – Saving of ₹508.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was mainly due to non finalization of some proposals and non receipt of claims from concerned sections.

(v) Guru Gobind Singh Hospital – Saving of ₹944.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to non finalization of some tender and non handing over of new hospital building.

(vi) Ambedkar Nagar Hospital – Saving of ₹516.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹660.00 lakhs) was mainly due to non finalization of some proposals and less procurement.

Further, saving of ₹952.84 lakhs remained under three sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head "4210"** – Capital Outlay on Medical & Public Health – Urban Health Services-Allopathy – Hospital and Dispensaries – G.B. Pant Hospital – Excess of ₹1958.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2261.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to purchase of Machinery & Equipments and pending bills.

Further, Excess of ₹682.64 lakhs remained under two sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित				
मूल	2,92,00)			
पूरक	1,91,80)	4,83,80	2,76,26	–2,07,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,40
स्वीकृत				
मूल	11186,08,50)			
पूरक	396,68,90)	11582,77,40	7722,94,31	–3859,83,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–2901,80,80

पूंजीगत

स्वीकृत				
मूल	792,95,50)			
पूरक	1974,80,50)	2767,77,00	1055,23,41	–1712,53,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–555,31,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 207.54 लाख रूपये की कुल बचत थी (483.80 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 191.80 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना मे) जोकि स्वीकृत विनियोजन का 42.90 प्रतिशत थी।

467.50 लाख रूपये की राशि छः उपशीर्ष के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

इसके अतिरिक्त, 262.75 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 385983.09 लाख रूपये की कुल बचत थी (1158277.40 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 39668.90 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना मे) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 33.32 प्रतिशत थी।

253123.10 लाख रूपये की राशि 70 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2235"**– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) वृद्ध, अशक्त व निःस्सहायों का कल्याण – बुजुर्गों के लिए आवासीय मनोरंजन केंन्द्र – 1000.00 लाख रूपये – योजना को लागू करने का कार्य प्रक्रियाधीन रहने के कारण।

GRANT NO. 8 – SOCIAL WELFARE

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	2,92,00)			
Supplementary	1,91,80)	4,83,80	2,76,26	-2,07,54
Amount surrendered during the year				2,40
Voted -				
Original	11186,08,50)			
Supplementary	396,68,90)	11582,77,40	7722,94,31	-3859,83,09
Amount surrendered during the year				-2901,80,80
CAPITAL				
Voted –				
Original	792,96,50)			
Supplementary	1974,80,50)	2767,77,00	1055,23,41	-1712,53,59
Amount surrendered during the year				-555,31,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹207.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹483.80 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹191.80 lakhs) constituted 42.90% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹467.50 lakhs remained wholly unutilized under six sub-heads

Further, saving of ₹262.75 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹385983.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1158277.40 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹39668.90 lakhs) constituted 33.32% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹253123.10 lakhs remained wholly unutilized under seventy sub-heads. This includes the following sub-heads:-

1. **Under Major Head "2235"** – Social Security and Welfare – Social Welfare – (a) Welfare of Aged, Infirm and Destitute – Residential Recreation Center for Senior Citizens – ₹1000.00 lakhs – due to implementation of scheme was under process.

(ख) अन्य कार्यक्रम – वार्षिक लाभार्थी सत्यापन योजना – 500.00 लाख रूपये – प्रस्ताव व योजना के विचाराधीन रहने के कारण।

(ग) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) (एस.सी.एस.पी) – 10000.00 लाख रूपये – एनएसएपी पोर्टल पर कोई प्रावधान न होने एवं एससीएसपी के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर डीएल कोड बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण।

(ii) दिव्यांगों को बेरोजगारी भत्ता (एस.सी.एस.पी) – 4000.00 लाख रूपये – एनएसएपी पोर्टल पर कोई प्रावधान न होने एवं एससीएसपी के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर डीएल कोड बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन होने एवं एनएसएपी पोर्टल पर एससी/एसटी लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए कोई अलग से प्रावधान न होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2235"**– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) बाल कल्याण – आंगनवाड़ी उन्नयन प्रोत्साहन योजना – 2500.00 लाख रूपये – योजना को लागू करने का काम प्रक्रियाधीन होने एवं कुछ प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के कारण।

(ख) महिलाओं का कल्याण – (i) आंगनवाड़ी कार्याकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रशिक्षण के लिए एससीईआरटी को सहायता अनुदान – 700.00 लाख रूपये – सहायता अनुदान जारी न किए जाने एवं योजना को लागू करने का काम प्रक्रियाधीन होने के कारण।

(ii) मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना – 200000.00 लाख रूपये – योजना को लागू करने का काम प्रक्रियाधीन होने के कारण।

(ग) अन्य कार्यक्रम – दवा की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) (सी.एस.एस.) – 516.00 लाख रूपये – भारत सरकार से प्राप्त राशि/प्राप्त होने वाली राशि के आधार पर प्रावधान रखने एवं व्यय की धीमी गति होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2236"**– पोषण – पोषक आहार एवं पेयों का वितरण – विशेष पोषक कार्यक्रम – पूरक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त आहार – 1000.00 लाख रूपये – कम खरीद/बिल एवं योजना को लागू करने का काम प्रक्रियाधीन होने के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "2225"**– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं पिछडे वर्गो का कल्याण – अनुसूचित जातियों का कल्याण – शिक्षा – मिडिल क्लास तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री जूनियर छात्रवृति योजना – 500.00 लाख रूपये – योजना को लागू करने का काम प्रक्रियाधीन होने के कारण।

5. **मुख्यशीर्ष "2041"**– वाहनों पर कर – अन्य व्यय – (i) छूट (ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रेकिंग शुल्क एवं सिम कार्ड की लागत) – 500.00 लाख रूपये – प्रस्ताव के विचाराधीन होने के कारण।

(ii) छूट (हल्के मोटर वाहन में जीपीएस ट्रेकिंग शुल्क एवं सिम कार्ड की लागत) – 500.00 लाख रूपये – प्रस्ताव के विचाराधीन होने के कारण।

6. **मुख्यशीर्ष "3055"**– सड़क परिवहन – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – क्लस्टर बसों में राष्ट्रीय आम गतिशीलता कार्ड (एनसीएमसी) – 699.10 लाख रूपये – प्रस्ताव के विचाराधीन होने के कारण।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता (i) क्लस्टर बसों मे मार्शलों की तैनाती – 4000.00 लाख रूपये – क्लस्टर बसों मे मार्शलों की तैनाती संबंधी नीति के लंबित रहने के कारण।

(b) Other Programmes – Annual Beneficiaries Verification Scheme – ₹500.00 lakhs – due to proposals & scheme were under process.

(c) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Senior Citizen Pension Scheme (Expansion of Old Age Assistance) (SCSP) – ₹10000.00 lakhs – due to no provision on NSAP portal and creation of DL code in PFMS portal for SCSP was under process.

(ii) Unemployment Allowance to disabled persons (SCSP) – ₹4000.00 lakhs – due to no provision on NSAP portal and creation of DL code in PFMS portal for SCSP was under process and no separate provision for making payment to SC/ST beneficiaries on the NSAP portal.

2. **Under Major Head "2235"** – Social Security and Welfare – Social Welfare – (a) Child Welfare – Incentivised Anganwadi Upgradation Scheme – ₹2500.00 lakhs – due to implementation of scheme was under process and some proposals were under submission for approval.

(b) Women's Welfare – (i) Grant-In-Aid to SCERT for Training of Anganwadi Workers & Helpers – ₹700.00 lakhs – due to non release of Grant-in-Aid and implementation of scheme was under process.

(ii) Mukhyamantri Mahila Samman Yojana – ₹200000.00 lakhs – due to implementation of scheme was under process.

(c) Other Programmes – National Action Plan for Drug Demand Reduction (Napddr) (CSS) – ₹516.00 lakhs – due to provision as per funds received/ to be received from Govt of India and slow pace of expenditure.

3. **Under Major Head "2236"** – Nutrition – Distribution of Nutritious Food & Beverages – Special Nutrition Programme – Additional Diet Under Supplementary Nutrition Programme – ₹1000.00 lakhs – due to less procurement/bills and implementation of Scheme was under process.

4. **Under Major Head "2225"** – Welfare of Scheduled Castes /Scheduled Tribes and other Backward Classes – Welfare of Scheduled Castes – Education – Chief Minister Junior Scholarship Scheme for Students Upto Middle Classes – ₹500.00 lakhs – due to implementation of scheme was under process.

5. **Under Major Head "2041"** – Taxes on Vehicles – Other Expenditure – (i) Subsidies (GPS Tracking Charges and Sim Card Cost in Auto Rickshaws) – ₹500.00 lakhs – due to proposal was under consideration.

(ii) Subsidies (GPS Tracking Charges and Sim Card Cost in Light Motor Vehicles) – ₹500.00 lakhs – due to proposal was under consideration.

6. **Under Major Head "3055"** – Road Transport – (a) Direction and Administration – National Common Mobility Card (NCMC) in Cluster Buses – ₹699.10 lakhs - due to proposal was under consideration.

(b) Assistance to Public Sector and Other Undertakings – (i) Deployment of Marshal in Cluster Buses – ₹4000.00 lakhs - due to pending policy for deployment of marshal in cluster buses.

(ii) दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के क्रियान्वयन के लिए डीटीआईडीसी को सहायता अनुदान –3001.00 लाख रूपये – ईवी पोलिसी लाभार्थियों को सीधे धनराशि वितरित करने की नीति में परिवर्तन के कारण डीटीआईडीसी को धनराशि जारी नहीं करने के कारण।

(iii) 579 ई – बसों के लिए विद्युत वाहनों को छूट – 21000.00 लाख रूपये – डीटीसी में ई–बसों को शामिल न करने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

समाज कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	188921.50)			
पू.	16.50)			
पु.	1489.05)	190427.05	174929.75	–15497.30

महिला एवं बाल विकास निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	412380.70)			
पू.	41.50)			
पु.	–196798.80)	215623.40	183641.99	–31981.41

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "2225"

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति
एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण

मू.	10461.00)			
पू	20.00)			
पु.	2905.00)	13386.00	11790.59	–1595.41

परिवहन विभाग

मुख्यशीर्ष "2041"

वाहनों पर कर

मू.	20481.50)			
पु.	–1174.00)	19307.50	14999.39	–4308.11

मुख्यशीर्ष "3055"

सड़क परिवहन

मू.	477325.00)			
पू.	39402.00)			
पु.	–92121.00)	424606.00	382595.96	–42010.04

पर्यटन विभाग

मुख्यशीर्ष "3452"

पर्यटन

मू.	7047.50)			
पू.	188.10)			
पु.	–3065.60)	4170.00	3947.63	–222.37

(ii) Grand-In-Aid to DTIDC for Implementation of Delhi Electric Vehicle Policy – ₹3001.00 lakhs - due to change in policy for disbursement of funds directly to EV policy beneficiaries, rather than through DTIDC.

(iii) Subsidy for Electrical Vehicles for 579 e-Buses – ₹21000.00 lakhs - due to non induction of e-Buses in DTC.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major heads: –

(In lakh of rupees)

Social Welfare Department			
Major Head "2235"			
Social Security and Welfare			
O. 188921.50)			
S. 16.50)			
R. 1489.05)	190427.05	174929.75	-15497.30
Directorate of Women and Child Development			
Major Head "2235"			
Social Security and Welfare			
O. 412380.70)			
S. 41.50)			
R. -196798.80)	215623.40	183641.99	-31981.41
Deptt. for Welfare of SC/ST and Backward classes			
Major Head "2225"			
Welfare of SC/ST and Other Backward Classes			
O. 10461.00)			
S. 20.00)			
R. 2905.00)	13386.00	11790.59	-1595.41
Transport Department			
Major Head "2041"			
Taxes on Vehicles			
O. 20481.50)			
R .-1174.00)	19307.50	14999.39	-4308.11
Major Head "3055"			
Road Transport			
O. 477325.00)			
S. 39402.00)			
R. -92121.00)	424606.00	382595.96	-42010.04
Tourism Department			
Major Head "3452"			
Tourism			
O. 7047.50)			
S. 188.10)			
R. -3065.60)	4170.00	3947.63	-222.37

5.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :—

1. **मुख्यशीर्ष "2235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण — **(अ)** समाज कल्याण — अन्य कार्यक्रम — मुख्यमंत्री कॉविड—19 परिवार आर्थिक योजना — 709.95 लाख रूपये की बचत (4000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने एवं तकनीकी कारणों से मार्च 2025 में डीएसडब्ल्यूओं के संबंध में भुगतान फाइलों के विफल होने के कारण हुई।

(ब) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम — राष्ट्रीय परिवारिक लाभार्थ योजना — 1478.45 लाख रूपये की बचत (3100.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अपेक्षित आवेदनों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण — समाज कल्याण — (क) बाल कल्याण — (i) लड़कों के लिए बाल गृह /निरीक्षण गृह — 565.23 लाख रूपये की बचत (1758.85 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम बिल/दावे प्राप्त होने, कम खरीद, कम मरम्मत व रखरखाव, कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा बिल व एलटीसी का दावा न करने, वित्तीय वर्ष 2024—25 के अंत में एमआरई जारी करने के कारण कुछ भुगतान नहीं किया जा सका तथा आपूर्ति व सामाग्री शीर्ष के तहत बच्चों की संख्या के अनुसार व्यय करने के कारण हुई।

(ii) सक्षम ऑगनवाड़ी और पोषण 2.0 (सी.एस.एस) — 11355.21 लाख रूपये की बचत (28490.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.50 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने, पिछले वर्ष का अव्ययतित शेष होने, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक व पोषण कर्मचारियों के रिक्त पद होने एवं आउटसोर्स स्टाफ के विस्तार के कारण वेतन जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(iii) सक्षम ऑगनवाड़ी और पोषण 2.0 (राज्य अंश) — 5042.72 लाख रूपये की बचत (13228.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुरूप आनुपातिक राज्य अंश रखने व पिछले वर्ष के अव्ययतित शेष होने, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक व पोषण कर्मचारियों के रिक्त पद होने एवं आउटसोर्स स्टाफ के विस्तार के कारण वेतन जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(iv) सक्षम ऑगनवाड़ी और पोषण 2.0 (राज्य अंश) — 1500.00 लाख रूपये की बचत (22100.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष के दौरान धन की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

(v) मिशन वात्सल्य (सी.एस.एस) — 1428.95 लाख रूपये की बचत (2556.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं होने व वस्तु शीर्ष को बंद करने की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(vi) मिशन वात्सल्य (राज्य अंश) — 870.81 लाख रूपये की बचत (1377.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वस्तु शीर्ष को बंद करने की आवश्यकता होने तथा भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप कम राज्यांश का हस्तांतरण होने के कारण हुई।

(ख) महिला कल्याण — (i) महिलाओं के लिए राज्य आयोग — 672.79 लाख रूपये की बचत (2500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः राज्य महिला आयोग द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण सहायता अनुदान की तीसरी किस्ती का भुगतान नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ii) लाडली योजना — 3194.00 लाख रूपये की बचत (9000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम लाभार्थियों एवं वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2024—25 के लिए व्यय प्रबंधन और व्यय के युक्तिकरण हेतु जारी दिनांक 25.02.2025 के आदेश के संदर्भ में, बिलों का निपटारा नहीं करने के कारण हुई।

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads :–

1. **Under Major Head "2235"** – Social Security and Welfare – **(A)** Social Welfare – Other Programmes – Mukhayamantri COVID-19 Parivar Arthik Sahayata Yojana – Saving of ₹709.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries and failure of payment files in r/o DSWOs in the month of March, 2025 due to technical reason.

   (B) National Social Assistance Programme – National Family Benefit Scheme – Saving of ₹1478.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs) was mainly due to anticipated applications not received.

2. **Under Major Head "2235"** – Social Security and Welfare – Social Welfare – (a) Child Welfare – (i) Children Home/Observation Home for Boys – Saving of ₹565.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1758.85 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claim/bills, less procurement, less repairs & maintenance, medical bills & LTC not claimed by Staff, MRE released at the end of F.Y. 2024-25 hence some payment lapsed and expenses incurred as per strength of children under Supply and Material Head.

   (ii) Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (CSS) – Saving of ₹11355.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28490.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹4.50 lakhs) was mainly due to non receipt of funds from Govt of India, unspent balance of previous year, vacant post of CDPO, Supervisor & Poshan staff and due to extension of outsourced staff hence there salary could not be released.

   (iii) Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (State Share) – Saving of ₹5042.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13228.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to proportionate State Share kept according to receipt of Central Share & unspent balance of previous year, vacant post of CDPO, Supervisor & Poshan staff and due to extension of outsourced staff hence there salary could not be released.

   (iv) Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (State Share) – Saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22100.00 lakhs) was mainly due to no need of funds during the Financial Year.

   (v) Mission Vatsalaya (CSS) – Saving of ₹1428.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2556.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to funds not received from Govt of India and object head need to be closed.

   (vi) Mission Vatsalaya (State Share) – Saving of ₹870.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1377.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to proportionate state share and object head need to be closed and receipt of less funds from Govt of India, accordingly less state share transferred.

   (b) Women Welfare – (i) State Commission for Women – Saving of ₹672.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due to 3rd installment of Grant-in-aid could not be processed due to non submission of requisite documents by State Commission of Women.

   (ii) Ladli Yojana – Saving of ₹3194.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, less beneficiaries and non finalization of bills in reference to order dated 25.02.25 issued by the Finance Department for Expenditure Management and Rationalization of Expenditure for the year 2024-25.

(iii) मिशन शक्ति (सी.एस.एस.) – 947.24 लाख रूपये की बचत (4888.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 6.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अंश जारी करने, प्रशासनिक कारणों से कुछ व्यय न कर सकने, नारी अदालत योजना का क्रियान्वयन न होने एवं एसएनए में अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण भारत सरकार द्वारा कम राशि जारी करने के कारण हुई।

(iv) समृद्धि परियोजना के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान – 693.98 लाख रूपये की बचत (800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान राशि जारी होने और व्यय कि धीमीगति होने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – विधवाओं को पेंशन (एससीएसपी) – 833.32 लाख रूपये की बचत (4000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लाभार्थियों के होने और विभाग द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों की पहचान होना था। परिणामस्वरूप, पेशन रोकने की प्रक्रिया में काफी समय लग गया जिसके कारण फरवरी 2025 की पेंशन का वितरण नहीं कर सकने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2225"**– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण – पिछड़े वर्ग का कल्याण – (क) शिक्षा – अल्पसंख्यक/ओबीसी/ईडब्लूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना – 839.42 लाख रूपये की बचत (1002.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भुगतान का मामला न्यायालय में लंबित होने तथा भुगतान के लिए कैबिनेट के निर्णय को मंजूरी दे दी गई थी पर योजना के तहत प्रत्यक्ष कोचिंग कक्षाओं के संचालन में विभिन्न रूकावटें आने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2041"** – वाहनों पर कर – (क) वसूली प्रभार – 1892.31 लाख रूपये की बचत (7479.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण, वेतन तथा भत्तों के लिए रखी गई राशि पूर्णतः उपयोग में न ला सकने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – 1518.72 लाख रूपये की बचत (2340.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मैसर्स रेलटेल के द्वारा 1.24 करोड़ रूपये व मैसर्स एनआईएससीआई के द्वारा 8.00 लाख रूपये के बिल इन ऐजेंसियों के द्वारा जमा नहीं करने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "3055"**– सड़क परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – रियायती पासों के लिए डी.टी.सी. को सब्सिडी – 3762.65 लाख रूपये की बचत (5400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लाभार्थी एवं जारी किए गए रियायती पासों के आधार पर किया गया व्यय और तदनुसार डीटीसी द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए दावा करने के कारण हुई।

(ii) घाटा पूर्ति के लिये डीटीसी को सहायता अनुदान – 36525.00 लाख रूपये की बचत (273500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 13500.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता धनराशि जारी करने के कारण हुई।

(iii) क्लस्टर बसों को घाटा पूर्ति के लिये क्षतिपूर्ति – 62792.46 लाख रूपये की बचत (125000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 15900.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम लाभार्थी/दावें प्राप्त होने एवं तीन महीने की अवधि के लिए डीआईएमटीएस को वीजीएफ के लिए 689.03 करोड़ की राशि जारी करने का प्रस्ताव, योजना विभाग व वित्त विभाग, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा मंजूर न कर सकने के कारण हुई।

(iv) महिला यात्रियों के लिए डीटीसी को छूट – 2136.47 लाख रूपये की बचत (24000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम लाभार्थियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) Mission Shakti (CSS) – Saving of ₹947.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4888.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹6.00 lakhs) was mainly due to release of central share by the Ministry at the fag end of the Financial year, some expenditure could not be incurred due to administrative reasons, non implementation of NARI ADALAT scheme and less release of funds by the Govt. of India due to availability of unspent balance in SNA.

(iv) Grant in Aid to DSEU for Project Samriddhi – Saving of ₹693.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and slow pace of expenditure.

(c) Special Component Plan for Scheduled Castes – Pension to Widows (SCSP) – Saving of ₹833.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries and a large number of in-eligible beneficiaries were identified during the physical verification conducted by the Department. As a result, the process of stopping the pension took considerable time, due to which the pension for February 2025 could not be disbursed.

3. **Under Major Head "2225"** – Welfare of Scheduled Castes Scheduled Tribes and other Backward Classes – Welfare of Backward Classes – Education – Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojna for Minorities/OBC/EWS – Saving of ₹839.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to matter of payment pending in court & cabinet decision for payment has been approved but various interruptions occured in conduct of physical coaching classes under the scheme.

4. **Under Major Head "2041"** – Taxes on Vehicles – (a) Collection charges – Saving of ₹1892.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7479.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant post hence funds kept for salaries and allowances could not be exhausted fully.

(b) Other Expenditure – (i) Computerisation of Records – Saving of ₹1518.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2340.50 lakhs) was mainly due to bills by M/s Railtel amounting to Rs 1.24 Cr & bills by M/s NISCI amounting to Rs 8.00 Lakh were not submitted by these agencies.

5 **Under Major Head "3055"** – Road Transport – Assistance to Public Sector and other undertakings – (i) Subsidy to DTC for Concessional Passes – Saving of ₹3762.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries and expenditure incurred on basis of concessional passes issued and accordingly claimed by DTC for reimbursement.

(ii) Grant-In-Aid in Aid to DTC for Working Deficit – Saving of ₹36525.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹273500.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹13500.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in- Aid.

(iii) Compensation for Meeting Deficit of Cluster Buses – Saving of ₹62792.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹125000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹15900.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries/claims and proposal for release of VGF amounting to Rs. 689.03 cr. to DIMTS for a period of three months could not be approved from planning and Finance Deptt., GNCTD.

(iv) Subsidy to DTC for Female Commuters – Saving of ₹2136.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries/claims.

(v) महिला यात्रियों के लिए क्लस्टर बसों को छूट – 1881.64 लाख रूपये की बचत (20000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 6000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम लाभार्थियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(vi) डीटीसी बसों में मार्शलों की तैनाती – 3255.71 लाख रूपये की बचत (10000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः नई बसों के समावेश में देरी होने एवं डीटीसी और एफसीएमएस बसों में मार्शल के रूप में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन के संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न हो सकने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "3452"**– पर्यटन – पर्यटन अवस्थापना – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – दिल्ली फिल्म फंड के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान – 800.00 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पर्याप्त प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 5087.73 लाख रूपये की बचत 14 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जोकि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गई थी :–

1 **मुख्यशीर्ष "2235"**– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – **(अ)** समाज कल्याण – (क) दिव्यांगों का कल्याण – दिव्यांगों को बेरोजगारी भत्ता – 822.85 लाख रूपये का अधिक व्यय (37501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः नए मामलें/लाभार्थियों तथा बकाया मामलों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) वृद्ध अशक्त व निस्सहायों का कल्याण – वरिष्ट नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) – 1197.55 लाख रूपये का अधिक व्यय (110002.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ब) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम – राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) (एन.एस.ए.पी.) (सी.एस.एस.) – 4933.12 लाख रूपये का अधिक व्यय (4422.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार प्रावधान रखे जाने के कारण हुआ।

2 **मुख्यशीर्ष "2235"**– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – महिलाओं का कल्याण – (i) विधवाओं को पेंशन – 5227.95 लाख रूपये का अधिक व्यय (100002.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्लू.पी.एस.) (एन.एस.ए.पी.) (सी.एस.एस.) – 656.61 लाख रूपये का अधिक व्यय (1293.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त/प्राप्त होने वाली राशि के अनुसार प्रावधान रखे जाने के कारण हुआ।

3 **मुख्यशीर्ष "2225"**– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण – अनुसूचित जातियों का कल्याण – (क) सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – दिल्ली अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटीड को सहायता अनुदान – 2481.36 लाख रूपये का अधिक व्यय (4.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रावधान रखे जाने के कारण हुआ।

(v) Subsidy to Cluster Buses for Female Commuters – Saving of ₹1881.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹6000.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries/claims.

(vi) Deployment of Marshell in DTC Buses – Saving of ₹3255.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to delay in induction of new buses and concurrence of Finance Department could not be received in respect of ex-post facto approval for engagement of ex-serviceman as Bus Marshal in DTC and FCMS buses.

6. **Under Major Head "3452"** – Tourism – Tourist Infrastructure – Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Grant-In-Aid to DTTDC for Delhi Films Funds – Saving of ₹800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to non receipt of sufficient application.

Further, saving of ₹5087.73 lakhs remained under fourteen sub-heads which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above said savings were partly off set by excesses under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head "2235"** – Social Security and Welfare – **(A)** Social Welfare – (a) Welfare of Handicapped – Unemployment Allowance to Disabled Persons – Excess of ₹822.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to new cases/beneficiaries & adding of arrear cases.

   (b) Welfare of Aged, Infirm and Destitute – Senior Citizen Pension Scheme (Expansion of Old Age Assistance) – Excess of ₹1197.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹110002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to inclusion of more beneficiaries.

   (**B**) National Social Assistance Programme – National Old Age Pension Scheme – Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) (NSAP) (CSS) – Excess of ₹4933.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4422.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to provision kept according to funds sanctioned by Govt of India.

2. **Under Major Head "2235"** – Social Security and Welfare – Social Welfare – Women Welfare – (i) Pension to Widows – Excess of ₹5227.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to more beneficiaries included.

   (ii) Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) (NSAP) (CSS) – Excess of ₹656.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1293.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per funds received/ to be received from Govt of India.

3. **Under Major Head "2225"** – Welfare of Scheduled Castes /Scheduled Tribes and Other Backward Classes – Welfare of Scheduled Castes – (a) Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Grant-in-Aid to Delhi Scheduled Caste Financial & Development Corporation Ltd. – Excess of ₹2481.36 lakhs (against the supplementary provision of ₹4.00 lakhs) was mainly due to provision has been kept as per direction of Hon'ble High Court.

(ख) शिक्षा – सार्वजनिक विद्यालयों में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति – 1497.24 लाख रूपये का अधिक व्यय (2002.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार छात्रों के लिए प्रावधान रखे जाने के कारण हुआ।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सार्वजनिक विद्यालयों में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (एस.सी.एस.पी.) – 996.71 लाख रूपये का अधिक व्यय (502.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार छात्रों के लिए प्रावधान रखे जाने के कारण हुआ।

4 **मुख्यशीर्ष "3055"**– सड़क परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – क्लस्टर ई–बसों के घाटे को पूरा करने के लिए मुआवज़ा – 4999.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः ई–क्लस्टर बसों के घाटे को पूरा करने के लिए मुआवजे का प्रावधान रखने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 717.45 लाख़ रूपये का अधिक व्यय दो उपशीर्षों के अन्तर्गत हुआ जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 171253.59 लाख रूपये की कुल बचत थी (276777.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 197480.50 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि कुल स्वीकृत प्रावधान का 61.87 प्रतिशत थी।

95395.00 लाख रूपये की राशि 10 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य **पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग**			
मुख्यशीर्ष "4225"			
अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय			
मू. 6450.00)			
पु. –1900.00)	4550.00	3654.57	–895.43
परिवाहन विभाग			
मुख्यशीर्ष "5055"			
सड़क परिवाहन पर पूंजि परिव्यय			
मू. 32183.00)			
पू. 67173.00)			
पु. 36983.00)	62373.00	43417.91	–18955.09
मुख्यशीर्ष "7055"			
सड़क परिवहन पर ऋण			
मू. 40001.00)			
पू. 127599.00)			
पु. –17500.00)	150100.00	55000.00	–95100.00

(b) Education – Reimbursment of Tution Fee in Public School – Excess of ₹1497.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to provision has been kept for student as per e-district portal.

(c) Special Component Plan for Scheduled Castes – Reimbursment of Tution Fee in Public School (SCSP) – Excess of ₹996.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹502.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to provision kept for student as per e-district portal.

4. **Under Major Head "3055"** – Road Transport – Assistance to Public Sector and other undertakings – Compensation for Meeting Deficit of Cluster E-Buses – Excess of ₹4999.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision was kept for compensation for meeting deficit of cluster e-buses.

Further, Excess of ₹717.45 lakhs remained under two sub-heads which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, saving of ₹171253.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹276777.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹197480.50 lakhs) constituted 61.87% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹95395.00 lakhs remained wholly unutilized under ten sub-heads:

Saving / Excess occurred mainly under the following Major heads: –

(In lakh of rupees)

Department for Welfare of SC/ST & Other Backward Classes			
Major Head "4225"			
Capital Outlay on Welfare of S.C./S.T. & Other Backward Classes			
O. 6450.00)			
R. -1900.00)	4550.00	3654.57	-895.43
Transport Department			
Major Head "5055"			
Capital Outlay on Road Transport			
O. 32183.00)			
S. 67173.00)			
R. 36983.00)	62373.00	43417.91	-18955.09
Major Head "7055"			
Loans of Road Transprot			
O. 40001.00)			
S. 127599.00)			
R. -17500.00)	150100.00	55000.00	-95100.00

5.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षो के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4225"** – अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय – अनुसूचित जाति का कल्याण – अनूसुचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों की बस्तियों का सुधार (एस.सी.एस.पी) – 2795.43 लाख रूपये की बचत (6450.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के अंतर्गत पात्र प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होना तथा वित्तीय वर्ष के दौरान आई.एण्ड.एफ.सी. विभाग द्वारा किया गया वास्तविक व्यय उनके पास उपलब्ध धनराशि से कम होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "5055"** – सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय – (क) भूमि व भवन – (i) परिवहन विभाग – 1874.62 लाख रूपये की बचत (1900.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

   (ii) नई तकनीक सहित बस डिपों और टर्मिनलों का निर्माण – 18880.47 लाख रूपये की बचत (20000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 19900.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रशासनिक कारणों से राशियों का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा सका तथा कुछ परियोजनाएं पेड़ काटने से संबंधित मुद्दों के कारण विलंबित हुई।

   (ख) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में निवेश – एम.आर.टी. प्राधिकरण को समान पूंजी – 10000.00 लाख रूपये की बचत (47273.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 37273.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रस्ताव के विचाराधीन रहने के कारण हुई।

   (ग) अन्य व्यय – आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर – 25000.00 लाख रूपये की बचत (30000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "7055"** – सड़क परिवहन के लिए ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण – (i) एम.आर.टी.एस. के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधीनस्थ ऋण – 10000.00 लाख रूपये की बचत (20000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः व्यय की धीमी गति के कारण हुई।

   (ii) केन्द्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एम.आर.टी.एस. को ऋण – 2500.00 लाख रूपये की बचत (17500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 7500.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः व्यय की धीमी गति के कारण हुई।

   (iii) डीएमआरसी को राज्य करों की ओर ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण – 5000.00 लाख रूपये की बचत (35000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 15000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः व्यय की धीमी गति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 406.86 लाख रूपये का अधिक व्यय एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुआ जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम था ।

Savings occurred more than ₹5.00 crore under the following sub heads:–

1. **Under Major Head "4225"** – Capital Outlay on Welfare of S.C./S.T. & Other Backward Classes – Welfare of Scheduled Castes – Special Component Plan for Scheduled Castes – Improvement of SC Basties (SCSP) – Saving of ₹2795.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6450.00 lakhs) was mainly due to less number of eligible proposals under the scheme received and during the financial year actual expenditure incurred by the I&FC Department was less than the funds placed on their disposal.

2. **Under Major Head "5055"** – Capital Outlay on Road Transport – (a) Land and Buildings – (i) Transport Department – Saving of ₹1874.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs) was mainly due to non receipt of completion certificate for automatic driving test track.

   (ii) Construction of Bus Depots and Terminals Including New Technology – Saving of ₹18880.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹19900.00 lakhs) was mainly due to the funds could not be fully utilized due to the administrative reasons & some projects were delayed due to issues related to tree cuttings.

   (b) Investment in Public Sector and Other Undertakings – Equity Captital to MRT Authority – Saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47273.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹37273.00 lakhs) was mainly due to proposal was under consideration.

   (c) Other Expenditure – RRTS Corridor – Saving of ₹25000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to as per progress of work.

3. **Under Major Head "7055"** – Loans for Road Transport – Loans to Public Sector and Other Undertakings – (i) Subordinate Debts for Loan Acquisition for MRTS – Saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to as per pace of the expenditure.

   (ii) Loan to MRTS for Reimbursement of Central Taxes – Saving of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17500.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹7500.00 lakhs) was mainly due to as per pace of the expenditure.

   (iii) Interest Free Subordinate Debts Towards State Taxes to DMRC – Saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹15000.00 lakhs) was mainly due to as per pace of the expenditure.

Further, Excess of ₹406.86 lakhs remained under one sub-head which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 9 – उद्योग

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित–				
मूल	3,00)			
पूरक	5)	3,05	0,00	–3,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–2,00
स्वीकृत–				
मूल	360,69,50)			
पूरक	3,00)	360,72,50	249,65,43	–111,07,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–29,36,05
पूंजीगत				
स्वीकृत –				
मूल	15,44,50)			
पूरक	7,00)	15,51,50	1,26,27	–14,25,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–10,30,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 3.05 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि (3.05 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 0.05 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 100 प्रतिशत थी ।

3.05 लाख रूपये की राशि तीन उपशीर्षो के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 11107.07 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि (36072.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 30.79 प्रतिशत थी ।

7255.94 लाख रूपये की राशि सैंतीस उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "2852"** – उद्योग – सामान्य – औद्योगिक संवर्धन – (i) दिल्ली इलैक्ट्रानिक सिटी के प्रचार और विकास के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान – 500.00 लाख रूपये – योजना पर अंतिम निर्णय न होने के कारण।

   (ii) गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्जनन के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान – 500.00 लाख रूपये – प्रस्ताव के प्रक्रियाधीन होने के कारण।

GRANT NO. 9 – INDUSTRIES

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	3,00)			
Supplementary	5)	3,05	0.00	-3,05
Amount surrendered during the year				-2,00
Voted –				
Original	360,69,50)			
Supplementary	3,00)	360,72,50	249,65,43	-111,07,07
Amount surrendered during the year				-29,36,05
CAPITAL				
Voted –				
Original	15,44,50)			
Supplementary	7,00)	15,51,50	1,26,27	-14,25,23
Amount surrendered during the year				-10,30,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, there was overall savings of ₹3.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3.05 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹0.05 lakhs) constituted 100% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹3.05 lakhs remained wholly unutilized under three sub-heads.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, there was overall savings of ₹11107.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36072.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) which constituted 30.79% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹7255.94 lakhs remained wholly unutilized under thirty-seven sub-heads. This Includes the following sub-heads:-

1. **Under Major Head "2852"** – Industries – General – Industrial Promotion – (i) Grant in Aid to DSIIDC for Promotion and Development of Dilli Electronic City – ₹500.00 lakhs - due to non finalization of scheme.

   (ii) Grant in Aid to DSIIDC for Regeneration of Non-Conforming Industrial Area – ₹500.00 lakhs - due to proposal was under process.

2. **मुख्यशीर्ष "3456"** – नागरिक आपूर्ति – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अभियान – 500.00 लाख रूपये – योजना के बंद होने के कारण।

(ख) नागरिक आपूर्ति योजना – एन.एफ.एस.ए. के तहत खाद्यान्नों व एफपीएस डीलरों के मार्जिन के अंतर राज्य आवाजाही के लिए राज्य संस्थानों को सहायता (राज्य अंश) – 3600.00 लाख रूपये – राज्य के आनुपातिक अंश को वर्ष 2024–25 के दौरान दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त वित्त वर्ष के दौरान वित्त विभाग का प्राधिकृत पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) उपभोक्ता छूट – आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की जांच के लिए बाजारों पर हस्तक्षेप का प्रावधान–500.00 लाख रूपये – जब भी किसी आवश्यक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है और हितधारकों द्वारा जमाखोरी की संभावना होती है तो उन वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं, इस तरह का कोई बाजार हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
मुख्यशीर्ष "3456"
नागरिक आपूर्ति

मू.	23602.75)			
पू.	2.00)			
पु.	26.20)	23630.95	16958.03	–6672.92

5.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुईः–

4. **मुख्यशीर्ष "3456"** – नागरिक आपूर्तियां – निर्देशन एवं प्रशासन – 1038.93 लाख रूपये की बचत (6074.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना मे) मुख्यतः कम बिलों/दावों की प्राप्ति, ईंधन की कम खपत, मुकदमें बाजी में कमी, कम खरीद, सीडीवीएस को हटाया जाना, वाहनों की कम मरम्मत व रख–रखाव, रिक्त पदों के भरे न जाने, गैर पैनल अधिवक्ताओं के लंबित बिलों एवं कुछ प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न हो सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 2293.85 लाख़ रूपये की बचत छः उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 1425.23 लाख रूपये की कुल बचत थी (1551.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 7.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि कुल स्वीकृत प्रावधान का 91.86 प्रतिशत थी ।

912.20 लाख रूपये की राशि सात उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

इसके अतिरिक्त, 377.55 लाख़ रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

2. **Under Major Head "3456"** – Civil Supplies – (a) Direction and Administration – Campaign for Door Step Delivery of Ration – ₹500.00 lakhs - due to scheme has been discontinued.

(b) Civil Supply Schemes – Assistance to State Agencies for Inter-state Movement of Food Grains and FPS Dealers Margin Under NFSA (State Share) – ₹3600.00 lakhs - due to state proportionate share could not be booked during the FY 2024-25 as authorization of Finance Department was not received during the said Finance Year.

(c) Consumer Subsidies – Provision for Market Intervention to check the rising prices of Essential Commodity – ₹500.00 lakhs - due to the reason that as and when there is rise in the price of any of the essential commodity and possibility of hoardings stock by stakeholders, steps are taken to stabilize the prices for those commodities, no such market intervention has been conducted.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head:–

(In lakh of rupees)

Food & Civil Supplies & Consumers Affairs			
Major Head "3456"			
Civil Supplies			
O. 23602.75)			
S. 2.00)			
R. 26.20)	23630.95	16958.03	-6672.92

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head:–

1. **Under Major Head "3456"** – Civil Supplies – Direction & Administration – Saving of ₹1038.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6074.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to receipt of less claims/bills, less consumption of fuel, decrease in litigation cases, less procurement, disengagement of CDVs, less repairs & maintenance of vehicles, non filling of vacant post, pending bills of non-panel advocates and some proposal could not be finalized.

Further, saving of ₹2293.85 lakhs remained under six sub-head which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹1425.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1551.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹7.00 lakhs) constituted 91.86% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹912.00 lakhs remained wholly unutilized under seven sub-heads

Further, saving of ₹377.55 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 10 – विकास

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित–				
मूल	23,20)			
पूरक	7,60)	30,80	2,54	–28,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–6,20
स्वीकृत –				
मूल	3916,87,25)			
पूरक	621,85,10)	4538,72,35	3811,04,30	–727,68,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–296,13,95
पूंजीगत				
प्रभारित–				
मूल	5,70,00)			
पूरक	00)	5,70,00	4,16,73	–1,53,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–70,00
स्वीकृत				
मूल	1033,18,69)			
पूरक	28,00)	1033,46,69	346,23,41	–687,23,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–636,96,98

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 28.26 लाख रूपये की कुल बचत थी (30.80 लाख रूपये के स्वीकृत विनियोजन एवं 7.60 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 91.75 प्रतिशत थी ।

27.20 लाख रूपये की राशि नौ उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 72768.05 लाख रूपये की कुल बचत थी (453872.35 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 62185.10 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 16.03 प्रतिशत थी ।

21450.71 लाख रूपये की राशि 51 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – जिला स्थापना – मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा – 8000.00 लाख रूपये – आदर्श आचार संहिता के कारण निर्धारित कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दे सकने के कारण।

GRANT NO. 10 – DEVELOPMENT

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	23,20)			
Supplementary	7,60)	30,80	2,54	-28,26
Amount surrendered during the year				-6,20
Voted -				
Original	3916,87,25)			
Supplementary	621,85,10)	4538,72,35	3811,04,30	-727,68,05
Amount surrendered during the year				-296,13,95
CAPITAL				
Charged –				
Original	5,70,00)			
Supplementary	00)	5,70,00	4,16,73	-1,53,27
Amount surrendered during the year				-70,00
Voted –				
Original	1033,18,69)			
Supplementary	28,00)	1033,46,69	346,23,41	-687,23,28
Amount surrendered during the year				-636,96,98

Notes and Comments

In the **Charged portion of the Revenue Section** of the grant, saving of ₹28.26 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹30.80 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹7.60 lakhs) constituted 91.75% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹27.20 lakhs remained wholly unutilized under nine sub-heads

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹72768.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹453872.35 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹62185.10 lakhs) constituted 16.03% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹21450.71 lakhs remained wholly unutilized under fifty-one sub-heads. This includes the following sub-heads:-

1. **Under Major Head "2053"** – District Administration – District Establishments – Mukhyamantari Teerth Yatra – ₹8000.00 lakhs - due to schedule has not been finalized due to Model Code of Conduct.

2. **मुख्यशीर्ष "3435"**— पारिस्थितिकी और पर्यावरण — प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण — वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम — (i) ई कचरा इको पार्क के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. को सहायता अनुदान — 1524.00 लाख रूपये — मुख्यतः डीएसआईआईडीसी द्वारा धन की आवश्यकता न बताने के कारण।

(ii) मैकेनिक रोड स्वीपिंग मशीन (एमआरएस), जल छिडकाव मशीन (डब्लूएस) और एंटी स्मॉग गन (एएसजी) की संलग्नता के लिए दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 10000.00 लाख रूपये — मुख्यतः एमसीडी द्वारा एंटीस्मॉग गन और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन के साथ एकीकृत वाटर स्प्रिंकलर मशीन की स्थापना के लिए बजट आवंटन हेतु धन की मांग करने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :—

(लाख रूपयों में)

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

मुख्यशीर्ष "2075"

विविध सामान्य सेवायें

मू.	1800.00)	1800.00	1286.69	—513.31

मुख्यशीर्ष "2702"

लघु सिंचाई

मू.	3020.50)			
पु.	—1114.61)	1905.89	1667.69	—238.20

मुख्यशीर्ष "2711"

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी

मू.	18613.50)			
पू.	2.00)			
पु.	8911.61)	27527.11	22685.71	—4841.40

मण्डल आयुक्त कार्यालय

मुख्यशीर्ष "2030"

स्टाम्प और पंजीकरण

मू.	4075.50)			
पू.	924.07)			
पु.	—113.07)	4886.50	3923.38	—963.12

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	2000.00)			
पु.	—354.37)	1645.63	1431.25	—214.**38**

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	13082.00)			
पू.	2503.00)			
पु.	—9498.00)	6087.00	4008.31	—2078.69

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	1004.50)			
पू.	9000.00)			
पु.	—5041.83)	4962.67	1441.51	—3521.16

2. **Under Major Head "3435"** – Ecology and Environment – Prevention and Control of Pollution – Prevention and Air and Water Pollution – (i) Grants-In-Aid to DSIIDC for e-Waste Eco Park – ₹1524.00 lakhs – due to no funds requirement were raised by the DSIIDC.

(i) Grants-In-Aid to MCD for Engagement of Mechanical Road Sweeping Machine (MRS) Water Sprinkler Machine (WS) and Anti Smog Gun (ASG) – ₹10000.00 lakhs – due to no funds was demanded by MCD for allocation of budget for engagement of Water Sprinkler Machine integrated with Anti-Smog Gun and Mechanical Road Sweeping machine.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Irrigation & Flood Control Department			
Major Head "2075"			
Miscellaneous General Services			
O. 1800.00)	1800.00	1286.69	-513.31
Major Head "2702"			
Minor Irrigation			
O. 3020.50)			
R. -1114.61)	1905.89	1667.69	-238.20
Major Head "2711"			
Flood Control and Drainage			
O. 18613.50)			
S. 2.00)			
R. 8911.61)	27527.11	22685.71	-4841.40
Divisional Commissioner's Office			
Major Head "2030"			
Stamps and Registration			
O. 4075.50)			
s. 924.07)			
R. -113.07)	4886.50	3923.38	-963.12
Major Head "2052"			
Secretariat General Services			
O. 2000.00)			
R. -354.37)	1645.63	1431.25	-214.38
Major Head "2053"			
District Administration			
O. 13082.00)			
S. 2503.00)			
R. -9498.00)	6087.00	4008.31	-2078.69
Major Head "2070"			
Other Administrative Services			
O. 1004.50)			
S. 9000.00)			
R. -5041.83)	4962.67	1441.51	-3521.16

मुख्यशीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण मू. 7980.00) पु. −2368.09)	5611.91	2079.99	−3531.92
मुख्यशीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत मू. 14161.17) पू. 1.00) पु. −6396.63)	7765.54	6082.24	−1683.30
मुख्यशीर्ष "3604" स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा कार्यभार मू. 225000.00) पू. 49732.43) पु. 2467.57)	277200.00	272647.94	−4552.06
वन विभाग **मुख्यशीर्ष "2406"** वानिकी और वन्य जीवन मू. 12527.78) पू. 1.00) पु. −2168.48)	10360.30	7487.82	−2872.48
उपायुक्त कार्यालय **(मध्य क्षेत्र)** **मुख्यशीर्ष "2015"** चुनाव मू. 1906.00) पु. −167.37)	1738.63	1384.87	−353.76
उपायुक्त कार्यालय **(नई दिल्ली क्षेत्र)** **मुख्यशीर्ष "2015"** चुनाव मू. 3773.09) पु. −1109.84)	2663.25	2185.38	−477.87
उपायुक्त कार्यालय **(दक्षिणी क्षेत्र)** **मुख्यशीर्ष "2015"** चुनाव मू. 3297.70) पू. 2.00) पु. 1667.21)	4966.91	4117.68	−849.23
मुख्यशीर्ष "2053" चुनाव मू. 1865.00) पू. 1.00) पु. −397.62)	1468.47	1156.68	−311.79

Major Head "2235" Social Security and Welfare O. 7980.00) R. -2368.09)	5611.91	2079.99	-3531.92
Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities O. 14161.17) S. 1.00) R. -6396.63)	7765.54	6082.24	-1683.30
Major Head "3604" Compensation and Assignments to local bodies & Panchayati Raj Institutions: O. 225000.00) S. 49732.43) R. 2467.57)	277200.00	272647.94	-4552.06
Forest Department **Major Head "2406"** Forestry and Wildlife O. 12527.78) S. 1.00) R. -2168.48)	10360.30	7487.82	-2872.48
Dy. Commissioner's Officer **(Central Zone)** **Major Head "2015"** Elections O. 1906.00) R. -167.37)	1738.63	1384.87	-353.76
Dy. Commissioner's Officer **(New Delhi Zone)** **Major Head "2015"** Elections O. 3773.09) R. -1109.84)	2663.25	2185.38	-477.87
Dy. Commissioner's Officer **(South Zone)** **Major Head "2015"** Elections O. 3297.70) S. 2.00) R. 1667.21)	4966.91	4117.68	-849.23
Major Head "2053" Elections O. 1865.09) S. 1.00) R. -397.62)	1468.47	1156.68	-311.79

उपायुक्त कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र)				
मुख्यशीर्ष "2015"				
चुनाव				
मू.	4747.00)			
पू.	1.00)			
पु.	173.34)	4574.66	3576.40	–998.26
उपायुक्त कार्यालय (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र)				
मुख्यशीर्ष "2015"				
चुनाव				
मू.	2988.49)			
पू.	2.00)			
पु.	436.47)	3426.96	2670.24	–756.72
उपायुक्त कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र)				
मुख्यशीर्ष "2015"				
चुनाव				
मू.	4064.50)			
पु.	–365.14)	3699.36	2297.20	–1402.16
उपायुक्त कार्यालय (शाहदरा क्षेत्र)				
मुख्यशीर्ष "2015"				
चुनाव				
मू.	1513.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–186.60)	1327.40	864.77	–462.63
उपायुक्त कार्यालय (दक्षिणी पूर्व क्षेत्र)				
मुख्यशीर्ष "2015"				
चुनाव				
मू.	2520.00)			
पु.	–239.80)	2280.20	1129.25	–1150.95
पर्यावरण विभाग				
मुख्यशीर्ष "3435"				
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण				
मू.	16590.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–11587.60)	5003.40	3187.02	–1816.38

5.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2075"** – विविध सामान्य सेवाएं – अन्य व्यय – पेट्रोल आपूर्ति योजना – 513.31 लाख रूपये की बचत (1800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सरकारी वाहनो, मोटर बोटों, डीजी पम्प सेटों से पेट्रोल/डीजल की मांग में कमी होने के कारण हुई।

Dy. Commissioner's Officer (East Zone) Major Head "2015" Elections O. 4747.00) S. 1.00) R. 173.34)	4574.66	3576.40	-998.26
Dy. Commissioner's Officer (North East Zone) Major Head "2015" Elections O. 2988.49) S. 2.00) R. 436.47)	3426.96	2670.24	-756.72
Dy. Commissioner's Officer (North Zone) Major Head "2015" Elections O. 4064.50) R. -365.14)	3699.36	2297.20	-1402.16
Dy. Commissioner's Officer (Shahdara Zone) Major Head "2015" Elections O. 1513.00) S. 1.00) R. -186.60)	1327.40	864.77	-462.63
Dy. Commissioner's Officer (South East Zone) Major Head "2015" Elections O. 2520.00) R. -239.80)	2280.20	1129.25	-1150.95
Environment Department Major Head "3435" Ecology and Environment O. 16590.00) S. 1.00) R. -11587.60)	5003.40	3187.02	-1816.38

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads:–

1. **Under Major Head "2075"** – Miscellaneous General Services – Other Expenditure – Petrol Supply Schemes – Saving of ₹513.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was mainly due to decrease in demand of petrol/diesel from Govt. vehicle, Motor Boats, DG Pump-Sets etc.

2. **मुख्यशीर्ष "2702"** – लघु सिंचाई – सामान्य – अन्य व्यय – लघु कार्यों का रखरखाव और मरम्मत – 1155.07 लाख रूपये की बचत (2516.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, कम दावों/बिलों के प्राप्त न होने, कम लघु सिविल व विद्युत कार्य होने, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कम कार्य निष्पादित होने, ठेकेदारों द्वारा कम दरें उद्धृत करने तथा नई एलओसी पर कार्रवाई नहीं होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2711"**– बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी – बाढ़ नियंत्रण – निर्देशन एवं प्रशासन – 620.67 लाख रूपये की बचत (3217.70 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम होने, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कम कार्य निष्पादित होने, ठेकेदारों द्वारा कम दरें उद्धृत करने तथा नई एलओसी पर कार्रवाई नहीं होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2030"** – स्टाम्प और पंजीकरण – स्टाम्प–गैर न्यायिक – स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय – राजस्व सचिव – 771.83 लाख रूपये की बचत (4424.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 924.07 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः संपत्ति का कम लेन–देन होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – दिल्ली वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान – 568.75 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान सहायता जारी करने, कुछ मामलों में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने एव कुछ अनुदान विशिष्ट उदेश्य के लिए स्वीकृत किया गया था जिसके कारण, शेष राशि का उपयोग नहीं कर सकने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – जिला स्थापना – (i) राजस्व सचिव – 876.67 लाख रूपये की बचत (2553.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानांतरण, रिक्त पदों, मजदूरी के भुगतान पर कोई व्यय न होने तथा कम दावों/बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए सेवाएं – 2688.13 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2500.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः संबंधित जिलों द्वारा बिलों पर कार्यवाही न करने तथा प्रशासनिक कारणों से प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न हो सकने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – अन्य व्यय – नागरिक सुरक्षा – 8550.99 लाख रूपये की बचत (9992.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 9000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम खरीद, कॉल आउट डयूटी के लिए अपेक्षित संख्या में सीडीवी द्वारा आवेदन न करने, रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रशासनिक कारणों से सीडीवी के प्रक्षिशण कार्यक्रम पर अंतिम स्वीकृति न होना तथा सरकारी वकीलों द्वारा पूर्ण बिल प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "2235"**– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – **(अ)** पुनर्वास – अन्य राहत उपाय – जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापितों के संबंध में मासिक तदर्थ राहत का भुगतान – 4316.99 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविकता के आधार पर व्यय करने तथा परिवार के सदस्यों द्वारा आधार विवरण प्रस्तुत न करने के कारण, धनराशि का उपयोग नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ब) अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रम कल्याण – अन्य कार्यक्रम – रक्षा/दिल्ली पुलिस/अर्धसैनिक/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षाकर्मी को लड़ाई/कार्यवाही के दौरान मरने पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी – 1000.00 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लगभग 35 मामलों पर निर्णय लंबित रहने के कारण हुई।

2. **Under Major Head "2702"** – Minor Irrigation – General – Other Expenditure – Maintenance and Repair of Minor Work – Saving of ₹1155.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2516.50 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less minor Civil & Electric Works, less work executed due to imposition of Model Code of Conduct, contractor quoted less rates and fresh LOC could not be processed.

3. **Under Major Head "2711"** – Flood Control and Drainage – Flood Control – Direction and Administration – Saving of ₹620.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3217.70 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less training programme, less work executed due to imposition of Model Code of Conduct, contractor quoted less rates and fresh LOC could not be processed.

4. **Under Major Head "2030**" –Stamps and Registration – Stamps-Non-Judicial – Expenses on Sale of Stamps – Secretary Revenue – Saving of ₹771.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4424.07 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹924.07 lakhs) was mainly due to less transaction of property.

5. **Under Major Head "2052"** – Secretariat General Services – Secretariat – Grant-in-aid to Delhi Wakf Board – Saving of ₹568.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid, non receipt of administrative approval in some cases and grant was sanctioned for specific purposes, hence balance amount could not be utilized.

6. **Under Major Head "2053"** – District Administration – District Establishments – (i) Secretary Revenue – Saving of ₹876.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2553.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to transfer of staff, vacant posts, no expenditure incurred on payment of wages and receipt of less claim/bills.

   (ii) Services for Various Religious Activities – Saving of ₹2688.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due to bills had not been processed by concerned districts and proposals could not be materialized due to administrative reasons.

7. **Under Major Head "2070**" – Other Administrative Services – Other Expenditure – Civil Defence – Saving of ₹8550.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9992.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹9000.00 lakhs) was mainly due to receipt of less claim/bills, less procurement, expected number of CDVs not applied for call out duty, non-filling up of vacant posts, non-finalization of training schedule of CDVs due to administrative reasons and non-submission of complete bills by the Government Counsels.

8**.** **Under Major Head "2235"** – Social Security and Welfare – **(A)** Rehabilitation – Other Relief Measures – Payment of Monthly Ad-hoc relief in respect of J&K Migrants – Saving of ₹4316.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due to as per actual expenditure and non-submission of Aadhar details of the family members, hence funds could not be utilized.

   (B) Other Social Security & Welfare Programme – Other Programmes – Ex Gratia Payment to Defence/Delhi Police/Para Military/Home Guard & Civil Defence Personnel Dying in Operation/War – Saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to approximate 35 cases pending for decision.

9. **मुख्यशीर्ष "2245"**– प्राकृतिक आपदाओ के लिए राहत – **(अ)** बाढ़, तूफान इत्यादि – निशुल्क राहत – राजस्व सचिव – 5991.52 लाख रूपये की बचत (10001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम लाभार्थियों एवं प्रशासनिक कारणों से प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(ब) सामान्य – (क) आपदा तैयारी में प्रशिक्षण के लिए केन्द्र – आपदा प्रतिक्रिया कोष द्वारा वित्तपोषित संक्रमण/सर्वव्यापी महामारी कोष – 1246.00 लाख रूपये की बचत (1250.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या तथा धन को आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण हुई।

(ख) आपदा उन्मुख क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिक योजना पर प्रबंधन – आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ – 806.24 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः जिला डीएमओं द्वारा कम अनुमान दिए जाने एवं प्रशासनिक कारणों से प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

10. **मुख्यशीर्ष "3604"**– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा कार्यभार – स्टैम्प डयूटी – नई दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 3762.88 लाख रूपये की बचत (269001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 48001.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः संपत्ति के कम लेन देन के कारण हुई।

11. **मुख्यशीर्ष "2406"**– वानिकी और वन्य जीवन – **(अ)** वानिकी – सामाजिक एवं खेती वानिकी – (i) वृक्षारोपण योजना – 725.25 लाख रूपये की बचत (3256.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं मुकदमेबाजी के कारण वन महोत्सव कार्यक्रम का भुगतान नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ii) प्रशासन प्रबंधन एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण – 644.48 लाख रूपये की बचत (2279.12 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं मुकदमेबाजी के कारण वन महोत्सव कार्यक्रम का भुगतान नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ब) वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास – राज्य क्षतिपूरक वनीकरण (एससीए) – राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा कोष से वित्तपोषित क्षतिपूरक वनीकरण (एससीएएफ) – 3242.42 लाख रूपये की बचत (4109.08 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वार्षिक परिचालन योजना (एपीओ) के अनुसार गतिविधियां /परियोजनाओं के प्रक्रियाधीन होने के कारण, निविदाएं समय पर जारी नहीं की जा सकीं तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 की समाप्ति से पहले वित्तीय बुकिंग नहीं कर सकने के कारण हुई।

12. **मुख्यशीर्ष "2015"**– चुनाव – राज्य/संघ क्षेत्र के विधान मंडलों के चुनाव कराने पर प्रभार – (i) मध्य जिला – 561.98 लाख रूपये की बचत (1071.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो के न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद, रिटर्निंग अधिकारियों से बिल प्राप्त न होने, विक्रेताओं द्वारा बिल जमा न करने तथा वित्त विभाग द्वारा लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों के कारण कुछ प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(ii) नई दिल्ली जिला – 756.34 लाख रूपये की बचत (1045.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम विज्ञापन व प्रचार तथा कम प्रशिक्षण होने के कारण हुई।

13. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – जिला स्थापना – दक्षिणी क्षेत्र – 565.91 लाख रूपये की बचत (1466.40 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) – मुख्यतः कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, ईंधन की कम खपत व कम मरम्मत और रख–रखाव कार्य होने, नियमित/संविदा कर्मचारियों के रिक्त रहने तथा प्रशासनिक कारणों से कुछ प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

9. **Under Major Head "2245"** – Relief on Account of Natural Calamities – **(A)** Floods, Cyclones etc. – Gratuitous Relief – Secretary Revenue -- Saving of ₹5991.52 lakhs (against sanctioned provision of ₹10001.00 inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries and proposals could not be materialized due to administrative reasons.

(B) General – (a) Centre for Training in Disaster Preparedness – Epidemic/Pandemic Financed From Disaster Response Fund – Saving of ₹1246.00 lakhs (against sanctioned provision of ₹1250.00) was mainly due to less beneficiaries and as per requiremnet of funds.

(b) Management of Natural Disasters, Contingency Plans in Disaster Prone Areas – Disaster Management Cell – Saving of ₹806.24 lakhs (against sanctioned provision of ₹1000.00) was mainly due to less estimate given by districts DMAs and proposals could not be materialized due to administrative reasons.

10. **Under Major Head "3604"** – Compensation and Assignments to local bodies & Panchayati raj Institutions – Stamp Duty – GIA to New Delhi Municipal Corporation in Lieu of Share in Taxes -- Saving of ₹3762.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹269001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹48001.00 lakhs) was mainly due to less transaction of property.

11. **Under Major Head "2406"** – Forestry and Wild Life – **(A)** Forestry – Social and Farm Forestry – (i) Plantation Scheme – Saving of ₹725.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3256.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills and payment for Van Mahotsav could not be made as the matter was under litigation.

(ii) Administration Management and Training of Personnel – Saving of ₹644.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2279.12 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claim/bills, less procurement and payment for Van Mahotsav could not be made as the matter was under litigation.

(B) Afforestation and Eco-Development – State Compensatory Afforestation (SCA) – Compensatory Afforestation Financed from State Compensatory Afforestation Funds (SCAF) – Saving of ₹3242.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4109.08 lakhs) was mainly due to activities/projects as per Annual Plan of Operation (APO) were under process, tenders could not be floated timely and financial booking was not done before the lapse of FY 2024-25.

12. **Under Major Head "2015"** – Elections – Charges for Conduct of Elections to State/Union Territory Legislature – (i) Central District – Saving of ₹561.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1071.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claim/bills, less procurement, non receipt of bills from Returning Officers, vendors have not submitted bills and some proposals could not be finalised due to financial restrictions imposed by the Finance Department.

(ii) New Delhi District – Saving of ₹756.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1045.00 lakhs) was mainly due to receipt of less claim/bills, less advertising & publicity and less training.

13. **Under Major Head "2053"** – District Administration – District Establishments – South Zone – Saving of ₹565.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1466.40 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to receipt of less claims/bills, less consumption of fuel & less repair & maintenance work, vacant post of regular/contractual staff and some proposal could not be materialized due to administrative reasons.

14. **मुख्यशीर्ष "2015"**– चुनाव – **(अ)** राज्य/संघ क्षेत्र के विधान मंडलों के चुनाव कराने पर प्रभार – (i) पूर्वी जिला – 677.64 लाख रूपये की बचत (1120.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रशासनिक कारणों से कुछ प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(ii) उत्तरी पूर्वी जिला – 715.60 लाख रूपये की बचत (1168.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) उत्तरी जिला – 838.03 लाख रूपये की बचत (1375.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव, फरवरी 2025 में आयोजित होने के कारण वित्त वर्ष 2024–25 में चुनाव के बाद की भुगतान प्रक्रिया के लिए सीमित समय बचे होने और टेंट, वाहन किराया और खानपान जैसे खर्चों में देरी हुई क्योंकि बिल या तो प्राप्त नहीं हुए या भुगतान समय पर जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(iv) शाहदरा जिला – 626.25 लाख रूपये की बचत (904.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम विज्ञापन व प्रचार/बिलों, विक्रेताओं द्वारा बिल जमा न करने और निविदाओं का निपटारा न होने के कारण हुई।

(v) दक्षिण पूर्वी जिला – 1093.66 लाख रूपये की बचत (1587.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रावधान किए जाने और विक्रेतओं द्वारा समय पर बिल जमा न करने के कारण हुई।

(ब) संसद के चुनाव करवाने पर प्रभार – उत्तरी जिला – 843.93 लाख रूपये की बचत (1542.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुमान, बिलों की कम प्राप्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान कोई व्यय न करने, टेंटेज व वाहन किराये की सेवाओं पर न्यूनतम व्यय करने जोकि एल–1 दरों पर उपलब्ध थे और वीडियोग्राफर व ई–रिक्शा विक्रेताओं द्वारा जी.एल.एस.ई. 24 के दौरान अपनी सेवाओं के बिल प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

15. **मुख्यशीर्ष "3435"**– पारिस्थितिकी और पर्यावरण – प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण – वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम – प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपाय – 632.00 लाख रूपये की बचत (2001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में धनराशि का आवंटन होने के कारण पीडब्ल्यूडी द्वारा धनराशि का उपयोग नहीं कर सकने तथा कुछ ठेकेदारों/एजेंसियों द्वारा बिलो को प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 5443.13 लाख रूपये की बचत 15 उपशीर्षो के अन्तर्गत हुई जोकि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षो के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से, अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थीं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2711"**– बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी – **(अ)** बाढ़ नियंत्रण – मशीनरी एवं उपकरण – रख–रखाव – 782.63 लाख रूपये का अधिक व्यय (714.70 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों/दावों के प्राप्त होने एवं अधिक लघु कार्य निष्पादित करने के कारण हुआ।

(ब) जल निकासी – मशीनरी एवं उपकरण – रख–रखाव – 3880.36 लाख रूपये का अधिक व्यय (14583.10 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों/दावों के प्राप्त होने एवं अधिक लघु कार्य निष्पादित करने के कारण हुआ।

14. **Under Major Head "2015"** – Elections – (A) Charges for Conduct of Elections to State/Union Territory Legislature – (i) East District – Saving of ₹677.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1120.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to some proposal couldn't process due to some administrative reasons.

(ii) North East District – Saving of ₹715.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1168.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills.

(iii) North District – Saving of ₹838.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1375.00 lakhs) was mainly due to DLAE-25 elections was held in February, 2025, limited time remained in FY 2024-25 to process post election payments and major expenses like tentage, vehicle hire and catering were delayed, as bills were either not received or payments could not be released in time.

(iv) Shahdara District – Saving of ₹626.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹904.00 lakhs) was mainly due to less advertising & publicity/bills, non-submission of bills by vendors and non-finalization of tender.

(v) South East District – Saving of ₹1093.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1587.00 lakhs) was mainly due to provision was made for Delhi Legislative Assembly Election-2025 and vendors not submitted their bills timely, hence savings occured.

(B) Charges for Conduct of Elections to Parliament – North District – Saving of ₹843.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1542.00 lakhs) was mainly due to over estimate, receipt of less bills, no expenditure has been incurred during the Financial Year, minimal expenditure on tentage & vehicle hire services, which were availed at L-1 rates and videographer & e-rickshaw vendors did not produce bills for their services during GLSE-24.

15. **Under Major Head "3435"** – Ecology & Environment – Prevention and Control of Pollution – Prevention of Air and Water Pollution – Pollution Control and Emergency Measures – Savings of ₹632.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non-utilization of funds by PWD due to allotment of funds at the fag end of the financial year and non-submission of bills by some contractors/agencies.

Further, Saving of ₹5443.13 lakhs occurred under fifteen sub–heads which was more than ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: -

1. **Under Major Head "2711"** – Flood Control and Drainage – **(A)** Flood Control – Machinery and Equipment – Maintenance – Excess of ₹782.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹714.70 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to receipt of more claims/bills and more minor work executed.

(B) Drainage – Machinery and Equipment – Maintenance -- Excess of ₹3880.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14583.10 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to receipt of more claims/bills and more minor work executed.

2. **मुख्यशीर्ष "3604"**– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा कार्यभार – स्टाम्प ड्यूटी – कर संग्रह में स्थानीय निकासी का अंश – 1678.39 लाख रूपये का अधिक व्यय (5731.43 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1731.43 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रा.रा. क्षे., दिल्ली सरकार के शुद्ध कर संग्रह के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "2015"**– चुनाव – राज्य संघ क्षेत्र के विधान मंडलों के चुनाव कराने पर प्रभार – दक्षिणी जिला – 556.70 लाख रूपये का अधिक व्यय (1536.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद/बिलों, उपकरणों और विभिन्न वस्तुओं का किराया देने, लोकसभा के लंबित बिलों के होने एवं अधिक विज्ञापन व प्रचार करने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 429.04 लाख रूपये का अधिक व्यय 01 उपशीर्ष के अन्तर्गत हुआ जोकि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 153.27 लाख रूपये की कुल बचत थी (570.00 लाख रूपये के स्वीकृत विनियोजन की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 26.88 प्रतिशत थी ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 68723.28 लाख रूपये की कुल बचत थी (103346.69 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 28.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 66.50 प्रतिशत थी ।

264.50 लाख रूपये की राशि 10 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(लाख रूपयो में)

विकास विभाग				
मुख्यशीर्ष "4403"				
पशुपालन पर पूँजी परिव्यय				
मू.	1139.00)			
पु.	–813.00)	326.00	177.62	–148.38
मुख्यशीर्ष "4515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय				
मू.	89887.00)			
पु.	–72887.00)	17000.00	15688.71	–1311.29
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग				
मुख्यशीर्ष "4711"				
बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय				
मू.	7735.00)			
पू.	4.00)			
पु.	2011.00)	9750.00	8305.43	–1444.57
वन विभाग				
मुख्यशीर्ष "4406"				
वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय				
मू.	2569.00)			
पू.	2.00)			
पु.	7378.00)	9949.00	9916.02	–32.98

2. **Under Major Head "3604"** – Compensation and Assignments to Local Bodies & Panchayati Raj Institutions – Stamp Duty – Share of Local Bodies Against tax Collections -- Excess of ₹1678.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5731.43.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1731.43 lakhs) was mainly due to as per net tax collection of Govt of NCT of Delhi.

3. **Under Major Head "2015"** – Elections – Charges for Conduct of Elections to State/Union Territory Legislature – South District – Excess of ₹556.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1536.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to more procurement/bills, renting of equipment & various items, pending Lok Sabha bills and more advertising & publicity.

Further, excess of ₹429.04 lakhs occurred under one sub–head which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore

In the **Charged portion of the Capital Section** of the grant, saving of ₹153.27 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹570.00 lakhs) constituted 26.88% of the total sanctioned appropriation.

In the **Voted portion of the Capital section** of the grant, the overall saving of ₹68723.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹103346.69 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹28.00 lakhs) constituted 66.50% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹264.50 lakhs remained wholly unutilized under ten sub-heads

Saving / Excess occurred mainly under the following Major heads: –

(In lakh of rupees)

Development Department			
Major Head "4403"			
Capital Outlay on Animal Husbandry			
O. 1139.00)			
R. -813.00)	326.00	177.62	-148.38
Major Head "4515"			
Capital Outlay on Other Rural Development Programme			
O. 89887.00)			
R. -72887.00)	17000.00	15688.71	-1311.29
Irrigation and Flood Control Department			
Major Head "4711"			
Capital Outlay on Flood Control Projects			
O. 7735.00)			
S. 4.00)			
R. 2011.00)	9750.00	8305.43	-1444.57
Forest Department			
Major Head "4406"			
Capital Outlay on Forestry & Wildlife			
O. 2569.00)			
S. 2.00)			
R. 7378.00)	9949.00	9916.02	-32.98

5.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :—

1. **मुख्यशीर्ष "4403"**— पशुपालन पर पूँजी परिव्यय — पशु चिकित्सा व पशु स्वास्थ्य — अस्पतालों और औषधालयों में पशु चिकित्सा सेवाएं व संक्रामक रोगों की रोकथाम — 711.38 लाख रूपये की बचत (889.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पीडब्ल्यूडी / आई एण्ड एफसी के पास धनराशि रखी गई थी तथा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4515"**— अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजी परिव्यय — (क) ग्रामीण विकास — ग्रामीण गांवों के समेकित विकास के अन्तर्गत ग्रामीण विकास बोर्ड (आईडीआरयूवी) — 59846.76 लाख रूपये की बचत (72987.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य / व्यय की धीमी गति होने और कार्यकारी ऐजेंसी अर्थात आई एण्ड एफसी व एमसीडी द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण हुई।

   (ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना — गांवों के समेकित विकास के अन्तर्गत ग्रामीण विकास बोर्ड (आईडीआरयूवी)(एससीएसपी) — 14351.53 लाख रूपये की बचत (16900.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य / व्यय की धीमी गति होने और कार्यकारी ऐजेंसी अर्थात आई एण्ड एफसी व एमसीडी द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 970.94 लाख रूपये की बचत दो उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जोकि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षो के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थीं :—

1. **मुख्यशीर्ष "4711"**— बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय — जल निकासी — अन्य व्यय — अन्य जल निकासी कार्य — 1309.06 लाख रूपये का अधिक व्यय (4986.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लंबित देनदारियों का भुगतान करने के के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "4406"**— वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय — पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन — (क) वन्य जीवन — वन्य जीव अभयारण्यों / वन्य जीव खण्ड का विकास — 998.02 लाख रूपये का अधिक व्यय (1001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः ईएफसी के तहत अनुमोदित ईटीएफ की स्थापना व परियोजना लागत की देनदारियों का भुगतान करने के कारण हुआ।

   (ख) सार्वजनिक उद्यान — चकबंदी सहित वनों का विकास — 6392.60 लाख रूपये का अधिक व्यय (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली में हरित कार्य योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रावधान रखने, वृक्षारोपण / नई पौधशाला के रखरखाव करने एवं बकाया लंबित बिलों का भुगतान करने के कारण हुआ।

Savings occurred more than ₹5.00 crore under the following sub heads:–

1. **Under Major Head "4403"** – Capital Outlay on Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health – Veterinary Services and Control of Contagious Diseases in Hospitals and Dispensaries – Saving of ₹711.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹889.00 lakhs) was mainly due to funds were kept on disposal of PWD/I&FC and process delayed due to enforcement of Model Code of Conduct.

2. **Under Major Head "4515"** – Capital Outlay on Other Rural Development Programmes – (a) Rural Development – Village Development Board for Works under Integrated Development of Rural Villages (IDRUV) – Saving of ₹59846.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹72987.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and less expenditure incurred by the executive agency i.e. I&FC and MCD.

   (b) Special Component Plan for Scheduled Castes – Village Development Board for Works to be Carried Out Under IDRUV (SCSP) – Saving of ₹14351.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16900.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and less expenditure incurred by the executive agency i.e. I&FC and MCD.

Further, Savings of ₹970.94 lakhs remained under two sub–head which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: -

1. **Under Major Head "4711"** – Capital Outlay on Flood Control Projects – Drainage – Other Expenditure – Other Deainage Works – Excess of ₹1309.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4986.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to payment of pending liabilities.

2. **Under Major Head "4406"** – Capital Outlay on Forestry & Wildlife – Environmental Forestry & Wildlife – (a) Wildlife – Development of Wildlife sanctuary/ Wildlife Section -- Excess of ₹998.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to payment towards the liabilities of Establishment & Project cost of ETF as approved under EFC.

   (b) Public Gardens – Development of forest including consolidations -- Excess of ₹6392.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due provision kept to achieve the targets of Green Action Plan in Delhi, maintenance of plantation/new nursery & payment of pending outstanding bills.

अनुदान संख्या 11 – शहरी विकास तथा लोक निर्माण

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित–				
मूल	6,00)	6,00	76	–5,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–0,00
स्वीकृत –				
मूल	14128,10,00)			
पूरक	32,00)	14128,42,00	10364,81,57	–3763,63,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–2859,89,75
पूंजीगत				
प्रभारित–				
मूल	0,00)			
पूरक	31,25,11)	31,25,11	31,24,11	–1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत –				
मूल	7413,65,80)			
पूरक	1048,66,25)	8462,32,05	4810,81,05	–3651,51,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–2130,46,46

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 5.24 लाख रूपये की कुल बचत हुई (6.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 87.33 प्रतिशत थी ।

3.00 लाख रूपये की राशि 2 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 376360.43 लाख रूपये की कुल बचत हुई (1412842.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 32.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 26.64 प्रतिशत थी ।

GRANT NO. 11 – URBAN DEVELOPMENT AND PUBLIC WORKS

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	6,00)	6,00	76	-5,24
Amount surrendered during the year				-0,00
Voted -				
Original	14128,10,00)			
Supplementary	32,00)	14128,42,00	10364,81,57	-3763,60,43
Amount surrendered during the year				-2859,89,75
CAPITAL				
Charged –				
Original	0,00)			
Supplementary	31,25,11)	31,25,11	31,24,11	-1,00
Amount surrendered during the year				Nil
Voted –				
Original	7413,65,80)			
Supplementary	1048,66,25)	8462,32,05	4810,81,05	-3651,51,00
Amount surrendered during the year				-2130,46,46

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹5.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6.00 lakhs) constituted 87.33% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under two sub-head.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹376360.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1412842.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹32.00 lakhs) constituted 26.64% of the total sanctioned provision.

163119.26 लाख रूपये की राशि 18 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2215"**– जल आपूर्ति एवं सफाई – जल आपूर्ति – (क) शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम – (i) मुफ्त पानी के कनेक्शन के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 501.00 लाख रूपये – सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।

   (ख) स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं इत्यादि को सहायता – (i) अनअधिवासी पुर्नवास कालोनियों में जल वितरण के लिए दि.ज.बोर्ड को सहायता अनुदान – 600.00 लाख रूपये – सहायता अनुदान जारी न करने एवं कार्य की धीमी गति के कारण।

   (ii) दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 150000.00 लाख रूपये – सहायता अनुदान जारी न करने एवं कार्य की धीमी गति के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2217"**– शहरी विकास – अन्य शहरी विकास योजनाएं – स्थानियों निकायों, निगमों शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता – डी.यू.एस.आई.बी को सहायता अनुदान – 10001.00 लाख रूपये – सहायता अनुदान जारी न करने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "3475"**– अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – शहरी अभिमुख रोजगार कार्यक्रम – दीन दयाल अन्तोदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजिविका अभियान (सी.एस.एस.) – 509.00 लाख रूपये – भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने और दिल्ली विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के संबंध में 2024–25 के दौरान दिल्ली में लागू दो आदर्श आचार संहिता के कारण, धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

शहरी विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "2215"				
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता				
मू.	344200.00)			
पू.	6.00)			
पु.	–185281.00)	158925.00	111851.00	–47074.00
मुख्यशीर्ष "2216"				
आवास				
मू.	6500.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–1.00)	6500.00	4750.00	–1750.00
मुख्यशीर्ष "2217"				
शहरी विकास				
मू.	271400.70)			
पू.	9.00)			
पु.	–149366.87)	122042.83	111878.38	–10164.45

An amount of ₹163119.26 lakhs remained wholly unutilized under Eighteen sub-heads:-

1. **Under Major Head "2215"** – Water Supply and Sanitation – Water Supply – (a) Urban Water Supply Programmes – (i) Grant-In-Aid to Delhi Jal Board for Free Water Connection – ₹501.00 lakhs – due to approval from Finance Department for release of Grant-In-Aid could not be materialized.

   (b) Assistance to Local Bodies/Municipalities etc. – (i) Grant-In-Aid to Delhi Jal Board for Water Supply in Squatter Re-settlement Colonies – ₹600.00 lakhs – due to non release of Grant-in-Aid and as per pace of expenditure.

   (ii) Grant-In-Aid to Delhi Jal Board – ₹150000.00 lakhs – due to non release of Grant-in-Aid and as per pace of expenditure.

2. **Under Major Head "2217"** – Urban Development – Other Urban Development Schemes – Assistance to Local Bodies Corporations Urban Development Authorities, Town Inproverment Boards etc – Grant-In-Aid to Delhi Urban Selter Improvement Board (DUSIB) – ₹10001.00 lakhs – due to non release of Grant-in-Aid.

3. **Under Major Head "3475"** – Other General Economic Services – Urban Oriented Employment Programmes – Deen Dayal Antodaya Yojana/National Urban Livelihood Mission (CSS) – ₹509.00 lakhs – due to funds not received from Govt of India and two Model Code of Conduct imposed in Delhi during 2024-25 in respect of Delhi Assembly Election and Lok Sabha Election, hence funds could not be fully utilised.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Urban Development Department
Major Head "2215"
Water Supply and Sanitation

O.	344200.00)			
S.	6.00)			
R.	-185281.00)	158925.00	111851.00	-47074.00

Major Head "2216"
Housing

O.	6500.00)			
S.	1.00)			
R.	-1.00)	6500.00	4750.00	-1750.00

Major Head "2217"
Urban Development

O.	271400.70)			
S.	9.00)			
R.	-149366.87)	122042.83	111878.38	-10164.45

मुख्यशीर्ष "3604"
स्थानीय निकायों तथा पंचायती
राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति
तथा कार्यभार

मू.	295504.00)			
पू.	3.00)			
पु.	7838.96)	303346.91	303346.91	0

लोक निर्माण विभाग

मुख्यशीर्ष "2059"
लोक निर्माण

मू.	61030.90)			
पू.	3.00)			
पु.	1351.59)	62385.49	54855.07	−7530.42

मुख्यशीर्ष "2210"
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	30523.10)			
पू.	1.00)			
पु.	−2054.14)	28469.96	21118.61	−7351.35

मुख्यशीर्ष "2216"
आवास

मू.	12277.00)			
पू.	1.00)			
पु.	935.75)	13213.75	10233.83	−2979.92

मुख्यशीर्ष "3054"
सडकें एवं पुल

मू.	55200.00)			
पू.	5.00)			
पु.	6378.60)	61583.60	50091.18	−11492.42

ऊर्जा विभाग

मुख्यशीर्ष "2801"
ऊर्जा

मू.	328547.70)			
पू.	1.00)			
पु.	34631.07)	363179.77	362810.67	−369.10

मुख्यशीर्ष "2810"
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

मू.	1700.00)			
पु.	−300.00)	1400.00	997.15	−402.85

Major Head "3604"
Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayari Raj Institutions

O. 295504.95)			
S. 3.00)			
R. 7838.96)	303346.91	303346.91	0

Public Works Department
Major Head "2059"
Public Works

O. 61030.90)			
S. 3.00)			
R. 1351.59)	62385.49	54855.07	-7530.42

Major Head "2210"
Medical & Public Health

O. 30523.10)			
S. 1.00)			
R. -2054.14)	28469.96	21118.61	-7351.35

Major Head "2216"
Housing

O. 12277.00)			
S. 1.00)			
R. 935.75)	13213.75	10233.83	-2979.92

Major Head "3054"
Roads and Bridges

O. 55200.00)			
S. 5.00)			
R. 6378.60)	61583.60	50091.18	-11492.42

Power Department
Major Head "2801"
Power

O. 328547.70)			
S. 1.00)			
R. 34631.07)	363179.77	362810.67	-369.10

Major Head "2810"
New and Renewable Energy.

O. 1700.00)			
R. -300.00)	1400.00	997.15	-402.85

5.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखत उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2215"**– जल आपूर्ति एवं सफाई – **(अ)** जल आपूर्ति – (क) शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम – स्थानीय निकायों/नगर पालिका इत्यादि को सहायता – (i) दिल्ली जल बोर्ड को अनाधिकृत कालोनियों में पीने योग्य जल की आपूर्ति के लिये सहायता अनुदान – 6133.20 लाख रूपये की बचत (16002.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर प्रावधान रखने और सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ii). दिल्ली जल बोर्ड को कच्चे पानी के लिए सहायता अनुदान – 12800.00 लाख रूपये की बचत (15000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iii) पर्यावरण हरियाली और भूनिर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 1498.00 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं व्यय की धीमी गति के कारण हुई।

(iv) आई.टी/क्षमता निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 3133.00 लाख रूपये की बचत (3500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं दिल्ली जल बोर्ड से अनुरोध प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को छूट – 11467.00 लाख रूपये की बचत (60000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर एवं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिसंबर 2024 तक ही उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के कारण दिल्ली जल बोर्ड को 01/25 से 03/25 की अवधि के लिए औसत आधार पर धनराशि जारी करने के कारण हुई।

(ब) मल व्ययन तथा सफाई – स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं इत्यादि को सहायता – (i) अनाधिकृत बस्तियों में मल व्ययन सुविधाओं के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 34543.00 लाख रूपये की बचत (83600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, व्यय की धीमी गति होने एवं सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ii) ग्रामीण गॉवों में मल व्ययन के लिये दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 755.00 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, व्यय की धीमी गति होने एवं सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iii) यमुना कायाकल्प के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 8704.00 लाख रूपये की बचत (9500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, व्यय की धीमी गति होने एवं सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2216"**– आवास – सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – (i) रात्रि आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को अनुदान – 1251.00 लाख रूपये की बचत (4501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ii) रात्रि विश्राम स्थलों में भोजन की सुविधाओं के लिए दि.श.आ.सु.बोर्ड को सहायता अनुदान – 500.00 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads :–

1. **Under Major Head "2215"** – Water Supply & Sanitation – **(A)** Water Supply – (a) Urban Water Supply Programme – Assistance to Local Bodies/Municipalities etc. – (i) Grant-In-Aid to Delhi Jal Board for Providing Potable Water Supply in Unauthorized Colonies – Saving of ₹6133.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16002.00 lakhs inclusive of Supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to provision kept on the basis of demand raised by DJB and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(ii) Gant-In-Aid to Delhi Jal Board for Raw Water – Saving of ₹12800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was mainly due to less release of Grant-in-Aid and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(iii) Gant-In-Aid to Delhi Jal Board for Environmental Greenery & Landscaping – Saving of ₹1498.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and as per pace of expenditure.

(iv) Gant-In-Aid to Delhi Jal Board for IT/Capacity Building – Saving of ₹3133.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and the requisition from DJB was not received.

(b) Other Expenditure – Subsidy to Consumers through Delhi Jal Board – Saving of ₹11467.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs) was mainly due to on the basis of demand raised by Delhi Jal Board and DJB had supplied the Utilization Certificate upto December 2024 therefore the fund released for the period 01/25 to 03/25 on an average basis to Delhi Jal Board.

(**B**) Sewerage & Sanitation – Assistance to local bodies, Municipalities etc. – (i) Grant-In-Aid to Delhi Jal Board for Sewage Facility in Unauthorised Colonies – Saving of ₹34543.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹83600.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid, as per pace of expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(ii) Gant-In-Aid to Delhi Jal Board for Sewage in Rural Villages – Saving of ₹755.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and as per pace of expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(iii) Gant-In-Aid to Delhi Jal Board for Yamuna Rejuvenation – Saving of ₹8704.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and as per pace of expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

2. **Under Major Head "2216"** – Housing – General – Assistance to Public Sector & Other Undertakings – (i) Grants to DUSIB for Construction of Night Shelters – Saving of ₹1251.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(ii) Grants-In-Aid to DUSIB for Providing Food Facility at Night Shelters – Saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

3. **मुख्यशीर्ष "2217"**– शहरी विकास – **(अ)** स्लमबस्ती सुधार – (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता – डीयूएसआईबी के मौजूदा ढॉचे के लिये सहायता अनुदान – 675.00 लाख रूपये की बचत (900.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – शहरी भीड़ वाले क्षेत्र में पर्यावरण सुधार के लिए डीयूएसआईबी को अनुदान (एससीएसपी) – 1125.50 लाख रूपये की बचत (4200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ब) अन्य शहरी विकास योजनाएं – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता – अमृत 2.0 के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.) – 103899.00 लाख रूपये की बचत (111024.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि के अनुसार प्रावधान रखने एवं वार्षिक आधार पर भारत सरकार द्वारा आवंटन किये जाने के बावजूद भरत सरकार से ए.एण्ड.ओ.ई. घटक में धनराशि प्राप्त होने एवं अनुमोदित अमृत 2.0 योजना के तहत भारत सरकार द्वारा केवल एक किस्त जारी करने के कारण हुई।

(स) सामान्य – (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता – (i) स्वच्छ भारत मिशन (सी.एस.एस.) – 30439.00 लाख रूपये की बचत (48602.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित,की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि के अनुसार प्रावधान रखने, भारत सरकार से देरी से किस्त प्राप्त होने एवं एक अन्य अपेक्षित किस्त भारत सरकार द्वारा जारी नहीं करने के कारण हुई।

(ii) स्वच्छ भारत मिशन (राज्य अंश) – 10471.50 लाख रूपये की बचत (12150.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सीएसएस योजना में आनुपातिक राज्य अंश होने एवं भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुसार व्यय करने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – पैसे दो और प्रयोग करो जन–सुविधा परिसरों के निर्माण हेतु डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (एस.सी.एस.पी.) – 3002.75 लाख रूपये की बचत (10003.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2059"** – लोक निर्माण – सामान्य – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – स्थापना प्रभार – 4683.57 लाख रूपये की बचत (27643.20 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ख) रखरखाव एवं मरम्मत – 3390.22 लाख रूपये की बचत (19915.70 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवाएं –ऐलोपैथी – (क) अस्पताल एवं औषधालय – रखरखाव एवं मरम्मत – 6369.91 लाख रूपये की बचत (21824.10 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने और समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

3. **Under Major Head "2217"** – Urban Development – **(A)** Slum Area Improvement – (a) Assistance to Local Bodies Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc – Grants In Aid to DUSIB for Existing Infrastructure – Saving of ₹675.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and as per pace expenditure.

   (b) Special Component Plan for Scheduled Castes – Grants to DUSIB for Environmental Improvement in Urban Slums (SCSP) – Saving of ₹1125.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid.

   (B) Other Urban Development Schemes – Assistance to Local Bodies Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – GIA In Aid to MCD/New Delhi Municipal Council for AMRUT 2.0 (CSS) – Saving of ₹103899.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111024.00 lakhs) was mainly due to provision made as per funds received/to be received from Govt of India and funds were received under A&OE component from the Govt of India despite allocation made by Govt. of India on annual basis and only one installment was released by Govt. of India under the approved scheme of AMRUT 2.0

   (C) General – (a) Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards – (i) Swachh Bharat Mission (CSS) – Saving of ₹30439.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48602.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to provision made as per funds received/ to be received from Govt of India, late receipt of installment from Govt. of India and another expected installment was not released by Govt. of India

   (ii) Swachh Bharat Mission (State Share) – Saving of ₹10471.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12150.00 lakhs) was mainly due to proportionate state share of CSS and expenditure incurred according to the Central Share received from Govt. of India.

   (b) Special Component Plan for Scheduled Castes – Grant In Aid to DUSIB for Construction of Pay and Use Jan Suvidha Complexes (SCSP) – Saving of ₹3002.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10003.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant-in-Aid and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

4. **Under Major Head "2059"** – Public Works – General – (a) Direction and Administration – Establishment Charges – Saving of ₹4683.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27643.20 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, less training programme and less procurement.

   (b) Maintenance and Repairs – Saving of ₹3390.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19915.70 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

5. **Under Major Head "2210"** – Medical and Public Health – **(A)** Urban Health Services-Allopathy – (a) Hospital & Dispensaries – Maintenance and Repairs – Savings of ₹6369.91 lakhs (against the sanctioned provision of 21824.10 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, receipt of less claims/bills, provision as per pace of work/expenditure, fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – रखरखाव एवं मरम्मत (एस.सी.एस.पी.) – 1682.88 लाख रूपये की बचत (3400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने और समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – ऐलोपैथी – भवन – 586.30 लाख रूपये की बचत (3700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2216"**– आवास – सामान्य पूल आवास – रखरखाव तथा मरम्मत – (i) दिल्ली सरकार कर्मचारी आवास – 600.15 लाख रूपये की बचत (4000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावाधान की तुलना में) मुख्यतः समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

(ii) रखरखाव एवं मरम्मत – 1361.91 लाख रूपये की बचत (8036.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः जो कार्य पूर्ण हो चुके या चल रहे थे उनके भुगतान के लिए प्रावधान रखने एवं समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "3054"**– सड़कें एवं पुल – जिला एवं अन्य सड़कें – मरम्मत एवं रखरखाव – ड्रेनेज से गाद निकालने का रखरखाव और मानसून कार्य प्रबंधन – 6377.64 लाख रूपये की बचत (7500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने एवं कुछ डिसिल्टिंग/ड्रेनेज कार्य आईएण्डएफसी द्वारा करने एवं समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "2801"**– ऊर्जा – प्रेषण और वितरण – अन्य व्यय – दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को सहायता अनुदान – 759.97 लाख रूपये की बचत (3500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः व्यय को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने, वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ पदो के खाली रहने और धन की अनुपलब्धता के कारण भुगतान समय पर नहीं किया जा सका क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024–25 में सहायता राशि की तीसरी किस्त 30.03.2025 को ही प्राप्त होने के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "2810"**– नई व नवीकरणीय ऊर्जा – सहायक कार्यक्रम – सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना – 502.85 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सब्सिडी एवं दावे के प्रक्रियाधीन रहने के कारण डिस्कॉम को कम धनराशि जारी करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 2707.62 लाख रूपये की बचत आठ उपशीर्षो के अन्तर्गत थी जोकि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2217"**– शहरी विकास – सामान्य – (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता – मलवाहन व सफाई सेवा के मशीनीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 1884.99 लाख रूपये का अधिक व्यय (71069.94 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – Maintenance and Repairs (SCSP)– Savings of ₹1682.88 lakhs (against the sanctioned provision of 3400.00 lakhs) was mainly due to provision as per pace of work/expenditure and fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

(B) Medical Education, Training and Research – Allopathy – Buildings – Savings of ₹586.30 lakhs (against the sanctioned provision of 3700.00 lakhs) was mainly due to fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

6. **Under Major Head "2216"** – Housing – General Pool Accommodation – Maintenance & Repairs – (i) Delhi Govt. Staff Quarters – Saving of ₹600.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due to fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

   (ii) Maintenance and Repairs – Saving of ₹1361.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8036.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision for making payment of works have been completed and ongoing works and fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

7. **Under Major Head "3054"** – Roads and Bridges – District and Other Roads – Maintenance and Repairs – Maintenance of Desilting Drainage and Mansoon Works Management – Saving of ₹6377.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per pace of work/expenditure and some works of desilting/drainage done by I& FC and fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

8. **Under Major Head "2801"** – Power – Transmission and Distribution – Other Expenditure – Grant-in-aid to DERC – Saving of ₹759.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was mainly due to expenditure carried forward to next Financial Year, some posts remained vacant during the Financial Year and non-availability of funds, payments could not be processed timely, as the 3rd instalment of GIA of FY 2024-25 was received only on 30-03-2025.

9. **Under Major Head "2810"** – New and Renewable Energy – Supporting Programmes – Generation Based Incentive Scheme for Solar Energy – Saving of ₹502.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to less subsidies and less release of funds to DISCOMS due to claim was under process.

Further, saving of ₹2707.62 lakhs remained in eight sub-heads which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above said savings were partly off-set by excesses under the following sub heads:-

1. **Under Major Head "2217"** – Urban Development – General – Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards – Grant In Aid to Municipal Corporation of Delhi for Mechanization of Conservancy and Sanitation – Excess of ₹1884.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71069.94 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant-in-Aid.

2. **मुख्यशीर्ष "3604"**– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा कार्यभार – अन्य विविध प्रतिपूर्ति तथा आबंटन – स्थानीय निकायों को मूल करों का निर्धारण – 7838.96 लाख रूपये का अधिक व्यय (295507.95 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के शुद्ध कर संग्रह के अनुसार होने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "2059"** – लोक निर्माण – सामान्य – रखरखाव और मरम्मत – न्यायालय भवन – 2180.71 लाख रूपये का अधिक व्यय (10202.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः जो कार्य पूर्ण हो चुके या चल रहे थे उनके भुगतान के लिए प्रावधान रखने के क कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "3054"**– सड़कें तथा पुल – जिला तथा अन्य सड़कें – रखरखाव तथा मरम्मत – पी.डब्लू.डी. की सड़कों का व्यापक रखरखाव – 1527.96 लाख रूपये का अधिक व्यय (15001.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः जो कार्य पूर्ण हो चुके या चल रहे थे उनके भुगतान के लिए प्रावधान रखने के कारण हुआ।

5. **मुख्यशीर्ष "2801"**– ऊर्जा – प्रेषण और वितरण – अन्य व्यय – डिस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी – 35049.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (325001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक व्यय के अनुसार और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ।

अनुदान के प्रभारित अंश के स्वीकृत अंश में 1.00 लाख रूपये की कुल बचत थी (3125.11 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3125.11 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 0.03 प्रतिशत थी ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 365151.00 लाख रूपये की कुल बचत थी (846232.05 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 104866.25 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 43.15 प्रतिशत थी ।

11219.00 लाख रूपये की राशि 28 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैः–

1. **मुख्यशीर्ष "6215"**– जल आपूर्ति व सफाई के लिए ऋण – **(अ)** जल आपूर्ति – स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं इत्यादि को ऋण – नियमित अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की मुख्य लाइनों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 500.00 लाख रूपये – कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।

   (ब) मल व्ययन एवं स्वच्छता – स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं इत्यादि को ऋण – जेएनएनयूआरएम परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 2400.00 लाख रूपये – कार्य/व्यय की धीमी गति होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "4210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय – शहरी स्वास्थ्य योजना–ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – डिसपेंसरियों की मौजूदा इमारतों का उन्नयन – 500.00 लाख रूपये – प्रस्ताव/कार्य के प्रक्रियाधीन होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "5054"**– सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय – जिला एवं अन्य सड़कें – पुल – एलिवेटेड कॉरिडोर, फुटपाथ, रोड़ साइनेज, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और ड्रेंनेज सहित करावल नगर घोंडा और मंगल पांडे मार्ग के ब्रजपुरी चौक पर फलाईओवर का निमार्ण – 3000.00 लाख रूपये – प्रस्ताव/कार्य के प्रक्रियाधीन होने के कारण।

2. **Under Major Head "3604"** – Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions – Other Miscellaneous Compensation and Assignments – Basic Tax Assignment to Local Bodies – Excess of ₹7838.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹295507.95 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to as per net tax collection of Govt of NCT of Delhi.

3. **Under Major Head "2059"** – Public Works – General – Maintenance and Repairs – Court Building – Excess of ₹2180.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10202.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to provision for making payment of works have been completed and ongoing works.

4. **Under Major Head "3054"** – Roads and Bridges – District and Other Roads – Maintenance and Repairs – Comprehensive Maintenance of PWD Roads – Excess of ₹1527.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision for making payment of works have been completed and ongoing works.

5. **Under Major Head "2801"** – Power – Transmission and Distribution – Other Expenditure – Subsidy to Consumers through DISCOMS – Excess of ₹35049.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹325001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to as per actual expenditure and increase of beneficiaries.

In the **Charged portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹1.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3125.11 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3125.11 lakhs) constituted 0.03% of the total sanctioned appropriation.

In the **Voted portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹365151.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹846232.05 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹104866.25 lakhs) constituted 43.15% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹11219.00 lakhs remained wholly unutilized under twenty-eight sub-heads. This includes the following sub-heads :-

1. **Under Major Head "6215"** – Loans for Water Supply and Sanitation – **(A)** Water Supply – Loans to Local Bodies, Municipalities etc. – Loan to Delhi Jal Board for Laying of Water Mains in Regularised Unauthorised Colonies – ₹500.00 lakhs – due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

   (B) Sewarage & Sanitation – Loan to Local Bodies, Municipalities etc. – Loan to Delhi Jal Board for JNNURM Project – ₹2400.00 lakhs – due to as per pace of work/expenditure.

2. **Under Major Head "4210"** – Capital Outlay on Medical and Public Health – Urban Health Services-Allopathy – Hospitals and Dispensaries – Upgradation of Existing Buildings of Dispensaries – ₹500.00 lakhs – due to proposals/work under process.

3. **Under Major Head "5054"** – Capital Outlay on Road and Bridges – District and Other Roads – Bridges – Construction of Flyovers at Karawal Nagar, Ghonda and Brijpuri Junction of Mangal Pandey Marg Including Elevated Corridor, Footpath, Road Work Including Road Signages, Electrical Works and Drainage – ₹3000.00 lakhs – due to proposals/work was under process.

4. **मुख्यशीर्ष "4801"**– ऊर्जा परियोजनाओ पर पूँजी परिव्यय – प्रेषण एवं वितरण – अन्य व्यय – भूमि की खरीद – 3001.00 लाख रूपये – एल एण्ड डी ओ, भारत सरकार से कोई मांग प्राप्त न होने के कारण।

5. **मुख्यशीर्ष "4810"**– ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतो पर पूँजी परिव्यय – नए और नवीनीकरण ऊर्जा कार्यक्रम और अनुप्रयोग – नवीनीकरणीय ऊर्जा – 1000.00 लाख रूपये – प्रस्ताव के प्रक्रियाधीन होने और डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत दावे दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत पूंजी सब्सिडी के लिए निर्धारित एसओपी के अनुरूप नहीं होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

शहरी विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "4217"

शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय

मू.	157601.00)			
पू.	2.00)			
पु.	–48003.00)	109600.00	100511.37	–9088.63

मुख्यशीर्ष "6215"

जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ऋण

मू.	295300.00)			
पू.	4.00)			
पु.	–183229.00)	112075.00	57125.00	–54950.00

मुख्यशीर्ष "7615"

विविध ऋण

मू.	90000.00)			
पू.	104815.25)			
पु.	45184.75)	240000.00	175426.00	–64574.00

लोक निर्माण विभाग

मुख्यशीर्ष "4059"

सार्वजनिक कार्यो पर पूँजी परिव्यय

मू.	3302.00)			
पू.	5.00)			
पु.	–328.00)	2979.00	2294.11	–684.89

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	2449.80)			
पू.	2.00)			
पु.	177.20)	2629.00	1499.08	–1129.92

4. **Under Major Head "4801"** – Capital Outlay on Power Projects-Transmission and Distribtion – Other Expenditure – Purchase of Land – ₹3001.00 lakhs – due to non receipt of demand from L&DO, Govt of India.

5. **Under Major Head "4810"** – Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy – New and Renewable Energy Programmes & Applications – Renewable Energy – ₹1000.00 lakhs – due to proposal was under process and claims submitted by the DISCOMS were not in accordance with the prescribed SOP for capital subsidy under the Delhi Solar Energy Policy 2023.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Urban Development Department **Major Head "4217"** Capital Outlay on Urban Development O. 157601.00) S. 2.00) R. -48003.00)	109600.00	100511.37	-9088.63
Major Head "6215" Loans for Water Supply and Sanitation O. 295300.00) S. 4.00) R. -183229.00)	112075.00	57125.00	-54950.00
Major Head "7615" Misc. Loans O. 90000.00) S. 104815.25) R. 45184.75)	240000.00	175426.00	-64574.00
Public Works Department **Major Head "4059"** Capital Outlay on Public Works O. 3302.00) S. 5.00) R. -328.00)	2979.00	2294.11	-684.89
Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services O. 2449.80) S. 2.00) R. 177.20)	2629.00	1499.08	-1129.92

मुख्यशीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजी परिव्यय				
मू. 23075.00)				
पू. 12.00)				
पु. 4772.95)	27859.95	25009.15	–2850.80	
मुख्यशीर्ष "4210" चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय				
मू. 41500.00)				
पू. 4.00)				
पु. –8073.00)	33431.00	29443.17	–3987.83	
मुख्यशीर्ष "5054" सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय				
मू. 121600.00)				
पू. 11.00)				
पु. –19994.91)	101616.09	88554.19	–13061.90	
राज्य चुनाव आयोग **मुख्यशीर्ष "4070"** अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय				
मू. 515.00)				
पु. –498.00)	17.00	12.47	–4.53	

5.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4217"**– शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय – अन्य शहरी विकास योजनाएं – (क) भूमि – अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास – 25931.46 लाख रूपये की बचत (90000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/बिलों की गति के आधार पर प्रावधान रखने, आईएण्डएफसी द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने तथा एचटी/एलटी लाईनों के लिए निधि जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

   (ख) निर्माण – (i) प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों, गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादी ढाँचों का सुदृढ़ीकरण एंव संवर्धन – 7350.80 लाख रूपये की बचत (30001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 रूपये के पूरक प्रावधान सहित, कि तुलना में) मुख्यतः कार्य/बिलों की गति के आधार पर प्रावधान रखने तथा कार्यकारी ऐजेंसी से अंतिम निपटारे हेतु दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

   (ii) मुख्यमंत्री सड़क पुनरुत्थान योजना – 21338.67 लाख रूपये की बचत (27500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/बिलों की गति के आधार पर प्रावधान रखने तथा कार्यकारी ऐजेंसी से अंतिम निपटारे हेतु दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

   (ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादी ढाँचों का सुदृढ़ीकरण एंव संवर्धन (एस.सी.एस.पी.) – 2425.29 लाख रूपये की बचत (10001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य/बिलों की गति के आधार पर प्रावधान रखने तथा कार्यकारी ऐजेंसी से अंतिम निपटारे हेतु दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

Major Head "4202" Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture O. 23075.00) S. 12.00) R. 4772.95)	27859.95	25009.15	-2850.80
Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health O. 41500.00) S. 4.00) R. -8073.00)	33431.00	29443.17	-3987.83
Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges O. 121600.00) S. 11.00) R. -19994.91)	101616.09	88554.19	-13061.90
State Election Commission **Major Head "4070"** Capital Outlay on Other Administrative Services O. 515.00) R. -498.00)	17.00	12.47	-4.53

Savings occurred more than ₹5.00 crore under the following sub heads :–

1. **Under Major Head "4217"** – Capital Outlay on Urban Development – Other Urban Development Schemes – (a) Land – Development of Unauthorized Colonies – Saving of ₹25931.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹90000.00 lakhs) was mainly due to provision as per pace of the work/bills, non utilization of fund by I&FC and no proposal for relase of fund towards HT /LT line has been received, hence saving occured

(b) Construction – (i) Strengthening and Augmentation of Infrastructure i.e. Roads, Streets, Localities, Street Lights etc. in each Assembly Constituency – Saving of ₹7350.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision as per pace of the work/bills and claims for final settlement were not received from executive agency.

(ii) Mukhyamantri Sadak Punrotthan Yojna – Saving of ₹21338.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27500.00 lakhs) was mainly due to as per pace of the works/bills and claims for final settlement were not received from executive agency.

(c) Special Component Plan for Scheduled Castes – Strengthening and Augmentation of Infrastructure i.e. Roads, Streets, Localities, Street Lights etc. in each Assembly Constituency (SCSP) – Saving of ₹2425.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision as per pace of the work/bills and claims for final settlement were not received from executive agency.

2. **मुख्यशीर्ष "6215"**– जलापूर्ति एवं सफाई के लिए ऋण – **(अ)** जलापूर्ति – (क) सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को ऋण – वज़ीराबाद में डब्ल्यूटीपी के पुर्नवास के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 14000.00 लाख रूपये की बचत (15000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं इत्यादि को ऋण – (i) पुरानी वितरण प्रणाली और ट्रंक संचरण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 29266.87 लाख रूपये की बचत (35000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ii) मौजूदा जल कार्यों के सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 27825.09 लाख रूपये की बचत (35000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iii) वितरण के स्रोतों और जलाशयों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 7176.19 लाख रूपये की बचत (9600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iv) पैमाइश और रिसाव प्रबंधन के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 3295.34 लाख रूपये की बचत (4400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(v) शहरी इलाकों में रेनी वेल्स और ट्यूब वेल्स के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 6837.21 लाख रूपये की बचत (8300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(vi) कर्मचारी आवास तथा कार्यालय आवास के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 1615.00 लाख रूपये की बचत (1700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

(vii) द्वारका में 50 एमजीडी जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 5774.00 लाख रूपये की बचत (8800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(viii) चंद्रावल जल शोधन संयंत्र–जेआईसीए के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (केन्द्रीय अंश) – 5801.00 लाख रूपये की बचत (20001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ix) चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य अंश) – 2500.00 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ब) मलव्ययन एवं स्वच्छता – स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को ऋण – (i) यमुना कार्य योजना–III के अर्न्तगत सीवर लाइन के पुर्नस्थापन हेतु दि.ज.बोर्ड को ऋण (राज्य अंश) – 26736.00 लाख रूपये की बचत (30000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

2. **Under Major Head “6215”** – Loans for Water Supply and Sanitation – **(A)** Water Supply – (a) Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loan to Delhi Jal Board for Rehabilitation of WTP at Wazirabad – Saving of ₹14000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was mainly due to pace of woks/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(b) Loans to Local bodies, Municipalities etc. – (i) Loan to Delhi Jal Board for Replacement of Old Distribution System and Trunk Transmission – Saving of ₹29266.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(ii) Loan to Delhi Jal Board for Improvement of Existing Water Works – Saving of ₹27825.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(iii) Loan to Delhi Jal Board for Distribution Mains and Reservoirs – Saving of ₹7176.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9600.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(iv) Loan to Delhi Jal Board for Metering and Leak Management – Saving of ₹3295.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4400.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(v) Loan to Delhi Jal Board for Rainy Wells & Tube Wells in Urban Areas – Saving of ₹6837.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8300.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(vi) Loan to Delhi Jal Board for Staff Quarters & Office Accommodation – Saving of ₹1615.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure.

(vii) Loan to Delhi Jal Board for Construction of 50 MGD WTP at Dwarka – Saving of ₹5774.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8800.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(viii) Loan to Delhi Jal Board for Chandrawal WTP-JICA (Central Share) – Saving of ₹5801.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(ix) Loan to Delhi Jal Board for Chandrawal WTP (State Share) – Saving of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(**B**) Sewerage and Sanitation – Loans to Local bodies, municipalities etc – (i) Loan to Delhi Jal Board for Rehabilitation of Sewerage Under Yamuna Action Plan-III (State Share) – Saving of ₹26736.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(ii) ट्रंक परिधीय सीवर और गुरूत्वाकर्षण वाहिनी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 12071.67 लाख रूपये की बचत (14000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iii) एस.टी.पी./एस.पी.एस. के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 62322.50 लाख रूपये की बचत (70500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iv) शाखा सीवर/नियमित अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 30042.54 लाख रूपये की बचत (34500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की धीमी गति तथा सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "7615"**– विविध ऋण – (i) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डी.यू.एस.आई.बी.) को उपाय और साधने सहायता के लिए ऋण – 5000.00 लाख रूपये की बचत (10000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डीयूएसआईबी से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(i) उपाय और साधने सहायता के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 14389.25 लाख रूपये की बचत (184815.25 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 104815.25 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः डीजेबी के आवश्यकता अनुसार ऋण जारी करने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "4059"**– लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय – कार्यालय भवन – मशीनरी एवं उपकरण – सभी जेलों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना/ओ एण्ड एम – 2286.04 लाख रूपये की बचत (3000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कुछ प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन होने एवं समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "4070"**– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – अन्य व्यय – केन्द्रीय कारागार भवन – 951.72 लाख रूपये की बचत (2450.80 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "4202"**– शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण (एस.सी.एस.पी.) – 579.33 लाख रूपये की बचत (1001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "4210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य योजना–ऐलोपैथी अस्पताल एवं औषधालय – (i) भवन – 10127.21 लाख रूपये की बचत (20003.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने एवं समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

(ii) मौजूदा अस्पतालों को पुनर्गठन – 1361.87 लाख रूपये की बचत (20001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

(ii) Loan to Delhi Jal Board for Trunk Peripheral Sewer and Gravity Duct – Saving of ₹12071.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(iii) Loan to Delhi Jal Board for STPs/SPSs – Saving of ₹62322.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70500.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

(iv) Loan to Delhi Jal Board for Branch Sewer/Regularised Unauthorized Colonies – Saving of ₹30042.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34500.00 lakhs) was mainly due to as per pace of work/expenditure and the approval from Finance Department for release of GIA could not be materialized.

3. **Under Major Head "7615"** – Miscellanous Loans – (i) Loan to Delhi Urban Shelter Improvement Boards (DUSIB) for Ways & Means Support – Saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to requisition from DUSIB has not been received.

(ii) Loan to Delhi Jal Board for Ways & Means Support – Saving of ₹14389.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹184815.25 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹104815.25 lakhs) was mainly due to loan released as per DJBs requirement.

4. **Under Major Head "4059"** – Capital Outlay on Public Works – Office Buildings – Machinery and Equipment – Installation/O&M of CCTV Surveillance Systems in All Jails – Saving of ₹2286.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was mainly due to some proposals were under process and fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

5. **Under Major Head "4070"** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Other Expenditure – Centrail Jail Building – Saving of ₹951.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2450.80 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

6. **Under Major Head "4202"** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – General Education – Special Component Plan for Scheduled Castes – Construction of Buildings for Schools (SCSP) – Saving of ₹579.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

7. **Under Major Head "4210"** – Capital Outlay on Medical and Public Health – (**A**) Urban Health Schemes – Allopathy – Hospital and Dispensaries – (i) Buildings – Saving of ₹10127.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20003.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to provision as per pace of the work/expenditure and fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

(ii) Remodeling of Existing Hospital – Saving of ₹1361.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

8. **मुख्यशीर्ष "5054"**– सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय – जिला एवं अन्य सड़कें – (क) पुल – (i) करावल नगर, भजनपुरा और गगन सिनेमा मंगल के बीच फ्लाईओवर/अंडरपास का निर्माण – 2262.50 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने एवं समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

(ii) फुटओवर ब्रिज का निर्माण – 1339.81 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने एवं समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

(iii) मुकरबा चौक के निकट ओ.आर.आर. पर अंडरपास का निर्माण – 1774.88 लाख रूपये की बचत (2500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने, डीडीओ के खाते को कुर्क करने एवं पीएओ द्वारा एलओसी वापस लेने के कारण एलओसी की पूर्ण राशि उपयोग मे नहीं लाई जा सकने के कारण हुई।

(ख) सड़क कार्य – (i) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग) का सुदृढ़ीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण – 6129.00 लाख रूपये की बचत (7500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने एवं समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

(ii) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (आर.आर. एवं ओ.आर.आर) का सुदृढ़ीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण – 12565.76 लाख रूपये की बचत (18000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने एवं समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

(iii) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (आर.ओ.डब्ल्यू <30 मीटर से कम वाली सड़को) का सुदृढ़ीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण – 11520.70 लाख रूपये की बचत (30000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने एवं समय की कमी व एलओसी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई एलओसी प्राप्त नहीं की जा सकी, अतः 31.03.2025 तक शेष राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

(iv) पंजाबी बाग फ्लाईओवर और राजा गार्डन फ्लाईओवर के बीच एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर का विकास और स्ट्रीट नेटवर्क – 2650.49 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य/व्यय की गति के अनुसार प्रावधान रखने एवं डीडीओ के खाते को कुर्क करने एवं पीएओ द्वारा एलओसी वापस लेने के कारण एलओसी की पूर्ण राशि उपयोग मे नहीं लाई जा सकने के कारण हुई।

(v) रानी झांसी रोड़ से आजादपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान) – 1844.20 लाख रूपये की बचत (2001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः डी.एम.आर.सी के आवश्यकतानुसार भुगतान करने, एलओसी के वापस लेने एवं माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश के तहत खाते को जब्त करने के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "4070"**– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – चुनाव – राज्य चुनाव आयोग – 502.53 लाख रूपये की बचत (515.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं कम खरीद/बिलों के कारण हुई।

8. **Under Major Head "5054"** – Capital Outlay on Roads and Bridges – District and Other Roads – (a) Bridges – (i) Construction of Flyover/Underpass at Karawalnagar Bhajanpura and Gagan Cinema On Mangal – Saving of ₹2262.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per pace of the work/expenditure and fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

(ii) Construction of Foot Over Bridges – Saving of ₹1339.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per pace of work/expenditure and fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

(iii) Construction of Underpass at ORR Near Mukarba Chowk – Saving of ₹1774.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per pace of the work/expenditure, full amount of LOC could not be utilized due to attachment of account of DDO and withdrawal of LOC by PAO.

(b) Road Works – (i) Strengthening/Resurfacing/MICRO Surfacing of PWD Roads (NH) – Savings of ₹6129.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per pace of the work/expenditure and fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

(ii) Strengthening/Resurfacing/MICRO Surfacing of PWD Roads (RR & ORR) – Savings of ₹12565.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per pace of the work/expenditure and fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

(iii) Strengthening/Resurfacing/MICRO Surfacing of PWD Roads (Road with ROW <30 MTRS) – Savings of ₹11520.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per pace of the work/expenditure and fresh LOC could not be obtained due to paucity of time and lengthy process involved in getting LOC, hence balance remained unutilized as on 31/03/2025.

(iv) Integrated Transit Corridor Development & Street Network Between Punjabi Bagh Flyover and Raja Garden Flyover – Savings of ₹2650.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per pace of the work/expenditure and full amount of LOC could not be utilized due to attachment of account of DDO and withdrawal of LOC by PAO.

(v) Rani Jhansi Road Junction to Azadpur Corridor (Payment to DMRC) – Savings of ₹1844.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to payment has been made as per requirement of DMRC, withdrawal of LOCs and attachment of account on the order of Hon'ble High Court of Delhi.

9. **Under Major Head "4070"** – Capital Outlay on other Administrative Services – Election – State Election Commission – Savings of ₹502.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹515.00 lakhs) was mainly due to proposals has not been materilized and less procurement/bills.

उपरोक्त बचतें, निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4059"**– लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – कार्यालय भवन का सुधार – 1103.19 लाख रूपये का अधिक व्यय (101.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः पहले से स्वीकृत/अनुमोदित होने वाले निर्माण कार्य के अनुसार प्रावधान रखने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "4202"**– शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – (क) माध्यमिक शिक्षा – मौजूदा स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्षाओं के लिए कमरों का निर्माण – 914.90 लाख रूपये का अधिक व्यय (8001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः पहले से स्वीकृत/अनुमोदित होने वाले निर्माण कार्य के अनुसार प्रावधान रखने के कारण हुआ।

   (ख) सामान्य – सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना – 607.59 लाख रूपये का अधिक व्यय (2001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों हेतु प्रावधान रखने के कारण हुआ।

   (ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मौजूदा स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्षाओं के लिए कमरे का निर्माण (एससीएसपी) – 554.25 लाख रूपये का अधिक व्यय (2001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः पहले से स्वीकृत/अनुमोदित होने वाले निर्माण कार्य के अनुसार प्रावधान रखने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "5054"**– सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय – जिला एवं अन्य सड़कें – (क) पुल – बारापुला नाला, फेस–3 के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण – 7968.82 लाख रूपये का अधिक व्यय (12001.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की गति के अनुसार व्यय होने के कारण हुआ।

   (ख) सड़क कार्य – (i) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (रोहिणीय सड़को) का सुदृीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण – 669.32 लाख रूपये का अधिक व्यय (22501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की गति के अनुसार व्यय होने के कारण हुआ।

   (ii) सीसीटीवी कैमरों की स्थापना – 1445.67 लाख रूपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों हेतु प्रावधान रखने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 1554.16 लाख रूपये का अधिक व्यय पाँच उपशीर्षों के अन्तर्गत था जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम था ।

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "4059"** – Capital Outlay on Public Works – Office Buildings – Construction – Improvement of Office Building – Excess of ₹1103.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹101.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision for construction work already approved/ to be approved.

2. **Under Major Head "4202"** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – General Education – (a) Secondary Education – Construction of Additional Class Rooms in the Existing School Buildings – Excess of ₹914.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept for construction works already approved/ to be approved.

   (b) General – Installation of CCTV Cameras in Government Schools – Excess of ₹607.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept for CCTV camears to be installed.

   (c) Special Component Plan for Scheduled Castes – Construction of Additional Class Rooms in the existing School Buildings (SCSP) – Excess of ₹554.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept for constrution works already approved/ to be approved.

3. **Under Major Head "5054"** – Capital Outlay on Roads and Bridges – District and Other Roads – (a) Bridges – Construction of Elevated Corridor Barapulla Nallah Ph-III – Excess of ₹7968.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to as per progress of work.

   (b) Road Works – (i) Strengthening/Resurfacing/MICRO Surfacing of PWD Roads (Arterial Roads) – Excess of ₹669.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to as per progress of work.

   (ii) Installation of CCTV Cameras – Excess of 1445.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept for CCTV cameras to be installed.

Further, Excess of ₹1554.16 lakhs remained under five sub-heads which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 12 – ऋण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

पूँजीगत			
स्वीकृत –	1,30,00	53,50	–76,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं

<u>टीका एवं टिप्पणियां</u>

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 76.50 लाख रूपये की कुल बचत थी (130.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 58.85 प्रतिशत थी।

GRANT NO. 12 – LOANS

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
			(In thousand of rupees)
CAPITAL			
Voted –	1,30,00	53,50	-76,50
Amount surrendered during the year			Nil

<u>Notes and Comments</u>

In the **Voted portion of the Capital Section of the grant**, the overall saving of ₹76.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹130.00 lakhs) constituted 58.85% of the total sanctioned provision.

अनुदान संख्या 13 – पेंशन

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व

स्वीकृत –				
मूल	3,00,00)			
पूरक	2,00,00)	5,00,00	4,09,76	–90,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं

<u>**टीका एवं टिप्पणियां**</u>

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 90.24 लाख रूपये की कुल बचत थी (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 18.05 प्रतिशत थी ।

GRANT NO. 13 – PENSIONS

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Voted –				
Original	3,00,00)			
Supplementary	2,00,00)	5,00,00	4,09,76	-90,24

Amount surrendered during the year Nil

<u>Notes and Comments</u>

In the **Voted portion of the Revenue Section of the grant**, the overall savings of ₹90.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) constituted 18.05% of the total sanctioned provision.

अनुदान संख्या 14 – आकस्मिक निधि

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

पूँजीगत

स्वीकृत –	..	..	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नही

<u>टीका एवं टिप्पणियां</u>

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में वित्त वर्ष 2024–25 में कोई बजट प्रावधान नहीं रखा गया था।

GRANT NO. 14 – CONTINGENCY FUND

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
			(In thousand of rupees)
CAPITAL			
Voted –	..	..	..
Amount surrendered during the year			Nil

Notes and Comments

In the **Voted portion of the Capital Section of the grant** no budget provision kept in the Financial Year 2024-25.

अनुदान संख्या 15–सार्वजनिक ऋण

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित –

मूल	2666,09,00)	2666,09,00	2666,08,28	–72

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि — कुछ नहीं

पूँजीगत

प्रभारित –

मूल	4914,33,00)	4914,33,00	4914,31,61	–1,39

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि — कुछ नहीं

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 0.72 लाख रूपये की कुल बचत थी (266609.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 0.00 प्रतिशत थी ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 1.39 लाख रूपये की कुल बचत थी (491433.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 0.00 प्रतिशत थी ।

GRANT NO. 15 – PUBLIC DEBT

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	2666,09,00)	2666,09,00	2666,08,28	-72
Amount surrendered during the year				Nil
CAPITAL				
Charged –				
Original	4914,33,00)	4914,33,00	4914,31,61	-1,39
Amount surrendered during the year				Nil

Notes and Comments

In the **Charged portion of the Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹0.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹266609.00 lakhs) constituted 0.00% of the total sanctioned appropriation.

In the **Charged portion of the Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹1.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹491433.00) constituted 0.00% of the total sanction appropriation.

2024-2025 की अवधि की वसूलियों का विवरण

अनुदान की संख्या तथा नाम		बजट अनुमान		वास्तविक वसूलियां		बचत (-)/अधिक (+)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
							(हजार रूपयों में)
1—विधान सभा	स्वीकृत	0	0	90	0	-90	0
2—सामान्य प्रशासन	प्रभारित	0	0	276	0	-276	0
	स्वीकृत			33478	5	-33478	-5
3—न्याय प्रशासन	प्रभारित	0	0	1045	0	-1045	0
	स्वीकृत	0	0	540614	0	-540614	0
4—वित्त	स्वीकृत	1300	0	3346	0	+2046	0
5—गृह	स्वीकृत	0	0	5215	0	-5215	0
6—शिक्षा	स्वीकृत	0	0	260937	564	-260937	-564
7—चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	0	0	1132774	7717	-1132774	-7717
8—समाज कल्याण	स्वीकृत	0	0	97077	445789	-97077	-445789
9—उद्योग	स्वीकृत	0	0	34009	0	-34009	0
10—विकास	स्वीकृत	353485	0	659663	0	+306178	0
11—शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	स्वीकृत	0	0	1048862	130278	-1048862	-130278
योग—	**प्रभारित**	**0**	**0**	**1321**	**0**	**-1321**	**0**
	स्वीकृत	**354785**	**0**	**3816065**	**584353**	**-3461280**	**-584353**

ANNEXURE-A

Statement of Recoveries for the period 2024-2025

No. & Name of Grant		Budget Estimates		Actual Recoveries		Savings(-)/Excess(+)	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital	Revenue	Capital
						(In thousand of rupees)	
1- Legislative Assembly	Voted	0	0	90	0	-90	0
2-General Administration	Charged	0	0	276	0	-276	0
	Voted	0	0	33478	5	-33478	-5
3-Admn. of Justice	Charged	0	0	1045	0	-1045	0
	Voted	0	0	540614	0	-540614	0
4-Finance	Voted	1300	0	3346	0	+2046	0
5-Home	Voted	0	0	5215	0	-5215	0
6-Education	Voted	0	0	260937	564	-260937	-564
7-Medical & Public Health	Voted	0	0	1132774	7717	-1132774	-7717
8-Social Welfare	Voted	0	0	97077	445789	-97077	-445789
9-Industries	Voted	0	0	34009	0	-34009	0
10-Development	Voted	353485	0	659663	0	+306178	0
11-Urban Development & Public Works Department	Voted	0	0	1048862	130278	-1048862	-130278
Total	**Charged**	**0**	**0**	**1321**	**0**	**-1321**	**0**
	Voted	**354785**	**0**	**3816065**	**584353**	**-3461280**	**-584353**